सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT

2018-2019

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
Coastal Aquaculture Authority

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टावर, 12–ए, भारती स्ट्रीट,
वानुवापेट्टई, मादीपाक्कम पोस्ट,
चेन्नई–600061, तमिलनाडु
दूरभाष : 91-44-2260 3783, 3784, टेलीफेक्स : 044-2260 3780
ईमेल : aquaauth@gmail.com
वेबसाइट : www.caa.gov.in

द्वारा प्रकाशित
तटीय जलकृषि प्राधिकरण

संपादन और संकलन
वी. कृपा
ए. एंटनी जेवियर
डी. कनकसबापति
जी. प्रिया
एस. रमेश कुमार

द्वारा मुद्रित
श्री विग्नेश प्रिंट्स

Published by
Coastal Aquaculture Authority

Compilation and Editing
V. Kripa
A. Antony Xavier
D. Kanakasabapathi
G. Priya
S. Ramesh Kumar

Printed by
Shri Vignesh Prints

विषय वस्तु

क्र.सं.	विषय भूमिका	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	vii
I.	संरचना, परिचालन लक्ष्य और उद्देश्य	1
	18-19 के दौरान प्राधिकरण की संरचना	1
	प्राधिकरण का लक्ष्य और उद्देश्य	3
	प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य	3
	भारत में एसपीएफ वन्नामेई संस्कृति के विनियम	6
II.	लक्ष्य और प्रदर्शन	7
	वार्षिक लक्ष्य	7
	वास्तविक प्रदर्शन की संक्षिप्त समीक्षा	8
III.	गतिविधियां और उपलब्धियां	11
	क. प्राधिकरण द्वारा गठित प्राधिकरण और समितियों की बैठक	11
	प्राधिकरण की बैठकें	11
	प्राधिकरण द्वारा गठित समितियों की बैठकें (i) एवं (ii)	14
	मंत्रालय द्वारा गठित समिति	18
	ख. तटीय एक्वा फार्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण	19
	झींगा फार्मों का पंजीकरण	19
	झींगा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण	22
	सीएए द्वारा किए गए प्रयास	27
	एसपीएफ लिटोपेनियस वन्नामेई फार्मिंग	28
	एसपीएफ एल वन्नामेई ब्रूडस्टहक आपूर्तिकर्ताओं का चयन	29
	वर्ष 2018-19 में एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टहक का आयात	31
	भारत में एसपीएफ एल वन्नामेई हैचरियों का विकास	38
	एसपीएफ एल वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए नौपल्ली पालन केंद्रों की स्थापना	40
	एसपीएफ एल वन्नामेई को खेती करने के लिए झींगा फार्मों की अनुमति	42
	एल. वन्नामेई हैचरियों/फार्मों की निगरानी	43
IV.	झींगा पालन के खिलाफ विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई	52
	क. विशिष्ट शिकायतों पर की गई कार्रवाई (i) एवं (ii)	53
	ख. गैर-अनुपालन के लिए पंजीकृत हैचरियों के खिलाफ की गई कार्रवाई (i)	54
V.	एसपीएफ एल. वन्नामेईध्पी. मोनोडोन खेती के लिए सरकारी अनुसंधान फार्मों का पंजीकरण	55
VI.	एंटीबायोटिक-मुक्त जलकृषि इनपुट का पंजीकरण	55
VII.	जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला	60
VIII.	वेबसाइट अद्यतन	61
IX.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण	62
X.	सीएए में राजभाषा का कार्यान्वयन	63
XI.	सीएए की आगे बढ़ने की गतिविधियां	65
	क. जागरूकता कार्यक्रम आयोजित/संबद्ध	65
	ख. सीएए कार्यालय में स्वच्छ भारत/झींगा हैचरी/झींगा फार्म/झींगा फसल	66
	ग. कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों में भागीदारी	69
	घ. प्रदर्शनियों में भागीदारी	70
	ङ. अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/संगोष्ठियों में सीएए सदस्यों/ अधिकारियों की भागीदारी	73
XII.	2019-2020 के दौरान की जाने वाली गतिविधियां	75
XIII.	वित्त	77

	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों और गतिविधियों का सारांश	77
	वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों का विवरण	77
XIV.	प्राधिकरण के कर्मचारी और मौजूदा संगठनात्मक संरचना	78
XV.	भर्ती / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन	79
XVI.	सूचना का अधिकार अधिनियम	79
	वर्ष 2018-19 के लिए अनुलग्नक वार्षिक लेखे	108

CONTENTS

Sl. No	Subject	Page No
	Preface	
I.	Composition, Operational Goals and Objectives	119
	Composition of the Authority during 18-19	119
	Aims & Objectives of the authority	121
	Powers and Functions of the Authority	121
	Regulations of SPF *L. vannamei* culture in India	124
II.	Targets and Performance	125
	Annual Targets	125
	Brief Review of Actual Performance	126
III.	Activities and Achievements	129
	A. Meeting of the Authority and Committees constituted by the Authority	129
	Meetings of the Authority	129
	Meetings of the Committees Constituted by the Authority (i) & (ii)	132
	Committee Constituted by the Ministry	136
	B. Registration/Renewal of Coastal Aqua Farms	137
	Registration of Shrimp Farms	137
	Renewal of Registration of Shrimp Farms	140
	Efforts put up by CAA to promote Registration/Renewal of Aqua farms	145
	C. SPF *Litopeneus vannamei* Farming	146
	Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers	146
	Import of SPF *L. vannamei* broodstock in the year 2018-19	149
	Growth of SPF *L. vannamei* Hatcheries in India	156
	Setting up of Naupliii Rearing Centres for SPF *L. vannamei* Seed Production	158
	Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*	160
	State-wise performance of SPF *L. vannamei* farming	161
	Monitoring of *L. vannamei* Hatcheries /Farms	168
IV.	Action on Various complaints against Shrimp Farming	170
	A. Action taken on Specific Complaints (i) & (ii)	171
	B. Action taken against Registered Hatcheries for non-compliance (i)	172
V.	Registration of government research farms for SPF *L. vannamei* / *P. monodon* culture	173
VI.	Registration of Antibiotic –free Aquaculture Inputs	173
VII.	Water Quality Monitoring Laboratory	178
VIII.	Website Updation	179
IX.	Strengthening of Coastal Aquaculture Authority	180
X.	Implementation of Official Language in CAA	181
XI.	Outreach Activities of CAA	183
	A. Awareness Programmes Conducted / Associated	183
	B. Swachhh bharat at CAA office / Shrimp Hatchery / Shrimp Farms / Shrimp Harvest	184
	C. Participation in Workshops / Seminars	187
	D. Participation in Exhibitions	188
	E. Participation of CAA members / officers in meetings / seminars /symposia organised by other organisations	191

XII. Activities likely to be taken up during 2019-2020 193
XIII. Finance 195
Summary of actual financial results and activities during the financial year 2018-19 195
Details of Annual Accounts for the year 2018-19 195
XIV. Staff and existing organizational structure of the authority 196
XV. Recruitment / Retirement / Repatriation 197
XVI. Right to Information Act 197
Annexure Annual Accounts for the year 2018-19 226

डॉ सी गोपाल
सदस्य सचिव
Dr C GOPAL
Member Secretary

सत्यमेव जयते

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई
मडिप्पाक्कम पी.आ., चेन्नै-600 091
तमिल नाडु, भारत
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai
Madipakkam P.O., Chennai - 600 091
Tamil Nadu, India

प्रस्तावना

भारत शीर्ष मछली उत्पादकों में से एक है और दुनिया में जलकृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत के पास एक संपन्न समुद्री भोजन निर्यात बाजार (वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार का लगभग 5 प्रतिशत) है, जिसने निर्यातों के माध्यम से लगभग 6.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर / 46589.37 करोड़ रुपये (2018–19) की कमाई की है। भारत ने 2018–19 में 6,14,145 मीट्रिक टन फ्रोजन झींगे का निर्यात किया है और कल्चर्ड झींगा के निर्यात से 31800 करोड़ रुपये/4.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। भारत ने 2008–09 के दौरान 75,000 मीट्रिक टन के स्तर से वर्ष 2018–19 के दौरान 6.8 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक झींगा उत्पादन में लगातार और निरंतर वृद्धि दिखाई है। भारत से निर्यात में हालांकि कैप्चर्ड और कल्चर्ड जलीय खाद्य दोनों शामिल हैं, लेकिन 68.26% हिस्सेदारी के साथ कल्चर्ड झींगा अकेला सबसे ज्यादा निर्यात होना वाला घटक है। भारत और दुनिया भर में समुद्री कैप्चर मत्स्य पालन में ठहराव के साथ, तटीय जलकृषि और सागरीय कृषि घटते ताजे जल संसाधनों पर टैक्स लगाए बिना जलीय उत्पादन का विस्तार करने के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प है। संभावित क्षेत्र का अनुमानित 15 प्रतिशत अब तक जलीय कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है।

तटीय जलकृषि से उत्पादन को उत्पादन एवं विपणन के हर स्तर पर अधिक कुशलता के साथ विस्तारित किया जाएगा, और उद्योग समेकन में वृद्धि होगी। सतत रूप से विस्तारित खेती क्षेत्र, पर्यावरण के अनुकूल जलकृषि प्रौद्योगिकियां, तेजी से बढ़ते, विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ)/विशिष्ट रोगजनक प्रतिरोधी (एसपीआर) केंडिडेट प्रजातियां घरेलू और/या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित होती हैं, विशिष्ट बढ़ती स्थितियों के लिए घरेलू होती हैं, साथ ही साथ बेहतर उत्पाद विशेषताओं के लिए, उपयुक्त घरेलू और निर्यात बाजार विकसित करना और पता लगाने की क्षमता एवं प्रमाणन के माध्यम से उत्पाद स्वीकृति को सक्षम करना तटीय जलकृषि के स्थायी विस्तार के प्रमुख क्षेत्र हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, सीएए ने 3740.94 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र के साथ 3008 नए खेतों और बारह (12) नए हैचरियों को पंजीकृत किया है। सीएए ने इस वर्ष के दौरान 13 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करके देश में एल वननामी के 1,24,790 जोड़ी एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के आयात को अंतिम रूप दिया है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अपार अवसरों और आजीविका के सृजन के अलावा पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में तटीय जलकृषि के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने विनियामक ढांचे के साथ प्रयास कर रहा है।

हालांकि सीएए अधिनियम के तहत झींगा पालन में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई गई है, फिर भी कुछ आयातक देशों द्वारा हमारे उत्पादों की अस्वीकृति की रिपोर्ट चिंता का कारण बन रही है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, प्राधिकरण ने विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की थीं, विभिन्न हितधारकों

ारकों, किसानों, हैचरी ऑपरेटरों, फीड निर्माताओं, इनपुट आपूर्तिकर्ताओं और समुद्री भोजन निर्यातकों आदि के साथ जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार किया था, ताकि मौजूदा वैश्विक बाजार मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप 'शून्य स्तर की अस्वीकृति' को संबोधित किया जा सके।

सीएए संगठन के सुचारू संचालन में सक्रिय सहयोग के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है।

डॉ. सी. गोपाल
सदस्य सचिव

वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19

I. प्राधिकरण की संरचना, परिचालन लक्ष्य और उद्देश्य

तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए तटीय प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना की गई थी और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि तटीय जलकृषि से तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और जिम्मेदार जलकृषि की अवधारणा का पालन किया जाता है। तटीय जलकत्रषि का अर्थ है 'तटीय क्षेत्रों में तालाबों, मवेशियों के बाड़ों, बाड़ों या अन्यथा में नियंत्रित परिस्थितियों में, झींगा के तटीय क्षेत्रों में, झींगा, मछली या ब्रैकिश वाटर या खारे पानी में किसी अन्य जलीय जीवन की कल्चरिंग करना है लेकिन इसमें मीठे पानी का जलकृषि शामिल नहीं है'। तटीय क्षेत्र का अर्थ है 'समुद्रों, नदियों, खाड़ियों और बांधों की उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर भूमि का क्षेत्र'। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार तटीय जलकृषि पद्धतियों का पालन करते हुए तटीय एक्वा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को बढ़ावा देना है और तटीय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न हितधारकों की आजीविका की रक्षा करना।

1. 2018–19 के दौरान प्राधिकरण की संरचना

i) **डॉ के. के. विजयन** ....सदस्य
निदेशक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिशवॉटर
जलकृषि, चेन्नई,
भारत सरकार,
(तटीय जलकृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ)
(2 नवंबर, 2018 से पुनर्नियुक्ति)

ii) **डॉ जी. धरणी** ....सदस्य
वैज्ञानिक 'एफ',
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
भारत सरकार,
(2 नवंबर 2018 से तटीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

iii) **डॉ डब्ल्यू भरत सिंह** ....सदस्य
वैज्ञानिक 'एफ',
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
नई दिल्ली,
भारत सरकार
(2 नवंबर, 2018 से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ)

iv) **डॉ. ई. रमेश कुमार, आईएएस** ....सदस्य
संयुक्त सचिव (मत्स्यपालन)
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग,
भारत सरकार

डॉ. जे. बालाजी, आईएएस ....सदस्य
संयुक्त सचिव (मत्स्यपालन)
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग,
भारत सरकार

v) **श्री संतोष कुमार सारंगी, आईएएस** ....सदस्य
संयुक्त सचिव (ईपी–एमपी)
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

श्री के.एस. श्रीनिवास, आईएएस .... अध्यक्ष
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,
एमपीईडीए हाउस, पनमपिल्ली एवेन्यू,
कोचीन, केरल
(4 जनवरी, 2019 से)

vi) **श्री. रमा शंकर नाइक, आईएएस** ....सदस्य
मत्स्यपालन आयुक्त
आंध्र प्रदेश सरकार
(आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)

श्री. मोहम्मद शाहिद, आईएएस ....सदस्य
मत्स्यपालन कमिश्नर,
मत्स्यपालन विभाग,
गुजरात सरकार
(2 नवंबर, 2018 से)

vii) **श्री विशाल गगन, आईएएस** ....सदस्य
सदस्य, तटीय जलकृषि प्राधिकरण और सचिव
(मत्स्यपालन एवं पशु अनुसंधान विकास विभाग),
सचिवालय, भुवनेश्वर, ओडिशा

श्री अनूप कुमार, आईएएस
सचिव (मत्स्यपालन)
कृषि और एडीएफ विभाग,
मुंबई, महाराष्ट्र सरकार
(2 नवंबर, 2018 से)

viii) **श्री पी. पार्थिबन, आईएएस** ....सदस्य
सचिव/विशेष सचिव (मत्स्यपालन)
पुडुचेरी सरकार

डॉ के गोपाल, आईएएस
प्रधान सचिव,
पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई
(2 नवंबर, 2018 से)

ix) **श्री मंजूनाथ नाइक, आईएएस** ....सदस्य
सचिव (मत्स्यपालन),
मत्स्यपालन एवं पशुपालन विभाग,
कर्नाटक सरकार, बैंगलोर

श्री प्रभात कुमार मिश्रा, आईएएस
प्रधान सचिव,
मत्स्यपालन विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता
(2 नवंबर 2018 से)

x) **डॉ. सी. गोपाल** ....सदस्य सचिव
(केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य)

2. प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य

प्राधिकरण के उद्देश्य और लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा 'तटीय क्षेत्रों' के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में 'तटीय जलकृषि' गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों को विनियमित करना है। प्राधिकरण का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन के लिए नियम बनाने, एल.वन्नामेई के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण, जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण, तटीय जलकृषि फार्मों को हटाना या तोड़ना जो प्रदूषण का कारण बनते, सभी तटीय जलकृषि निविष्टियों के लिए मानक तय करने का अधिकार है अर्थात तटीय जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले बीज, चारा, वृद्धि संपूरक, रसायन आदि और देश में तटीय जलकृषि गतिविधियों की समग्र निगरानी के लिए।

3. प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य

प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य सीएए अधिनियम, 2005 के अध्याय IV में निर्दिष्ट हैं, इसके तहत बनाए गए नियम और तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम, मार्च, 2008 में अधिसूचित किए गए। सीएए अन्य बातों के साथ–साथ गतिविधि में शामिल विभिन्न हितधारकों के सामाजिक–आर्थिक लाभों के लिए पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलकृषि की सुविधा के लिए तटीय जलकृषि क्षेत्र के व्यवस्थित और सतत विकास के लिए नियम बनाएगा।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तटीय जलकृषि प्राधिकरण की प्रमुख जिम्मेदारी है सभी प्रकार के तटीय, ब्रैकिश और खारे जलकृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना या अधिसूचित क्षेत्र के भीतर देश में जो उचित जैव सुरक्षा, आदि के साथ एसपीएफ झींगा कल्चर सहित तटीय जलकृषि में लगे संलग्न होना। किसानों को जागरूक करने के लिए

विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सभी योग्य तटीय जलकृषि फार्मों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कई उपायों को लागू किया गया है।

तटीय जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने फार्मों को तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है। पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए वैध है, जिसे समय–समय पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण के नवीनीकरण के माध्यम से मौजूदा फार्मों के संबंध में पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखी जाएगी, नए फार्मों के साथ–साथ उन फार्मों के लिए जिन्हें भविष्य में तटीय जलकृषि गतिविधियों को शुरू करने के लिए पुनर्निर्मित किया जा सकता है।

तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर समुद्रों, खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर की उच्च ज्वार रेखा से दो सौ मीटर के भीतर जलीय कृषि की अनुमति नहीं है। तथापि, यह शर्त 'मौजूदा फार्मों' अर्थात् अधिनियम की शुरूआत से पहले स्थापित फार्म और सरकारी अथवा सरकार के किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा परिचालित गैर–वाणिज्यिक और प्रायोगिक जलकृषि फार्मों पर लागू नहीं है। हालांकि, ऐसे सभी फार्मों को सीएए के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है। ऐसे पंजीकरण के बिना तटीय जलकृषि का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकता है, या अधिनियम की धारा 14 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, दंडित किया जा सकता है।

सीएए को सीएए नियम, 2005 के प्रावधान के तहत स्थापित राज्य स्तरीय समितियों (एसएलसी) और जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित मामलों पर प्राथमिक संबंध हैं। 2 हेक्टेयर तक जल प्रसार क्षेत्र तक के फार्मों के मामले में, डीएलसी, संतुष्ट होने पर, पंजीकरण पर विचार करने के लिए सीधे सीएए को आवेदनों की सिफारिश करेगा और 2 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र के फार्मों के मामले में, डीएलसी मानदंडों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए फार्म का निरीक्षण करेगा और एसएलसी को आवेदनों की सिफारिश करेगा, जो संतुष्ट होने पर उन्हें पंजीकरण के लिए सीएए को सिफारिश करेगा।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण को अनुमोदित विदेशी एसपीएफ ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल.वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक के आयात की अनुमति देने और ब्रूडस्टॉक की वार्षिक आवश्यकताओं को आबंटित करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया था, जैसा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडी एंड एफ), पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत, (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2008 के तहत जारी दिशानिर्देशों में विस्तार से दिया गया है। इसी तरह सीएए भी 30.04.2009 की अधिसूचना के तहत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एसपीएफ एल.वन्नामेई की खेती करने के इच्छुक फार्मों को अनुमति देता है।

सीएए को इस उद्देश्य के लिए जारी दिशा–निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरियों और फार्मों की निगरानी करने का भी अधिकार है।

सीएए के पास भी नीचे बताई गई शक्तियां और कार्य हैं

- सुनिश्चित करें कि कृषि भूमि, नमक पैन भूमि, मैंग्रोव, आर्द्र भूमि, वन भूमि, गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए भूमि और सार्वजनिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए भूमि को जलकृषि फार्मों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है ताकि तटीय क्षेत्रों में तटीय समुदाय के लोगों की आजीविका की रक्षा की जा सके;
- पूरे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करें और पर्यावरण के अनुकूल विकास प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह दें;
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सामान्य बुनियादी ढांचे, सामान्य जल ग्रहण, निर्वहन नहरों और सामान्य बहिःस्राव उपचार प्रणालियों के निर्माण के लिए सलाह देना और समर्थन देना;
- जल निकायों और पाले गए जीवों और अन्य जलीय जीवन के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, चारा, वृद्धि की खुराक और रसायनों के लिए मानक तय करें;
- पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन से संबंधित जांच और अध्ययन/योजनाएं पूरी करना या प्रायोजित करना;
- तटीय जलकृषि से संबंधित डेटा और अन्य वैज्ञानिक और सामाजिक–आर्थिक जानकारी एकत्र और प्रसारित करना;
- तटीय जलकृषि के सतत विकास और तटीय जलकृषि से संबंधित गतिविधियों से संबंधित सामग्री तैयार करना;
- तटीय संसाधनों के सतत उपयोग और समान बंटवारे के संबंध में प्रचार करना और कर्मियों को प्रशिक्षित करना;
- तकनीकी नियमावली आदि तैयार करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियों, उप–समितियों, कार्य समूहों आदि का गठन करना;
- तटीय पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए फार्म के मालिकों को संशोधन करने का निर्देश देना;
- स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौसमी बंद का आदेश दें; या तटीय पर्यावरण के हित में पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने और आजीविका के संरक्षण के हित में;
- पंजीकरण रद्द करें जहां किसी व्यक्ति ने झूठी जानकारी देकर पंजीकरण प्राप्त किया हो या इन नियमों के किसी भी प्रावधान या पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया हो;
- तटीय जलकृषि से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने के लिए, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा इसे संदर्भित किया जा सकता है;
- समय–समय पर दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करना।

4. भारत में लिटोपेनियस वन्नामेई कल्चर के विनियम

हैचरी पंजीकृत करने और एसपीएफ एल.वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक आयात करने की अनुमति देने के लिए पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2008 के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन बोर्ड (एनएफडीबी), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वॉटर जलकृषि (सीआईबीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के परामर्श से ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट उक्त दिशा–निर्देशों में क्वारंटाइन, आयात की परमिट, प्रवेश के बंदरगाह, सीमा–पूर्व क्वारंटाइन आवश्यकताएं, आयातित ब्रूडस्टॉक के आगमन पर क्वारंटाइन की आवश्यकताओं, कीटाणुशोधन विधियों आदि के लिए जैव सुरक्षा आदि का उल्लेख किया गया है।

एसपीएफ एल.वन्नामेई के प्रारंभ के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2009, के तहत, हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों में आवेदकों के लिए एल.वन्नामेई के प्रजनन के मानदंड,तकनीकी आवश्यकताएं, एल.वन्नामेई के बीजों के उत्पादन और बिक्री की प्रक्रियाएं और फार्मों के अनुमोदन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों और विनियमों को शामिल किया गया था।

हैचरी के संचालकों और झींग कृषकों द्वारा सुचारू रूप से संचालन की सुविधा के लिए के, भारत सरकार ने मार्च, 2012 में अधिसूचना के माध्यम से, सीएए नियम, 2005 में और संशोधन किए, जिसमें एल.वन्नामेई के एसपीएफ किशोरों को वयस्क ब्रूडस्टॉक के पालन के लिए 10 ग्राम तक के आयात की अनुमति देकर, अनुमत हैचरियों के बीच नौप्ली की बिक्री और पर्याप्त शुष्क अवधि के बाद एक प्रजाति के कल्चर को दूसरी तक ले जाने के लिए के लिए अनुमति दी गई। यह अधिसूचना सीएए की निरीक्षण टीम द्वारा अनधिकृत स्टॉक के नष्ट होने के माध्यम से या स्टॉक के त्यागने और निपटान के माध्यम से एल.वन्नामेई के फार्मिंग और अनधिकृत बीज उत्पादनों के साथ समझौता करने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को भी दृढ़ करती है।

16 फरवरी 2015 को संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी जिसके तहत उन फार्मों की अनुमति के लिए दिशा–निर्देशों को जारी किया गया था जो पेनियस मोनोडोन के लिए पंजीकृत हैं, जो जीरो वॉटर एक्सचेंज के साथ कम भंडारण घनत्व के साथ एल.वन्नामेई कल्चर को अपनाने के लिए हैं।

डीएएचडीएंडएफ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रायल द्वारा नवंबर 2015 में सीएए अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप तटीय क्षेत्रों में सीएए द्वारा, सभी झींगा हैचरियों के लिए पंजीकरण (पी.मोनोडोन के साथ) से संबंधित सीएए नियम, 2005 के अनुबंध–1 के दिशा–निर्देशों में संशोधन जारी किया गया था।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण इन दिशा–निर्देशों का पालन हैचरियों और फार्मों में एल.वन्नामेई फार्मिंग को अपनाने की अनुमति देने और इस वेंचर के सतत विकास के लिए फार्मों और हैचरियों का निरीक्षण और निगरानी कर रहा है। एसपीएफ एल. वन्नामेई की शुरूआत ने बड़ी संख्या में परित्यक्त झींगा फार्मों के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया और इसके परिणामस्वरूप देश में फार्मड झींगा के उत्पादन और निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई।

II. लक्ष्य और प्रदर्शन

1. वार्षिक लक्ष्य

- कार्यान्वयन के लिए उचित निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण की बैठकें दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित करना।
- तटीय जलकृषि फार्मों का पंजीकरण और नवीनीकरण, जो की एक सतत प्रक्रिया है और इसे विशेष रूप लक्षित नहीं किया जा सकता है। जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति (डीएलसी/एसएलसी) की सिफारिशों के साथ प्रस्तावों की प्राप्ति के अधीन वर्ष के दौरान 3,000 अतिरिक्त तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकृत/नवीकृत किए जाने की उम्मीद थी।
- एक वर्ष में लगभग 20,000 मीट्रिक टन झींगा के अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन के साथ वर्ष 2019–20 के लिए लगभग 2,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करते हुए एसपीएफ एल.वन्नामेई कल्चर की वृद्धि।
- तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा और आवश्यकता के आधार पर ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन।
- सीएए द्वारा अनुमोदित किसानों को आपूर्ति के लिए ब्रूडस्टॉक आयात करने की और एसपीएफ बीज का उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त जैव सुरक्षा के साथ संभावित हैचरी मालिकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करना।
- नए झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत।
- एल. वन्नामेई के फार्मों के लिए ब्रूडस्टॉक की आवश्यकता तकनीकी समिति द्वारा वार्षिक आवश्यकता, हैचरी क्षमता और एल.वन्नामेई कल्चर के लिए कृषि क्षेत्र की सीमा के आधार पर तैयार की जाएगी।
- जो किसान अपने खेतों में पी. मोनोडोन, एसपीएफ एल. वन्नामेई या किसी अन्य खारे पानी की प्रजातियों की खेती करने के इच्छुक हैं, उनके लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के बाद और पंजीकरण का प्रमाण पत्र और या उसके लिए अनुमति जारी करने के बाद सभी आवेदनों का प्रसंस्करण करना।
- हैचरियों और नौपली पालन केंद्रों द्वारा बीज उत्पादन के लिए प्राप्त आवेदनों को और समयबद्ध तरीके से एसपीएफ एल. वन्नामेई के फार्मिंग संचालन करना।
- जैव सुरक्षा के साथ–साथ अन्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए निरीक्षण टीम द्वारा हैचरियों, नौप्ली पालन केंद्रों (एनआरसी) और फार्मों का निरीक्षण।
- प्राधिकरण द्वारा अपनी नियमित बैठकों में अनुमोदन प्रदान करने के लिए निरीक्षण टीम द्वारा अनुशंसित आवेदनों पर विचार।

- हैचरियों, नौप्ली पालन केंद्रों और फार्मों की समय–समय पर निगरानी की जाएगी; और अनुमोदन की शर्तों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- बहिःस्राव उपचार प्रणाली (ईटीएस) से निकलने वाले अपशिष्ट जल का नमूना और परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल गुणवत्ता मानदंड सीएए द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुरूप हैं।
- खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीज उत्पादन और एक्वाफार्मिंग में उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट के पंजीकरण पर विचार करने के लिए निर्माताओं/वितरकों से प्राप्त सभी आवेदनों का प्रसंस्करण।
- झींगा हैचरी बीज उत्पादन के पंजीकरण/नवीनीकरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर डीएलसी/एसएलसी के सदस्यों को प्रबुद्ध करने के लिए समुद्री राज्यों/संघ क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना; पी. मोनोडोन, एल. वन्नामेई, फिनफिश और केकड़े की फार्मिंग करने के लिए फार्मों का पंजीकरण और क्षेत्र के सतत विकास के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण और एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टीयों से संबंधित मुद्दे।
- तटीय जलकृषि से संबंधित स्थायी कृषि पद्धतियों का चित्रण करते हुए संबंधित संगठन द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों या कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रदर्शनियों में भागीदारी का आयोजन करना।
- हितधारकों को वितरण के लिए स्थानीय भाषाओं में अच्छी जलकृषि पद्धतियों (जीएक्यूपी)/सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों (बीएमपी) पर ब्रोशर/हैंडआउट तैयार करना।

2. वास्तविक प्रदर्शन की संक्षिप्त समीक्षा

प्राधिकरण की तीन बैठकें अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच आयोजित की गईं।

- वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने 3,008 झींगा फार्मों पर विचार किया है और सीएए द्वारा अनुमोदित सभी झींगा फार्मों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए हैं।
- सीएए द्वारा अनुमोदित सभी 1503 झींगा फार्मों को नवीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- किसानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर एसपीएफ एल.वन्नामेई के कल्चर के लिए, 268.61 के जल प्रसार क्षेत्र वाले 282 झींगा फार्मों को सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर एसपीएफ एल.वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए 12 नई हैचरियों की अनुमति दी गई थी।
- कुल मिलाकर 310 हैचरियों को सीएए द्वारा सूचीबद्ध 13 आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल.वन्नामेई के 3,96,700 जोड़ी ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया था, जिसके खिलाफ वर्ष के दौरान केवल 1,24,790 जोड़ी ब्रूडस्टॉक का आयात किया गया था।
- निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर एसपीएफ एल.वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए 64 नौप्ली पालन केंद्रों को अनुमति दी गई थी।

- वर्ष 2015-16 से 11,736 मिलियन बीजोंध्वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ कुल 104 नौप्ली पालन केंद्रों को एसपीएफ एल. वन्नामेई के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया गया था।
- एसपीएफ एल.वन्नामेई हैचरियों की संख्या 9 से कार्यक्रम के शुरू होने (जुलाई 2009) से लगातार बढ़ी है। ग्यारह वर्षों (मार्च 2019) की अवधि के भीतर, सीएए ने वर्ष के दौरान 310 एल.वन्नामेई हैचरियों को मंजूरी दी है।
- प्राधिकरण की बैठकों के बीच समय के अंतराल के कारण निरीक्षण के तुरंत बाद निरीक्षण टीम की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन प्रदान करके हैचरियों के पंजीकरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया था। हालांकि, प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। जिन मामलों में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, उन्हें प्राधिकरण के समक्ष रखने के बाद ही अनुमोदन दिया गया था।
- वर्ष के दौरान 453 कंपनियों के कुल 2022 उत्पादों को आठ श्रेणियों के तहत एंटीबायोटिक मुक्त के रूप में पंजीकृत किया गया, जिनकी सूची सीएए वेबसाइट पर होस्ट की गई थी। अधिक संख्या में उत्पादों को पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए पंजीकरण को एक सतत प्रक्रिया के रूप में खुला रखा जाता है।
- वर्ष के दौरान एक्यूएफ की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए तकनीकी समिति की बैठकें आयोजित की गई और एसपीएफ एल.वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए एसआईपी प्रारूप के मामलों में उचित निर्णय लिया गया, एक्यूएफ में स्क्रीनिंग की सूची में ईएचपी को शामिल किया गया और रोगजनक का पता लगाने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का संशोधन, ब्रूडस्टॉक्स की अतिरिक्त संख्या में आपूर्ति, एक्यूएफ के आगामी क्वारंटाइन चरण IV के लिए टैंक डिजाइन की मंजूरी, पीपीएल क्वारंटाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप देना और नमूना संग्रह तिथि से शिपिंग तिथि तक 30 दिनों की समयावधि की अधिसूचना।
- सीएए ने 3 से 7 जून, 2018 के दौरान श्री श्रीक्षेत्र सूचना, पुरी, ओडिशा द्वारा आयोजित पुरी, ओडिशा में 9वें कृषि मेले 2018 में भाग लिया। स्टाल में हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण, फार्मों और जलकृषि निविष्टियों जैसी विभिन्न गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। ओडिशा के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने स्टॉल का दौरा किया और झींगा हैचरी और फार्मों की तकनीकों और सीएए के जलकृषि निविष्टियों से अवगत कराया। सीएए अधिकारियों ने भी आगंतुकों के सवालों के जवाब दिए।
- एनएफडीबी द्वारा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 9–10 जुलाई 2018 को आयोजित फिश फेस्टिवल– 2018, राष्ट्रीय ”राष्ट्रीय किसान दिवस” में सीएए ने भाग लिया। सीएए ने एसपीएफ एल.वन्नामेई के फार्मों और हैचरियों के विनियमन, अनुमोदन और संचालन राशन के लिए अपनाई जाने वाली गतिविधियों और हितधारकों, एक्वाप्रेन्योर और किसानों के लाभ के लिए पोस्टर, फ्लेक्स बैनर और ब्रोशर के माध्यम से एक्वा निविष्टियों के पंजीकरण पर प्रकाश डाला।
- 10–12 सितंबर, 2018 को एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यक्तिगत प्रस्तुति और तथ्यों की जांच के बाद आपूर्तिकर्ताओं की सिफारिश की गई थी, और इसे वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- 25 सितंबर, 2018 को तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के सिरकली में ''एंटीबायोटिक जागरूकता अभियान'' पर झींगा किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में मत्स्य विभाग, तमिलनाडु सरकार के साथ संबद्ध। सदस्य सचिव, सीएए ने झींगा फार्मों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी। बैठक में हल किए गए मुद्दों में लंबित आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाना और हैचरियों में उत्पादित बीज की गुणवत्ता की निगरानी करना, झींगा हैचरियों और फार्मों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग और दुरुपयोग शामिल है। हैचरी मालिकों/संचालकों, तमिलनाडु के राज्य मत्स्य अधिकारियों, किसानों, निविष्टी आपूर्तिकर्ताओं आदि सहित डीएलसी सदस्यों ने भाग लिया।
- सीएए ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पी. इंडिकस के कल्चर की देशी प्रजातियों के फसल मेले में 24 अक्टूबर, 2018 को ''स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान'' का प्रदर्शन करने के लिए सीआईबीए के साथ हाथ मिलाया। कार्यक्रमों में डीएलसी/एसएलसी के अधिकांश अधिकारियों और राज्य मत्स्य विभाग के फील्ड अधिकारियों के अलावा लगभग 150 झींगा किसानों/हैचरी ऑपरेटरों आदि ने भाग लिया।
- सीएए विश्व में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को उजागर करने के लिए 22 नवंबर, 2018 को ज्ञान भवन, सम्राट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, पटना, बिहार में एनएफडीबी द्वारा आयोजित विश्व मत्स्य दिवस में शामिल हुए। सीएए ने जलकृषि में टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए जलकृषि पद्धतियों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग की खोज की।
- राज्य मत्स्य पालन के डीएलसीध्एसएलसी के अधिकारियों के बीच स्वच्छ भारत के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, झींगा हैचरी ऑपरेटरों और फार्म मालिकों, हितधारकों और एक्वाप्रेन्योर और मछुआरों के बैनरों को चल रहे स्वच्छ भारत पर झींगा हैचरियों और फार्मों में भी प्रमुखता से लगाया गया। सीएए ने 6 दिसंबर, 2018 को तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित लोटस झींगा हैचरी में और 28 दिसंबर, 2018 को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के एलावुर गांव में स्थित किसानों के बीच ''स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान'' का आयोजन किया।
- मत्स्य पालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में और एमपीईडीए और एनएफडीबी द्वारा समर्थित वेलागापुडी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड्स, कनुरु, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 21–23 दिसंबर, 2018 को आयोजित जलकृषि में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और फिश फेस्टिवल ''एक्वाबिज 2018'' के तीसरे संस्करण में सीएए ने भाग लिया। सदस्य सचिव ने ''जलकृषि में पता लगाने योग्यता, प्रमाणन और मूल्य संवर्धन'' पर एक प्रस्तुति दी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से एक्वाप्रेन्योर, हितधारकों, किसानों और हैचरी संचालकों ने स्टाल का दौरा किया और लाभान्वित हुए।
- 17 जनवरी, 2019 को ''झींगा हैचरियों और फार्मों में पालन किए जाने वाले जैव सुरक्षा उपायों'' पर झींगा किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में पश्चिम बंगाल सरकार के मत्स्य विभाग के साथ संबद्ध। कार्यक्रम में डीएलसी/एसएलसी के राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों, झींगा किसानों, हैचरी ऑपरेटरों और निविष्टी आपूर्तिकर्ताओं ने भाग लिया।

- सीएए ने 23–25, 2019 को चेन्नई में केन्द्रीय ब्रेकिशवॉटर जलकृषि संस्थान द्वारा आयोजित वर्ल्ड ब्रेकिशवॉटर जलकृषि सम्मेलन "ब्रेक्कॉन–2019"– जलकृषि में नवीनतम प्राद्योगिकी विकास" में भाग लिया। सीएए ने सीआईबीए को प्रायोजन के एक भाग के रूप में ब्रेक्कॉन–2019 के संचालन के लिए 8 लाख रुपयों का योगदान दिया है। सदस्य सचिव, सीएए ने अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया और उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यक्रम को सम्मानित किया और वक्ताओं और अन्य वीआईपी को मंच पर सम्मानित किया। उन्होंने तकनीकी सत्र में ''जलकृषि निविष्टी विनियमों में सीएए की भूमिका'' पर एक प्रस्तुति दी। स्टाल में हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण, फार्मों और जलकृषि निविष्टियों जैसी विभिन्न गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। लगभग 1000 हैचरी मालिकोंध्संचालकों, किसानों, निविष्टी आपूर्तिकर्ताओंय राज्य/केंद्र सरकार अधिकारी भी शामिल हुए।

III. गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

क. प्राधिकरण की बैठक और प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां

चालू वर्ष के दौरान, यानी अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक, सीएए ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य बैठकों के अलावा तीन प्राधिकरण बैठकें आयोजित की गईं।

1. प्राधिकरण की बैठकें

वर्ष के दौरान, प्राधिकरण की तीन नियमित बैठकें आयोजित की गई थी; बैठकों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण तालिका 1 में संक्षेपित किया गया है। पंजीकरण के लिए आवेदनों को मंजूरी देने के अलावा, प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जैसे कि सीएए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अनुमत हैचरियों/फार्मों को कारण बताओ नोटिस/बंद करने के आदेश जारी करना, जलकृषि गतिविधियों के कारण उठाई गई सामाजिक समस्याओं के खिलाफ कार्रवाई, अपंजीकृत हैचरियों के खिलाफ कार्रवाई, हैचरियों की पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा, फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की निगरानी, विदेशी झींगा ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने के लिए वैश्विक विज्ञापन, पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक एसपीएफ एल. वन्नामेई के परिवहन के लिए हवाई मालभाड़ा कनेक्टिविटी और तटीय जलीय कृषि आदानों के पंजीकरण आदि।

प्राधिकरण की बैठकें प्रगतिधीन

तालिका 1: तटीय जलकृषि प्राधिकरण की बैठकें (अप्रैल 2018– मार्च 2019)

<table>
<tr><th>बैठकें</th><th>तिथि और स्थान</th><th>बैठक में लिए गए अहम फैसले</th></tr>
<tr><td>साठवीं बैठक</td><td>4 सितंबर, 2018</td><td rowspan="3">3,008 झींगा फार्मों के पंजीकरण को मंजूरी दी
1503 झींगा फार्मों के नवीनीकरण पंजीकरण को मंजूरी दी
282 झींगा फार्मों को एसपीएफ एल.वन्नामेई के कल्चर की अनुमति देने का संकल्प लिया।
पंजीकरण और एलओपी जारी करने के लिए 12 हैचरियों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।
एसपीएफ एल.वन्नामेई और बीज उत्पादन के लिए 88 नौप्ली पालन केंद्रों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।
2022 एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों के पंजीकरण को मंजूरी दी।
10 से 12 सितंबर, 2018 को कंपनियों द्वारा की गई व्यक्तिगत प्रस्तुति के आधार पर भारतीय हैचरियों को एसपीएफ एल. वन्नामेईध्पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को नोट किया गया और अनुमोदित किया गया।
प्राधिकरण द्वारा सीएए कार्यालय को नए परिसर में स्थानांतरित करने पर ध्यान दिया गया।
सीए एंड जी ऑडिटिंग के लिए वर्ष 2017–18 के लिए सीएए के वार्षिक खातों को मंजूरी दी.
तकनीकी मूल्यांकन समिति ने एसपीएफ एल.वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए ग्यारह योग्य आपूर्तिकर्ताओं और एसपीएफ पी. मोनोडोन के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए दो योग्य आपूर्तिकर्ताओं को अनुशंसित और अनुमोदित किया था।</td></tr>
<tr><td>इकसठवीं बैठक</td><td>10 दिसंबर 2018</td></tr>
<tr><td>बासठवीं बैठक</td><td>14 फरवरी 2019</td></tr>
</table>

2. प्राधिकरण द्वारा गठित समितियों की बैठक

(i) जलीय संगरोध सुविधा की निगरानी पर तकनीकी समिति की बैठक

नीलांकरई में स्थापित जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) के कामकाज की निगरानी और निगरानी के लिए सीएए द्वारा गठित तकनीकी समिति तकनीकी परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने और एक्यूएफ के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए नियमित रूप से बैठक करती है। चालू वर्ष के दौरान, तकनीकी समिति की दो बार बैठक हुई, बैठकों का विवरण और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय तालिका 2 में संक्षेपित हैं।

तालिका 2. वर्ष के दौरान एक्यूएफ की निगरानी पर तकनीकी समिति की बैठकें

बैठकें	तिथि और स्थान	बैठक में लिए गए अहम फैसले
16वीं बैठक	30 जुलाई, 2018	• यह निर्णय लिया गया कि पीपीएल को क्वारंटाइन करने के लिए 15 दिन पर्याप्त हैं, जिसके दौरान लार्वा अपनी एसपीएफ स्थिति सुनिश्चित करने के अलावा स्वयं को पूरी तरह से तनावमुक्त कर देगा। पीपीएल क्वारंटाइन के लिए एसओपी के मसौदे को अंतिम रूप देने पर भी सहमति हुई है और इसे जल्द से जल्द अधिसूचना के लिए मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। • एसपीएफ एल.वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए एसआईपी प्रारूप में मुद्दों पर समीक्षा की गई। • एक्यूएफ में आगामी चरण (प्ट) में संगरोध पालन प्रणाली पर एआईएसएचए और हितधारकों के प्रतिनिधियों से राय आमंत्रित करने का प्रस्ताव। • एक्यूएफ में रोगजनकों की जांच की सूची में ईएचपी को शामिल करने का निर्णय लिया गया। • एक्यूएफ में क्वारंटाइन इकाई में एक सकारात्मक खेप की पुष्टि होने की स्थिति में बाद की खेप को रद्द करने का प्रस्ताव और सुझाव दिया गया कि ऐसे मामलों को संभालने के लिए एक वर्ष में एक क्यूबिकल को आपातकालीन कक्ष के रूप में आरक्षित किया जा सकता है।

बैठकें	तिथि और स्थान	बैठक में लिए गए अहम फैसले
		• एक प्रीमियम क्यूबिकल में अतिरिक्त संख्या में ब्रूडस्टॉक्स की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। एक्यूएफ द्वारा यह सूचित किया गया था कि एक विकल्प पहले से ही एक्यूएमएस सॉफ्टवेयर में लागू किया गया है जो आयातक को एक निश्चित आरक्षण के बाद भी सामान्य से प्रीमियम क्यूबिकल में बदलने में मदद करेगा। • आवश्यक सावधानी बरतते हुए उपचारित अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने के लिए तकनीकी समिति द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और सहमति व्यक्त की गई। • यह भी बताया गया कि मौजूदा एक्यूएफ में 2 क्यूबिकल्स विशेष रूप से पी. मोनोडोन को समायोजित करने और संगरोध करने के लिए आवंटित किए जा सकते हैं, पी. मोनोडोन को क्वारंटाइन करने के लिए एक एसओपी तैयार किए जाने के बाद पर्याप्त जैव सुरक्षा उपाय करने के बाद।
सतरहवीं बैठक	28 मार्च, 2019	• एक्यूएफ के आगामी क्वारंटाइन चरण प्ट के लिए टैंक डिजाइन के अनुमोदन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। • एक्यूएफ में रोगजनकों की जांच की सूची में ईएचपी को शामिल करना और रोगजनकों की जांच के लिए उपयोगकर्ता शुल्क में संशोधन करना। • पीपीएल संगरोध के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप देना। • एक्यूएफ में प्रीमियम क्वारंटाइन क्यूबिकल की क्षमता के अनुसार अधिकतम 25 किलोग्राम बायोमास के लिए ब्रूडस्टॉक संख्या को सीमित करने का प्रस्ताव। • नमूना संग्रह तिथि से शिपिंग तिथि तक 30 दिनों की समयावधि की अधिसूचना। • निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी से प्रयोगशालाओं की सूची जो भारत में आयात किए जा रहे ब्रूडर की एसपीएफ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।

एक्यूएफ की मॉनिटरिंग पर तकनीकी समिति की बैठकें प्रगतिधीन

(ii) समिति की बैठक – विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वन्नामेई/पी. मोनोडॉन के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई)

देश में काफी संख्या में नई हैचरी के बढ़ने के कारण एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ईएमएस–मुक्त देशों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए संक्षिप्त सूची को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट द्वारा आमंत्रित करके लिया गया था। सीएए द्वारा 6 मार्च, 2018 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वन्नामेई/पी. मोनोडॉन के ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तदनुसार, 16 आपूर्तिकर्ताओं ने भारत को एसपीएफ एल. वन्नामेई/पी. मोनोडोन ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है। आवेदनों की जांच के लिए 30 जुलाई, 2018 को सीएए में आईसीएआर, एनएफडीबी और एमपीईडीए के प्रतिनिधियों वाली तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक हुई।

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से एसपीएफ एल. वन्नामेइ/पी. मोनोडन के ब्रूडस्टॉक का आयात करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु समिति बैठक प्रगतिधीन

(iii) मंत्रालय द्वारा गठित समिति

डीएएचडीएंडएफ के मार्गदर्शन में एक तकनीकी कार्य समूह का गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक 9 अप्रैल, 2018 को एंटीबायोटिक मुद्दों के समाधान के लिए बुलाई गई थी। चर्चा के लिए रखी गई समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं:

- उत्पाद के विस्तृत विवरण के साथ उचित लेबलिंग;
- उत्पाद का अनिवार्य सीएए पंजीकरण;
- इसके अनुपालन के मूल्यांकन के लिए सीएए पंजीकृत उत्पादों का परीक्षण।
- सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में उप–समिति अन्य हितधारकों के साथ भारत में जलकृषि निविष्टियों/उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री के लिए दिशानिर्देशों के विकास पर चर्चा करना।

जलकृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए जुलाई, 2018 में फिर से समिति की बैठक हुई और एंटीबायोटिक्स के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा विकसित करने पर सहमति हुई।

जलकृषि में एंटीबायोटिक्स पर मुद्दों को संबोधित करने के लिए समिति बैठक प्रगतिधीन

III. ख. तटीय एक्वा फार्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण

1. झींगा फार्मों का पंजीकरण

सीएए द्वारा पूरे किए गए प्रमुख कार्यों में से एक इस उद्देश्य के लिए गठित राज्य और जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर झींगा फार्मों का पंजीकरण था।

- प्राधिकरण ने दो महीने में एक बार नियमित रूप से आयोजित अपनी बैठकों में झींगा फार्मों के पंजीकरण के लिए जिला और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा अनुशंसित आवेदनों पर विचार किया और मार्च 2019 तक (सीएए की स्थापना के बाद से) झींगा किसानों को 38,403 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए।
- सभी 12 समुद्री राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण तालिका 3 में दिया गया है और फार्मों की संख्या के संदर्भ में उनका राज्य–वार और क्षेत्र–वार वितरण चित्र 1 और 2 में दर्शाया गया है।

पंजीकृत फार्मों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.caa.gov.in में अंतिम उपयोगकर्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

तालिका 3. 2005–2019 तक सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों के ब्योरे

क्र.सं.	राज्यों का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर) के अधीन फार्मों की सं.						फार्म का क्षेत्र	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)
1	पश्चिम बंगाल	3505	189	6	0	0	3700	3596.26	2555.98
2	ओडिशा	9439	547	31	17	0	10034	12430.4	7656.43
3	आंध्र प्रदेश	18485	1210	129	60	1	19894	28835.2	20305.82
4	तमिलनाडु	1086	652	137	19	0	1895	5419.22	3752.61
5	पुडुच्चेरी	58	4	1	0	0	63	107.72	78.45
6	केरल	1071	237	32	5	0	1346	2746.8	1877.35

क्र.सं.	राज्यों का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर) के अधीन फार्मों की सं.						फार्म का क्षेत्र	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)
7	कर्नाटक	266	42	2	2	0	312	459.16	349.78
8	गोवा	23	15	2	2	0	42	151.17	109
9	महाराष्ट्र	106	128	25	22	1	288	2277.12	1441.83
10	गुजरात	152	649	8	1	0	812	3684.14	2632.6
11	दमन एवं दीव	0	12	0	0	0	12	60	38
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4	1	0	0	0	5	22.8	5.6
	कुल	**34195**	**3686**	**373**	**128**	**2**	**38403**	**59789.9**	**40803.45**

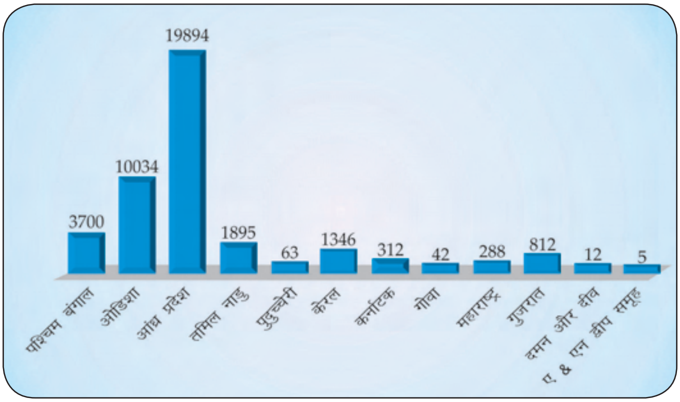

चित्र 1: 2005 से 2019 तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों की संख्या का पंजीकरण (राज्यवार)

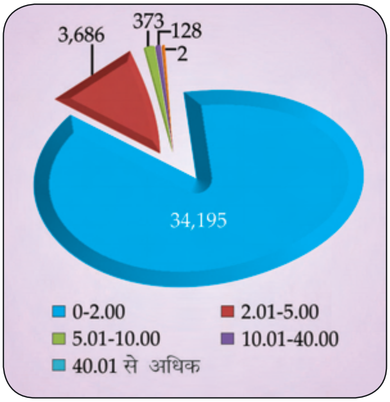

चित्र 2: 2005 से 2019 तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों की संख्या का पंजीकरण (क्षेत्रवार)

रिपोर्टाधीन वर्ष (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) के दौरान, प्राधिकरण ने 3,008 आवेदनों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए और सीधे किसानों को भेजे गए। उन लौटाए गए अप्राप्य प्रमाणपत्रों को राज्यों के एसएलसी के सदस्य संयोजकों को भेज दिया गया था,ताकि उसे प्राधिकरण की 27वीं बैठक में हल किया जाए।

12 समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान प्राधिकरण के साथ पंजीकृत फार्मों की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण तालिका 4 में दिया गया है। प्राधिकरण (राज्य–वार और क्षेत्र–वार) के साथ पंजीकृत झींगा फार्मों का विवरण दिखाने वाले चार्ट क्रमशः चित्र 3 और 4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4 : अप्रैल 2018–मार्च 2019 के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों के ब्योरे

क्र. सं.	राज्यों का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर) के अधीन फार्मों की सं.						फार्म का क्षेत्र	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)
1	पश्चिम बंगाल	431	20	0	0	0	451	318.58	218.41
2	ओडिशा	1669	123	1	0	0	1793	1923.28	1158.48
3	आंध्र प्रदेश	465	121	1	0	1	588	914.41	636.75
4	तमिलनाडु	28	7	0	0	0	35	52.42	35.32
5	पुडुच्चेरी	15	1	0	0	0	16	21.01	16.7
6	केरल	51	9	8	0	0	68	119.66	97.73
7	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
9	महाराष्ट्र	7	3	0	4	1	15	189.13	126.78
10	गुजरात	0	41	0	0	0	41	201.65	147.35
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	1	0.8	0.6
	कुल	**2667**	**325**	**10**	**4**	**2**	**3008**	**3740.94**	**2438.12**

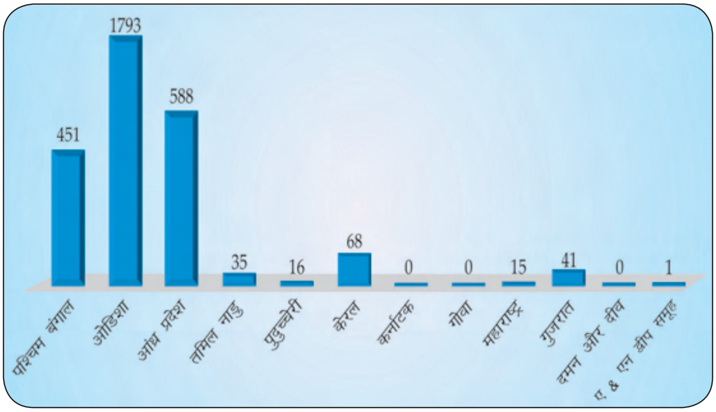

चित्र 3: वर्ष 2018–19 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों की संख्या का पंजीकरण (राज्यवार)

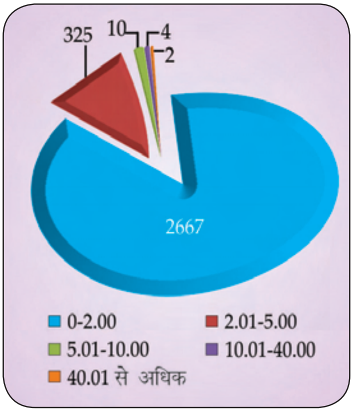

चित्र 4: वर्ष 2018–19 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों की संख्या का पंजीकरण (क्षेत्रवार)

मार्च 2019 तक पंजीकृत फार्मों का कुल क्षेत्रफल (38,403 संख्या) 59,789 हेक्टेयर था और जल प्रसार क्षेत्र 40,803 हेक्टेयर था और चालू वर्ष (3,008 संख्या) के दौरान पंजीकृत फार्मों के लिए कुल कृषि क्षेत्र और जल प्रसार क्षेत्र क्रमशः 3,740 हेक्टेयर और 2,438 हेक्टेयर था जैसा कि तालिका 3 और 4 में प्रस्तुत किया गया है जो चित्र 5 और 6 में दर्शाया गया है।

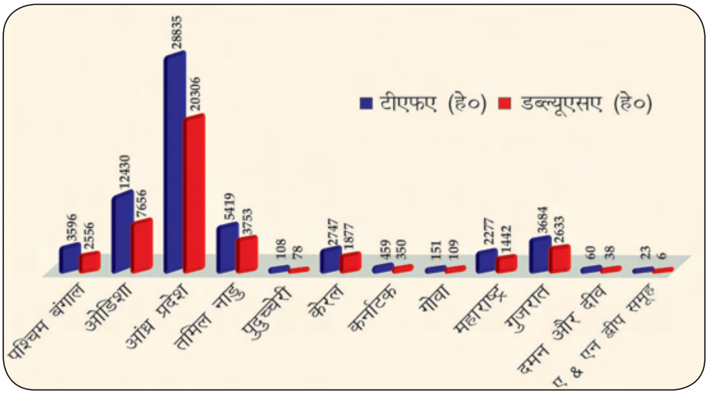

चित्र 5: दिसंबर 2005 से मार्च 2019 तक पंजीकृत फार्मों के कुल और डब्ल्यूएसए (राज्यवार)

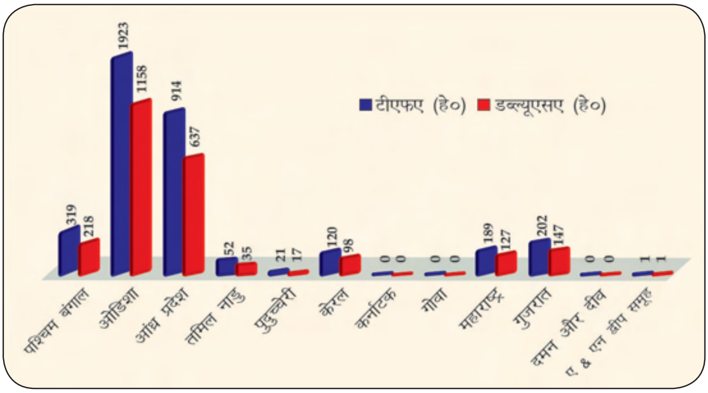

चित्र 6: वर्ष 2018–19 के दौरान पंजीकृत फार्मों के कुल और डब्ल्यूएसए (राज्यवार)

2. झींगा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण

अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के बाद प्राधिकरण के साथ तटीय एक्वा फार्मों के पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य है। सितंबर–2012 के दौरान 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया का नवीनीकरण शुरू हुआ और मार्च 2019 तक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 7295 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 5103 हेक्टेयर) के कुल क्षेत्रफल वाले 3423 फार्मों को मंजूरी दी गई।

- वर्ष के दौरान, कुल 2574 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए 1851 हेक्टेयर) क्षेत्रफल वाले किसानों से प्राप्त सभी 1503 आवेदनों पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया गयाय मूल पंजीकरण प्रमाणपत्रों में इस प्रभाव का नवीनीकरण और पृष्ठांकन किया गया है।
- 12 समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सितंबर–2012 से मार्च 2019 तक प्राधिकरण के साथ नवीनीकृत किए गए कुल फार्मों के पंजीकरण को दर्शाने वाला एक विवरण तालिका 5 में दिया गया है और इस अवधि के दौरान पंजीकरण के नवीनीकरण का राज्य–वार और क्षेत्र–वार विवरण चित्र 7 और 8 में दर्शाया गया है। चालू वर्ष (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) के दौरान नवीनीकृत फार्मों का राज्य–वार विवरण तालिका 6 में दर्शाया गया है और चालू वर्ष

के दौरान खेतों की संख्या के संदर्भ में पंजीकरण के नवीनीकरण का राज्य–वार और क्षेत्र–वार विवरण चित्र 9 और 10 में दर्शाया गया है।

चित्र 5: सितंबर 2012 से मार्च 2019 तक सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों के नवीकरण के ब्योरे

क्र. सं.	राज्यों का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर) के अधीन फार्मों की सं.						फार्म का क्षेत्र	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)
1	पश्चिम बंगाल	7	0	0	0	0	7	6	4
2	ओडिशा	1503	53	3	6	1	1566	2605.16	1554.54
3	आंध्र प्रदेश	4381	122	9	10	3	4525	7300.33	5226.46
4	तमिलनाडु	591	134	5	0	0	730	1598.097	1202.36
5	पुडुच्चेरी	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
6	केरल	157	54	1	0	0	212	339.11	255.66
7	कर्नाटक	47	6	1	0	0	54	92.25	73.71
8	गोवा	17	6	1	0	0	24	67.63	48.5
9	महाराष्ट्र	76	8	10	0	0	94	348.67	248.3
10	गुजरात	9	174	0	2	1	185	976.11	696.2
11	दमन एवं दीव	0	9	0	0	0	9	45	29
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**6793**	**566**	**30**	**18**	**5**	**7411**	**13393.83**	**9350.8**

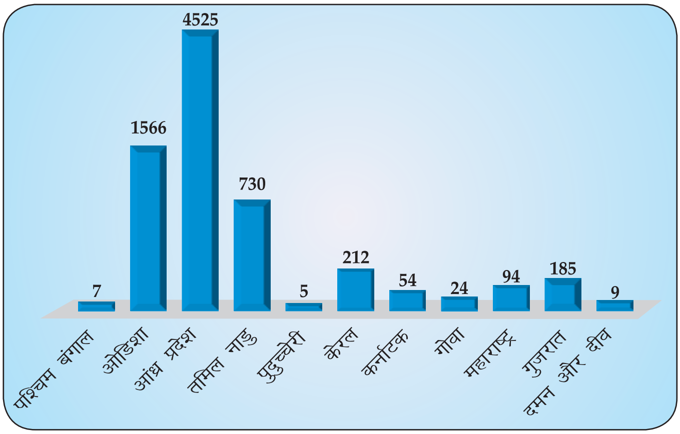

चित्र 7: 2005 से 2019 तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण की संख्या का नवीकरण (राज्यवार)

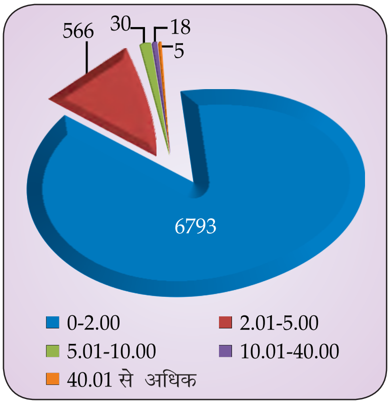

चित्र 8: 2005 से 2019 तक सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण की संख्या का नवीकरण (राज्यवार)

तालिका 6: अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान सीएए द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्रों के नवीकरण के ब्योर

क्र. सं.	राज्यों का नाम	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर) के अधीन फार्मों की सं.						फार्म का क्षेत्र	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	40.01 से अधिक	कुल	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)
1	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	ओडिशा	249	19	1	0	0	269	382.85	242.86
3	आंध्र प्रदेश	861	61	7	4	0	933	1362.64	996.95
4	तमिलनाडु	11	96	0	0	0	107	147.95	114.88
5	पुडुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	केरल	16	39	0	0	0	55	61.74	50.61
7	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	गोवा	2	0	0	0	0	2	2.85	2.57
9	महाराष्ट्र	18	1	3	0	0	22	51.67	37.3
10	गुजरात	0	114	0	1	0	115	564.61	406.70
11	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	कुल	**1157**	**330**	**11**	**5**	**0**	**1503**	**2574.31**	**1851.87**

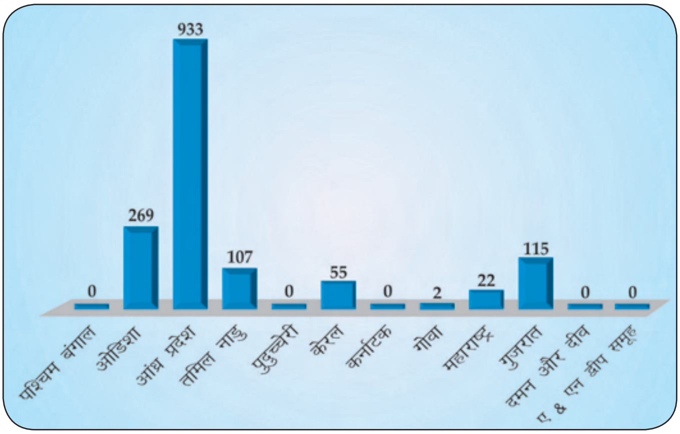

चित्र 9: वर्ष 2018–19 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण की संख्या का नवीकरण (राज्यवार)

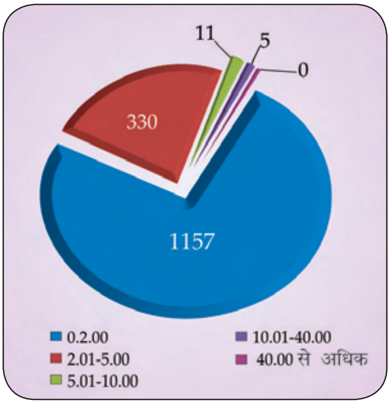

चित्र 10: वर्ष 2018–19 के दौरान सभी तटीय राज्यों में फार्मों के पंजीकरण की संख्या का नवीकरण (क्षेत्र–वार)

- 12 समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, वर्ष के दौरान झींगा फार्मों के पंजीकरण का पंजीकरण और नवीनीकरण दोनों 10 तटीय राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात), उनके क्षेत्र–वार विवरण नीचे दिए गए चित्र 11 से 19 के रूप में दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

पश्चिम बंगाल

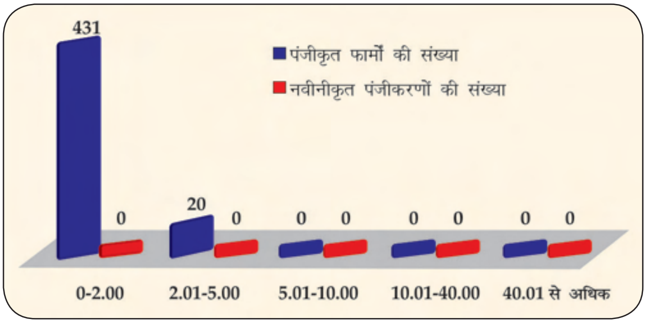

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	431	0
2.01-5.00	20	0
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
40.00 से अधिक	0	0

ओडिशा

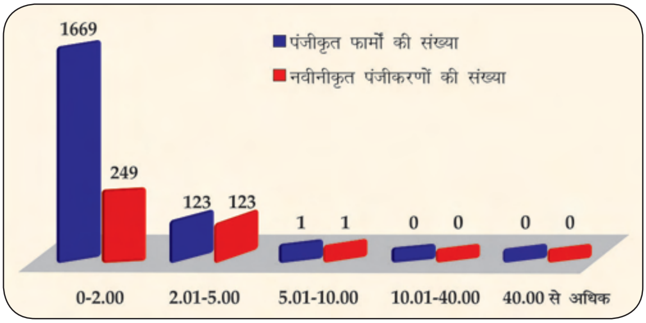

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	1669	249
2.01-5.00	123	123
5.01-10.00	1	1
10.01-40.00	0	0
40.00 से अधिक	0	0

आंध्र प्रदेश

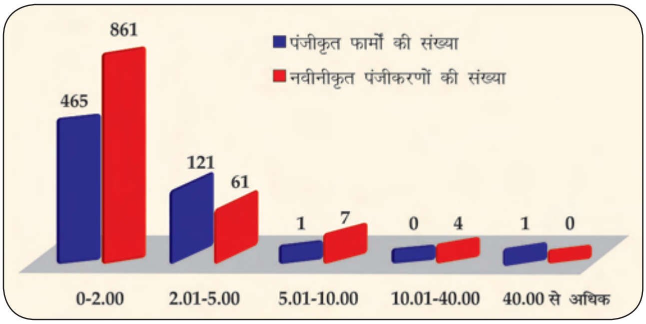

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	465	861
2.01-5.00	121	61
5.01-10.00	1	7
10.01-40.00	0	4
40.00 से अधिक	1	0

तमिलनाडु

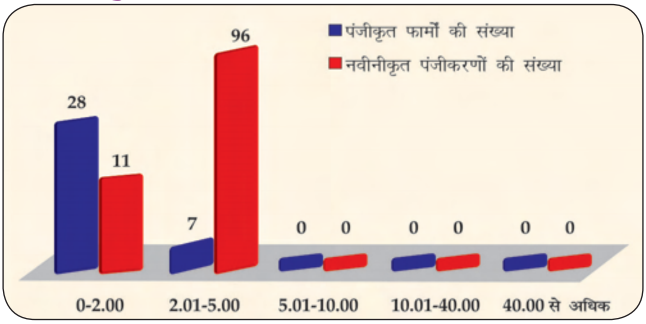

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	28	11
2.01-5.00	7	96
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
40.00 से अधिक	0	0

पांडिचेरी

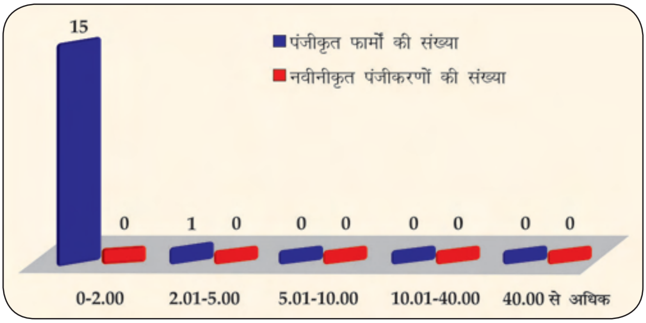

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	15	0
2.01-5.00	1	0
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
40.00 से अधिक	0	0

केरल

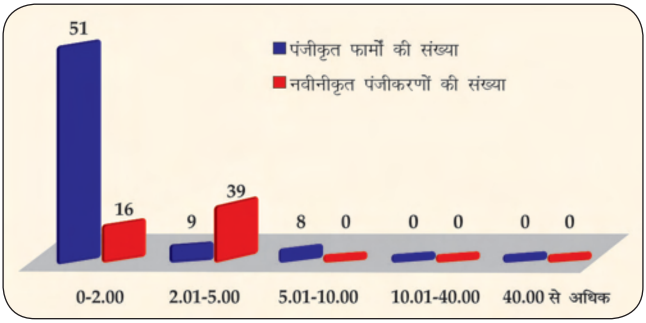

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	51	16
2.01-5.00	9	39
5.01-10.00	8	0
10.01-40.00	0	0
40.00 से अधिक	0	0

महाराष्ट्र

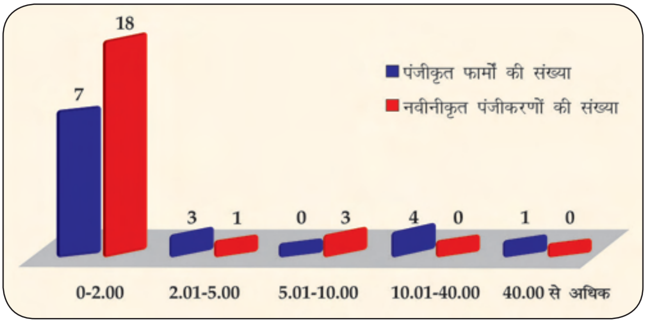

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	7	18
2.01-5.00	3	1
5.01-10.00	0	3
10.01-40.00	4	0
40.00 से अधिक	1	0

गुजरात

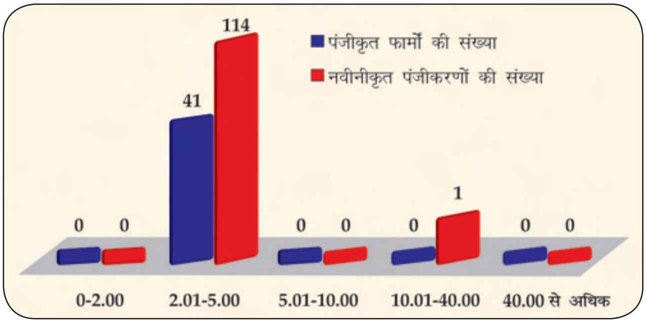

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	0	0
2.01-5.00	41	114
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	1
40.00 से अधिक	0	0

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

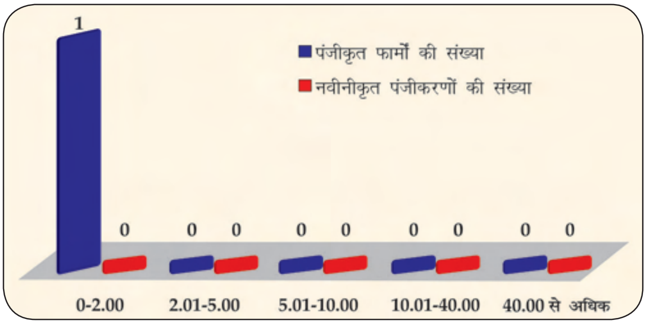

क्षेत्र (है0)	पंजीकृत फार्मों की सं.	नवीकृत पंजीकरण की सं.
0-2.00	1	0
2.01-5.00	0	0
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
40.00 से अधिक	0	0

3. सीएए द्वारा एक्वा फार्मों के पंजीकरणध्नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास

सीएए ने हाल के दिनों में ऑनलाइन के माध्यम से सिंगल विंडो आवेदन शुरू करने जिला कलेक्टरों, मत्स्य सचिवों को पत्र भेजना, तटीय राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने , पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रमुख स्थानीय भाषा दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से किसानों को संवेदनशील बनाने और सलाह देने के मामलों में कई पहल की हैं।

- पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न तटीय राज्यों के मत्स्य पालन के जिला कलेक्टरों और सचिवों को पत्र भेजे गए थे।
- किसानों को प्रमुख समाचार पत्रों, सीएए वेबसाइट के साथ–साथ एसएलसी/डीएलसी के माध्यम से सीएए के साथ फार्म पंजीकरण/नवीनीकरण तटीय जलकृषि फार्मों की आवश्यकता और पंजीकृत नहीं होने पर होने वाले परिणामों के बारे में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है।
- सीएए द्वारा तटीय राज्यों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से और सीएए की निगरानी टीम द्वारा किसानों को उनके क्षेत्र के दौरे के दौरान संवेदनशील बनाने के माध्यम से झींगा (पी. मोनोडोन, एसपीएफ एल. वन्नामेई), फिनफिश, केकड़ों आदि की फार्मिंग के लिए पंजीकरण/नवीनीकरण पर जागरूकता पैदा की जाती है।

- संबंधित संस्थानों, राज्य मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/भागीदारी में तटीय जलकृषि के साथ जुड़े प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं/जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा डीएलसी के साथ–साथ एक्वा किसानों और संबंधित हितधारकों को स्थानीय भाषाओं में तैयार ब्रोशर/हैंडआउट के वितरण द्वारा पोस्टरों में प्रदर्शित तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण/नवीनीकरण के महत्व को दर्शाता है। साथ ही, किसानों को सजा/जुर्माने के प्रावधान के बारे में शिक्षित किया जा रहा है, अगर जलकृषि उद्देश्य के लिए फार्मों को सीएए के साथ पंजीकृत नहीं किया जाता है।
- निरीक्षण टीम द्वारा अस्वीकृत फार्मों से स्टॉक को नष्ट/निपटान करना।
- एनआईसी के परामर्श से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा नए फार्मों के पंजीकरण के लिए एकल आवेदन प्रणाली शुरू करने के अंतिम चरण में है।

III. ग. एसपीएफ लिटोपेनियस वन्नामेई फार्मिंग

1. एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं का चयन

तकनीकी मूल्यांकन समिति ने सभी 16 आपूर्तिकर्ताओं (एसपीएफ एल.वन्नामेई के लिए 13 और एसपीएफ पी.मोनोडोन के लिए 3) की सिफारिश की और सीएए में चयन समिति के समक्ष 10–12 सितंबर, 2018 को एक प्रस्तुति निष्पादित करने का प्रस्ताव रखा। समिति में, सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में सीआईएफई, सीआईबीए (2), एनबीएफजीआर (2), आरजीसीए (एमपीईडीए) (2) विशेषज्ञ, एआईएसएचए, एचएपी, एसईएआई (2) के प्रतिनिधि शामिल हैं। सीएए ने (प) संस्थापक आबादी के स्रोत और मूल (पप) अपनाए गए चयन कार्यक्रमों (पपप) पीढ़ी की वर्तमान स्थिति (पअ) वर्तमान ब्रूडस्टॉक संतति का फील्ड प्रदर्शन (अ) ओआईइ मानकों के संबंध में और ईएमएस के बिना एसपीएफ और ब्रूडस्टॉक की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर और (अप) इओआई के नियमों और शर्तों से सहमत और अन्य संबंधित संगठनों जैसे सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए के साथ गहन चर्चा करके, एसपीएफ एल. वन्नामेईध्पी. मोनोडोन ब्रूडस्टॉक के आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने और चयन करने का अभ्यास किया।

प्रस्तुत किए गए 16 आपूर्तिकर्ताओं में से दो आपूर्तिकर्ता अर्थात मेसर्स चारोएन पोकफंड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड (एसपीएफ एल.वन्नामेई)/मेसर्स चारोएन पोकफंड प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड (एसपीएफ पी.मोनोडोन) और मेसर्स सी एक्वा और गोल्ड कॉइन (एसपीएफ एल.वन्नामेई) को समिति द्वारा प्रबलतापूर्वक अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि चूंकि इन आपूर्तिकर्ताओं की संस्थापक आबादी ईएमएस प्रभावित देश से हैं और इसलिए उन्होंने संदर्भित किया कि ''ईएमएस प्रभावित देशों से झींगा ब्रूडस्टॉक आयात नहीं करना है''।

कुल मिलाकर, समिति ने मार्च 2019 के महीने में एसपीएफ एल.वन्नामेई के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए ग्यारह आपूर्तिकर्ताओं और एसपीएफ पी. मोनोडोन के ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति की सिफारिश की और अनुमोदित किया।

क्रं. सं.	एसपीएफ एल. वन्नामेई के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता
1	**मै. श्रिम्प इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स पीटीई लिमिटेड.** 90, लिम चू कांग लेन 6एफ, सिंगापुर 718 873
2	**मै. श्रिम्प इम्प्रूवमेंट सिस्टम एलएलसी,** 88005, ओवरसीज हाईवे 10–166, इस्लामोरदा, फ्लोरिडा – 33036 यूएसए
3	**मै. श्रिम्प इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स हवाई एलएलसी,** 73–4460 क्वीन काहुमानु हाईवे , सुइट – 108 कैलुआ–कोना, हवाई–96740 यूएसए
4	**मै. सेनियाकुआ – जेनेटिका स्प्रिंग,** कल्ले 32रु8क 33 ऑफ 25 कार्टेटजेना कोलम्बिया
5	**मै. ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ हवाई पेसिफिक यूनिवर्सिटी,** 41–202 कलानियाना 'ओले हाईवे', वैमानलो, हवाई 96795
6	**मै. कोना बे,** सनराइज कैपिटल, इंक डीबीए कोना बे मरीन रिसोर्सेज , पी.ओ. बॉक्स नंबर 1282, केकाहा, काउई, हाय 96752
7	**मै. मोलोकाई ब्रूडस्टॉक** कंपनी, पी.ओ. बॉक्स नंबर.1978, कौनाकाकाई, मोलोकाई, हवाई 96748 यूएससए
8	**मै. पीटी. बिबिट उंग्गुल,** जे1, राया बयान, दुसुन मोंटोंग पाल, रेम्पेक, गंगा लोम्बोक उतर, इंडोनेशिया.
9	**क मै. ब्लू जेनेटिक्स मेक्सिको** इसाबेल ला कैटोलिका न्यूमरो 2100–9, कोलोनिया सेंट्रो, ला पाज, बाजा कैलिफोर्निया सुर, मेक्सिको
10	**मै. अमेरिकन पेनाइड** एसपीएफ जेनेटिक्स सेंटर पाइन आइलैंड, फ्लोरिडा, यूएसए
11	**मै. सी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट,** एलएलसी, 1521 डब्ल्यू. मार्केट सेंट, सुइट डी.रॉकपोर्ट, टेक्सास, 78382–6221. यूएसए

क्र.सं.	एसपीएफ पी. मोनोडोन के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता
12	**मै. मोआना टेक्नोलॉजीस एलएलसी,,** 73–4460 क्वीन काहुमानु हाईवे रु121, कैलुआ–कोना – हाय 96740– यूएसए
13	**मै. एक्वाकल्चर डे ला महाजम्बा,** बीपी 6070–101, एंटानानारिवो–मेडागास्कर

उपरोक्त आपूर्तिकर्ताओं का विवरण वर्ष 2018–19 के दौरान सूची में शामिल किया गया था और 18.03.2019 को सीएए वेबसाइट में भी होस्ट किया गया था और डीएएचडीएंडएफ को एसपीएफ एल. वन्नामेई और पी. मोनोडोन ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए केवल इन स्रोतों से एसआईपी जारी करने के लिए सूचित किया गया है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ईएमएस की व्यापकता के कारण आयातकों को इन स्रोतों से ब्रूडस्टॉक का आयात करते समय उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। बाद में उन्हें सलाह दी गई कि चूंकि ओआईई (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) ने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्षेत्र (जैसे चीन, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम) के चार देशों को ईएमएस के रूप में प्रभावित होने की सूचना दी है, इसलिए अन्य देशों से ब्रूडस्टॉक का आयात जो ईएमएस से मुक्त होने की सूचना है, निर्यातक देशों से आवश्यक प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने के अधीन और सीमा–पूर्व संगरोध आवश्यकताओं को पूरा करने पर विचार किया जा सकता है।

ब्रूडस्टॉक की व्यक्तिगत प्रस्तुतियां प्रगतिधीन

2. वर्ष 2018–19 में एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक का आयात

- सीएए ने एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए जैव सुरक्षित हैचरियों में बीज उत्पादन के लिए और जैव सुरक्षित फार्मों में एसपीएफ एल. वन्नामेई की फार्मिंग के लिए भी स्वीकृति प्रदान की। सीएए नियमित रूप से हैचरियों और फार्मों का निरीक्षण भी करता है। हैचरियों और फार्मों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि ईटीएस से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- नया पंजीकरण जारी करने के लिए हैचरी संचालकों से प्राप्त सभी आवेदनों की जांच के बाद सीएए द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने उनकी सुविधाओं का मूल्यांकन करने और उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए हैचरियों का

निरीक्षण किया। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर 12 नई हैचरियों (तमिलनाडु में तीन, आंध्र प्रदेश में सात और गुजरात में 2) को प्राधिकरण द्वारा (60वीं से 62वीं बैठक में) ब्रूडस्टॉक के आयात और 2018–19 के दौरान एसपीएफ एल. वन्नामेई के बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी गई और सभी 12 हैचरियों के लिए ब्रूडस्टॉक आयात करने के लिए एलओपी जारी किए गए थे।

- 2018–19 के दौरान प्राधिकरण की 60वीं से 62वीं बैठक के दौरान 12 नई हैचरियों के लिए एलओपी को हैचरियों के अनुमोदन के साथ अनुमोदित किया गया था।
- कुल मिलाकर, अब तक 310 हैचरियों (तमिलनाडु में 68, आंध्र प्रदेश में 227, ओडिशा में छह, गुजरात में आठ और कर्नाटक में एक) को 31,568 मिलियन पोस्ट लार्वा प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ अनुमति पत्र जारी किए गए हैं और उन्हें वर्ष 2018–19 के लिए एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के 7,93,400 नंबर आयात करने की अनुमति दी गई थी। एलओपी की वैधता 31.03.2020 तक है। अनुमोदित हैचरियों का राज्य–वार विवरण उनकी उत्पादन क्षमता के साथ तालिका 7 में प्रस्तुत किया गया है प्रतिशत पर उनका वितरण चित्र 20 में दर्शाया गया है।

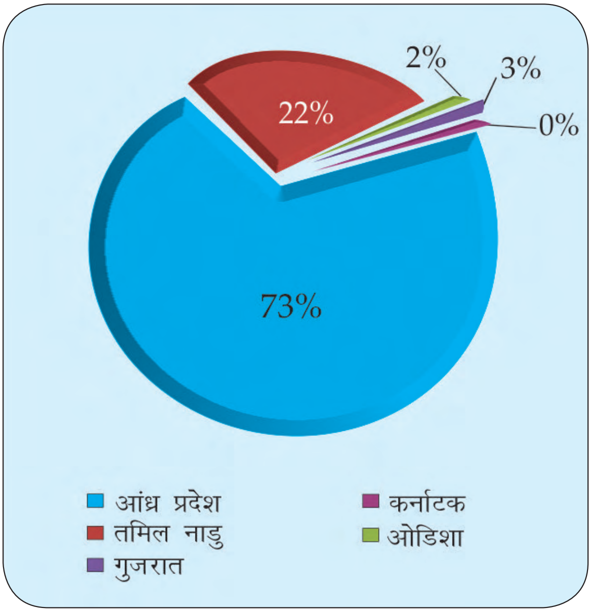

चित्र 20: 2018–19 के दौरान एल. वान्नामेई हैचरियों का राज्यवार वितरण

एल. वान्नामेई हैचरियों का निरीक्षण

एल. वेन्नामेई हैचरियों में कम्पाउंड दीवार और वाहन टायर धुलाई

एल. वेन्नामेई हैचरियों में पैर और हाथ धुलाई

एल. वेन्नामेई हैचरियों में जल उपचार और फिल्टरेशन प्रणालियां

एल. वेन्नामेई हैचरियों में शावर और ड्रेसिंग रूम

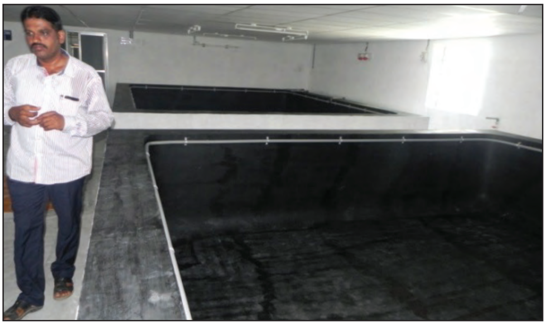

एल. वेन्नामेई हैचरियों में मेच्यूरेशन सेक्शन

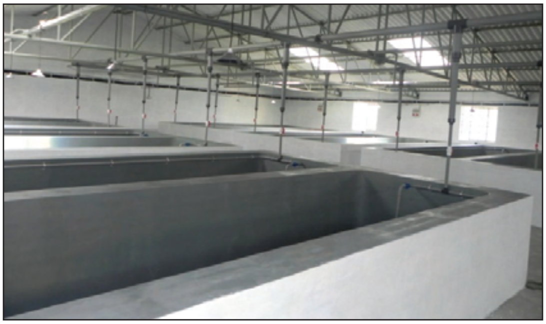

एल. वेन्नामेई हैचरियों में लारवाल रियरिंग सेक्शन

एल. वेन्नामेई हैचरियों में अरटेमिया सेक्शन

एल. वेन्नामेई हैचरियों में इनडोर अलगल कल्चर

एल. वेन्नामेई हैचरियों में आउटडोर अलगल कल्चर

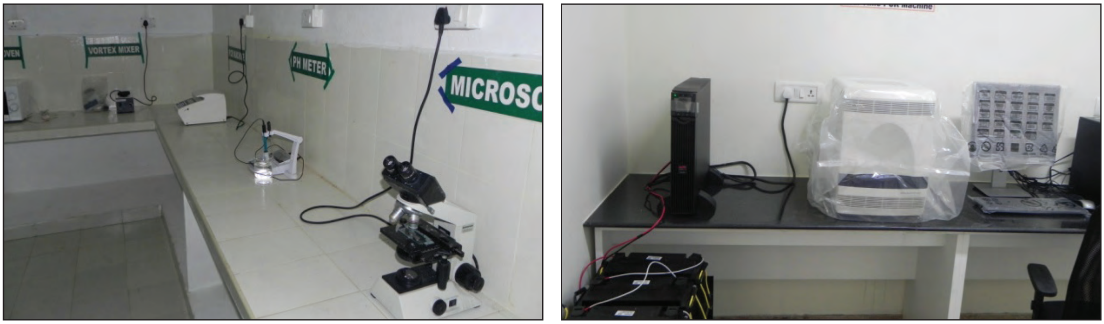

एल. वेन्नामेई हैचरियों में प्रयोगशालाएँ

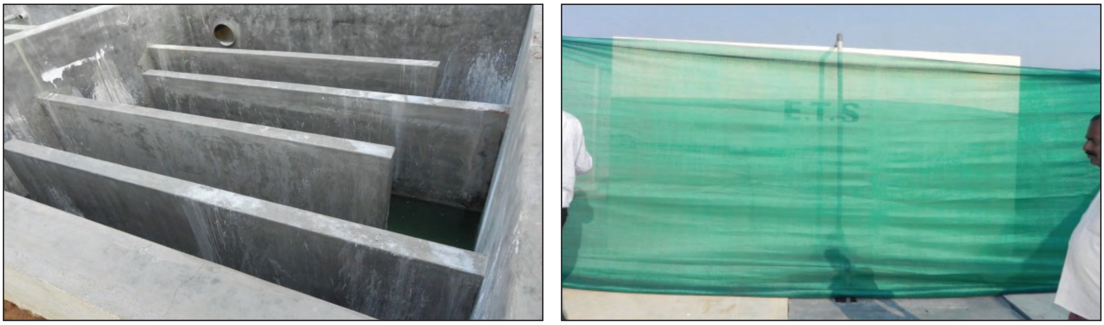

एल. वेन्नामेई हैचरियों में बैफल वॉल्स और एफ्फल्यूंट ट्रीटमेंट सिस्टम

एल. वेन्नामेई हैचरियों में निरीक्षण दल का दौरा

तालिका 7: वर्ष 2018–19 के लिए सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल. वेन्नामेई हैचरियों का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/जिला	अनुमत हैचरियों की सं.	बीज उत्पादन क्षमता (मिलियन/वार्षिक)	अनुमत ब्रूडस्टॉक की संख्या (सं.)
1	**तमिलनाडु**			
	क) विल्लुपुरम	35	3140	82000
	ख) कांचीपुरम	27	2069	54000
	ग) नागापट्टिनम	4	550	14800
	घ) कुड्डालोर	1	120	3200
	ङ) रामन्द	1	50	1200
	उपजोड़	**68**	**5929**	**155200**
2	**आंध्र प्रदेश**			
	क) नेल्लोर	72	7205	179200
	ख) प्रकाशम	32	4655	112800
	ग) गुंटूर	10	1553	36200
	घ) ईस्ट गोदावरी	75	6577	168000
	ङ) विशाखापत्तनम	28	2962	74000
	च) विजीअंगारम	8	810	21200
	छ) श्रीकाकुलम	2	240	6000
	उपजोड़	**227**	**24002**	**597400**
	ओडिशा			
	क) पुरी	1	90	2400
3	ख) गंजम	5	492	12000
	उपजोड़	**6**	**582**	**14400**
	गुजरात			
	क) जुनागढ़	2	95	2800
	ख) वलसाड	1	40	1200
	ग) गिर–सोमनाथ	2	300	7200
4	घ) पोरबंदर	3	560	13600
	उपजोड़	**8**	**995**	**24800**
	कर्नाटक –			
5	उत्तर कन्नड	1	60	1600
	कुल	**310**	**31568**	**793400**

3. भारत में एसपीएफ एल.वन्नामेई हैचरियों का विकास

भारत में दस वर्षों की छोटी अवधि के भीतर एल. वन्नामेई हैचरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई थी। कार्यक्रम (जुलाई 2009) के प्रारंभ से एल. वन्नामेई हैचरियों की संख्या में नौ के साथ लगातार वृद्धि हुई है, और 2019 मार्च के दौरान 31,568 मिलियन बीजों/वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 310 हैचरियों के स्तर पर पहुंच गया ।

सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरियों की स्थापना (जुलाई 2009) से देश में मार्च 2019 तक की वृद्धि तालिका 8 में प्रस्तुत की गई है और 2018–19 की अवधि के दौरान हैचरियों में राज्य–वार वृद्धि को चित्र 21 और चित्र 22 में दर्शाया गया है।

तालिका 8 भारत में सीएए से अनुमोदित एल. वेन्नामेई हैचरियों की वृद्धि प्रारंभ (जुलाई 2009) से मार्च 2019 तक

वर्ष	अनुमत हैचरियों की सं.	उत्पादन क्षमता (मिलियन पीएल)	ब्रूडस्टॉक की सं.	
			अनुमत (जोड़े)	आयातित (जोड़े)
2008-09	9	-	-	-
2009-10	24	615	15,300	12,367
2010-11	21	1329	16100	10733
2011-12	74	5608	48720	18980
2012-13	105	8295	66360	64580
2013-14	117	8776	70,208	52,818
2014-15	183	13928	165156	99899
2015-16	259	24209	302632	93802*
2016-17	281	26783	339300	113426*
2017-18	298	29155	368300	144566*
2018-19	310	31568	396700	124790*

* ब्रूडस्टॉक्स संख्या 187603 (169458 आयातित और 18145 आरजीसीए से खरीदे गए) जोड़े में दिए गए हैं

* ब्रूडस्टॉक्स संख्या 226851 (204721 आयातित और 22130 आरजीसीए से खरीदे गए) जोड़े में दिए गए हैं

* ब्रूडस्टॉक्स संख्या 289131 257101 आयातित और 32030 आरजीसीए से खरीदे गए) जोड़े में दिए गए हैं

* ब्रूडस्टॉक्स संख्या 249580 (231140 आयातित और 18440 आरजीसीए से खरीदे गए) जोड़े में दिए गए हैं

चित्र 21: भारत में सीएए से अनुमोदित एल. वेन्नामेई हैचरियों की वृद्धि प्रारंभ (जुलाई 2009) से मार्च 2019 तक

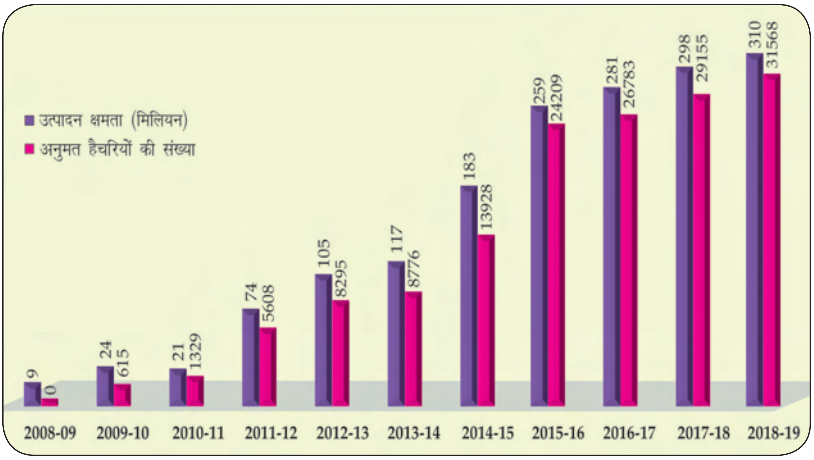

चित्र 22: विभिन्न राज्यों में सीएए से अनुमोदित एल. वेन्नामेई हैचरियों की वृद्धि प्रारंभ (जुलाई 2009) से मार्च 2019 तक

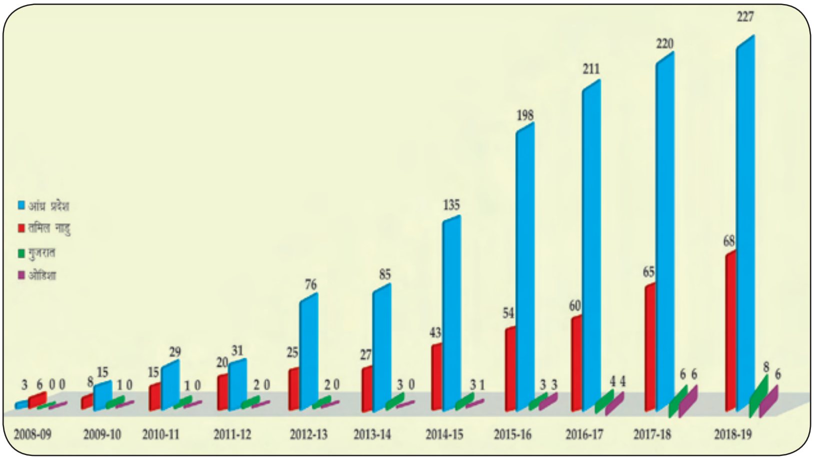

हैचरियों की सुविधा के लिए, बेहतर गुणवत्ता वाले एसपीएफ एल. वन्नामेई बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सीएए ने निम्नलिखित उपाए को लागू किए हैं:

- डीएएचडीएंडएफ द्वारा हैचरियों के पंजीकरण के संबंध में सीएए नियम, 2005 के अनुबंध–1 में दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किया गया था, ताकि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय क्षेत्रों में सभी झींगा हैचरियों (पी. मोनोडोन सहित) को शामिल किया जा सके।
- पूर्व निरीक्षण के तुरंत बाद प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए रखने से पहले और एलओपी जारी करने में देरी से बचने के लिए, प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, निरीक्षण टीम की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन प्रदान करके हैचरियों के पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया।
- हर साल एलओपी के मुद्दे को निपटाने के लिए एलओपी जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरूआत की गई जिसके द्वारा डीएएचडीएंडएफ प्रत्येक हैचरी की अनुशंसित क्षमता के अनुसार एसआईपी जारी करता है जैसा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है।

- कल्चरड उत्पादों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले एंटीबायोटिक मुक्त बीजों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, बीज उत्पादन में केवल सीएए अनुमोदित एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टियों के प्रयोग का समर्थन किया गया।
- संघ के अग्रणी हैचरी में किए गए नौप्ली उत्पादन को प्राप्त करने के लिए भागीदार हैचरियों (जिनका परिपक्वता प्रदर्शन खराब है) की मदद करने हेतु अग्रणी हैचरी की उत्पादन क्षमता के आधार पर हैचरियों के संघ के अनुमोदन को जारी रखा गया है।

4. एसपीएफ एल.वन्नामेई बीज उत्पादन के लिए नौप्ली पालन केंद्रों (एनआरसीएस) की स्थापना

भारत में पांच वर्षों की छोटी अवधि के भीतर एसपीएफ एल.वन्नामेई के लिए नौप्ली पालन केंद्रों (एनआरसी) की आश्चर्यजनक वृद्धि हासिल की गई थी। कार्यक्रम (2015–16) के प्रारंभ से पांच के साथ एनआरसीएस की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और मार्च 2019 के दौरान 7069 मिलियन बीजों/वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 64 हैचरियों के स्तर पर पहुंच गया।

सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ एल.वन्नामेई हैचरियों के लिए नौप्ली पालन केंद्रों की वृद्धि (2015–16) से देश में मार्च 2019 तक तालिका 9 में प्रस्तुत की गई है और हैचरियों के नौप्ली पालन केंद्रों की वर्ष–वार वृद्धि को चित्र 23 में दर्शाया गया है।

तालिका 9 : भारत में नौपली पालन केंद्रों का विकास प्रारंभ (2015–16) से मार्च 2018–19 तक

क्र.सं.	राज्य	जिला	अनुमत एनआरसी की सं.				क्षमता (मिलियनों में)			
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	1	6	15	41	40	675	885	3648
		प्रकाशम	2	1	3	2	125	40	415	885
		नेल्लोर	0	1	4	2	0	70	270	392
		विशाखापत्तनम			1	6			100	822
		विजियांगाराम			1	4			60	440
		कृष्णा			1	3			60	294
		गुंटूर			1	1			80	258
		श्रीककुलम				1				160
2	तमिलनाडु	विल्लूपुरम	1	1	5		100	30	1615	
		कांचीपुरम				3				110
		नागापट्टनम				1				60
3	केरल	एरणाकुलम	1				2			
4	गुजरात	सोमनाथ		1				100		
कुल			**5**	**10**	**31**	**64**	**267**	**915**	**3485**	**7069**

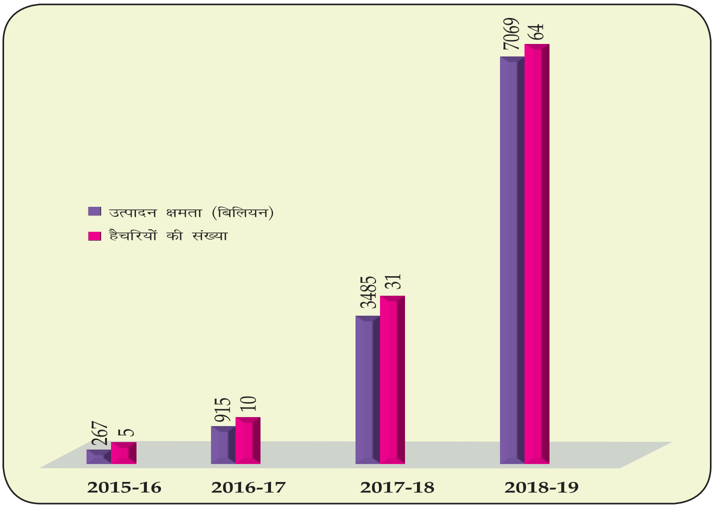

चित्र 23: भारत में नौपली पालन केंद्रों का विकास प्रारंभ (2015–16) से मार्च 2018–19 तक वर्षवार

एनआरसी मुख्य रूप से पूर्वी तट के तटीय राज्यों में केंद्रित हैं। निरीक्षण टीम की सिफारिश के आधार पर, सीएए ने 2018–19 के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 7069 मिलियन बीजों/वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 64 नौप्ली पालन केंद्रों को पंजीकृत किया है। 64 नौप्ली पालन केंद्रों में से 60 हैचरियां आंध्र प्रदेश में और चार हैचरियां तमिलनाडु में स्थित हैं।

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले ने 3648 मिलियन बीजों की उत्पादन क्षमता के साथ सबसे अधिक 41 एनआरसी पंजीकृत किए हैं, इसके बाद प्रकाशम और विशाखापत्तनम ने 885 मिलियन और 822 मिलियन बीजों/वर्ष की आठ एनआरसी पंजीकृत किए हैं।

तीन एनआरसीएस कांचीपुरम में और एक तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में पंजीकृत है, जिसकी उत्पादन क्षमता 110 और 60 मिलियन बीज/वर्ष है। 2018–19 के दौरान भारत में नौप्ली पालन केंद्रों की वृद्धि को तालिका 10 में दर्शाया गया है और चालू वर्ष के दौरान एनआरसीएस की संख्या के संदर्भ में राज्य–वार को चित्र 24 में दर्शाया गया है।

तालिका 10 : 2018–19 के दौरान भारत में नौपली पालन केंद्रों का विकास

क्र.सं.	राज्य	जिला	अनुमत हैचरियों की सं.	क्षमता (मिलियनों में)
1	तमिलनाडु	कांचीपुरम	**3**	**110**
		नागापट्टनम	1	60
2	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	41	3648
		गुंटूर	1	258
		कृष्णा	3	294
		नेल्लोर	2	392
		प्रकाशम	2	885
		विशाखापत्तनम	6	822
		श्रीककुलम	1	160
		विजियांगाराम	4	440
	कुल		**64**	**7069**

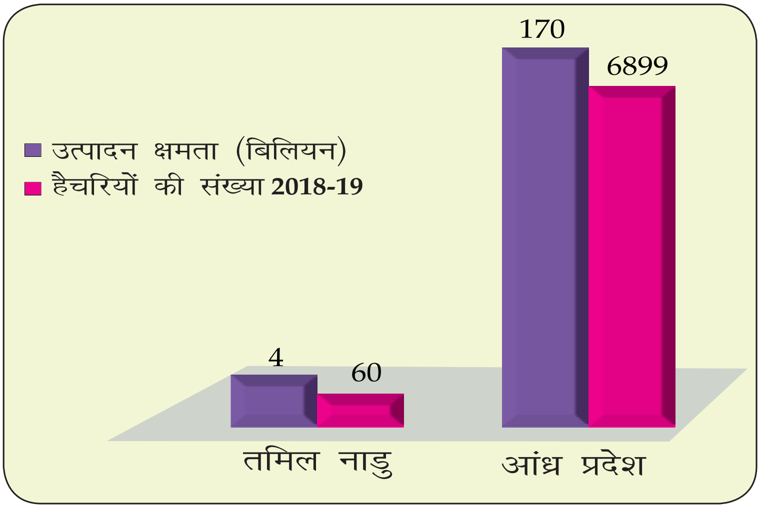

चित्र 24: वर्ष 2018–19 के दौरान तटीय राज्यों में नौपली पालन केंद्रों (राज्यवार) का विकास

5. कल्चर एसपीएफ एल.वन्नामेई के लिए झींगा फार्मों की अनुमति

एसपीएफ एल.वन्नामेई कल्चर को अपनाने के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया और एसपीएफ एल.वन्नामेई कल्चर के लिए आवश्यक निम्नलिखित जैव सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए सीएए द्वारा गठित निरीक्षण टीम द्वारा फार्मों का निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है:

i) फार्मों की परिधीय बाड़ लगाना
ii) केकड़ा बाड़ लगाना
iii) जल सेवन जलाशय
iv) बर्ड नेटिंग/बर्ड स्केयर्स की स्थापना
v) प्रवाह उपचार प्रणाली (ईटीएस)

6. एसपीएफ एल.वन्नामेई फार्मिंग का राज्य–वार प्रदर्शन

वर्ष 2018–19 के दौरान, प्राधिकरण ने 421 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 269 हेक्टेयर के डब्ल्यूएसए के साथ 282 फार्मों को पंजीकृत किया और पांच समुद्री राज्यों में वितरित किया, जिनमें से ओडिशा 239 फार्मों के पंजीकरण के साथ प्रथम स्थान पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 329 हेक्टेयर और डब्ल्यूएसए 202 हेक्टेयर है। 27 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 22 हेक्टेयर के डब्ल्यूएसए के साथ 15 फार्मों के पंजीकरण के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, इसके बाद तमिलनाडु में 39 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 26 हेक्टेयर के डब्ल्यूएसए के साथ 15 फार्मों का पंजीकरण हुआ, इसके बाद पांडिचेरी में 16 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 12 हेक्टेयर डब्ल्यूएसए के साथ 10 फार्मों का पंजीकरण हुआ और महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 7 हेक्टेयर के डब्ल्यूएसए के साथ 2 फार्मों का पंजीकरण हुआ। एसपीएफ एल.वन्नामेई फार्मिंग के लिए सभी 282 फार्मों को एलओपी जारी किए गए थे। इन फार्मों में सीएए द्वारा अनुमोदित, हैचरियों द्वारा आपूर्ति किए गए एसपीएफ बीजों (पीएल 12–15) को स्टॉक किया गया था और फसल कटाई के तहत जैव सुरक्षित परिस्थितियों में फार्मिंग का संचालन जारी रहा।

वर्ष के दौरान जिन फार्मों के लिए पंजीकरण और एलओपी जारी किए गए, उनका राज्य–वार विवरण तालिका 11 में दिया गया है और उनका प्रतिशत वितरण चित्र 25 में दर्शाया गया है। विभिन्न राज्यों में फार्मों का क्षेत्रवार वितरण चित्र 26 में दर्शाया गया है।

एल. वेन्नामेई फार्मों का दृश्य

एल. वेन्नामेई फार्मों में बेरियर के साथ फार्म फेंसिंग

एल. वेन्नामेई फार्मों में बर्ड फेंसिंग

एल. वेन्नामेई फार्मों में क्रैब फेंसिंग

एल. वेन्नामेई फार्मों में जल उपचार हेतु रिजर्वर और व्यर्थ जल उपचार हेतु ईटीएस

तालिका 11: अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक एसपीएफ एल वन्नामेई फार्मों की अनुमति के राज्यवार ब्योरे

क्र.सं.	राज्य	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए
1	आंध्र प्रदेश	16	27	22
2	तमिलनाडु	15	39	26
3	गुजरात	0	0	0
4	महाराष्ट्र	2	10	7
5	कर्नाटक	0	0	0
6	उड़ीसा	239	329	202
7	गोवा	0	0	0
8	पांडिचेरी	10	16	12
9	दमन एवं दीव	0	0	0
10	पश्चिम बंगाल	0	0	0
11	केरल	0	0	0
	कुल	**282**	**421**	**269**

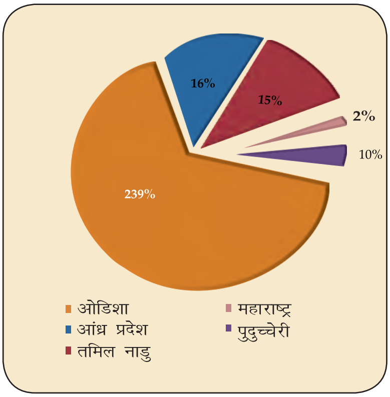

चित्र 25 : वर्ष 2018–19 के लिए सीएए अनुमोदित एल वन्नामेई फार्मों का वितरण

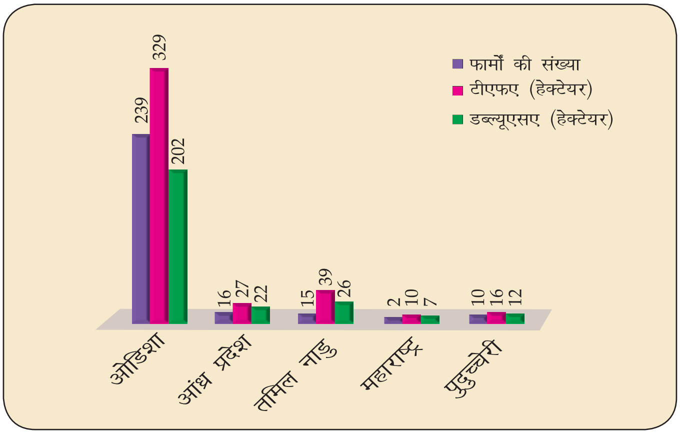

चित्र 26: चालू वर्ष 2018–19 में अनुमत एल वन्नामेई फार्मों के ब्योरे

सीएए ने अब तक 12,939 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र और 8,652 हेक्टेयर के डब्ल्यूएसए का आवरण करते हुए, 2,716 एसपीएफ एल वन्नामेई फार्मों को मार्च 2019 तक पंजीकृत और एलओपी जारी कर चुका है, फार्मों का राज्यवार विवरण तालिका 12 में प्रस्तुत किया गया है, उनका प्रतिशत वितरण चित्र 27 में दर्शाया गया है और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार वितरण को चित्र 28 में दर्शाया गया है।

तालिका 12 : अनुमत फार्मो एसपीएफ एल वन्नामेई की अनुमति के राज्यवार ब्योरे प्रारंभ (दिसंबर 2009) से मार्च

क्र.सं.	राज्य	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए
1	आंध्र प्रदेश	718	6265.73	4312.19
2	तमिलनाडु	191	1211.2	836.34
3	गुजरात	97	1075.88	769.69
4	महाराष्ट्र	55	1247.29	755.73
5	कर्नाटक	24	72.68	56.97
6	उड़ीसा	1598	2884.43	1800.02
7	गोवा	8	40.11	28.61
8	पांडिचेरी	19	46.2	32.52
9	दमन एवं दीव	3	60	38.4
10	पश्चिम बंगाल	1	3	2
11	केरल	2	32.56	20.46
	कुल	2716	12939.08	8652.93

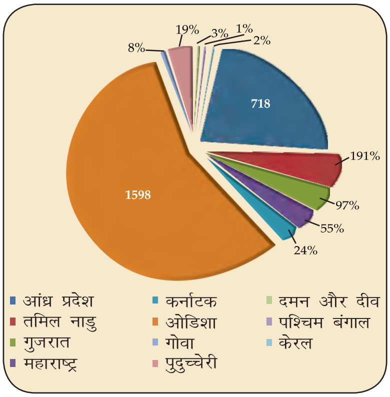

चित्र 27: दिसंबर 2009 से मार्च 2019 तक सीएए से अनुमोदित एल वन्नामेई फार्मों का वितरण

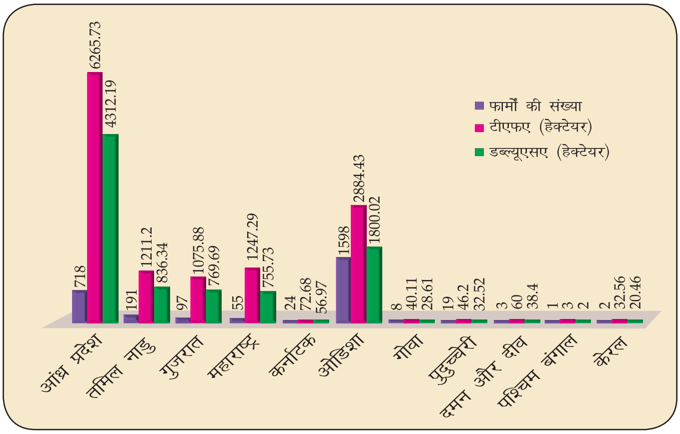

चित्र 28 : दिसंबर 2009 से मार्च 2019 तक अनुमत एल वन्नामेई फार्मों के ब्योरे

तालिका 13: 2009–10 से 2018–2019 तक सभी तटीय राज्यों में एसपीएफ एल वन्नामेई फार्मों के लिए जारी किए गए एलओपी की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए
1	आंध्र प्रदेश	87	1236.32	815.44	192	2442.23	1648.69	321	4062.03	2767.58	580	5536.61	3826.88	585	5666.5	3900.71
2	तमिलनाडु	6	90.14	55.41	38	414.35	258.82	79	691.24	472.6	113	986.54	675.05	123	1044.82	718.17
3	गुजरात	4	146	77.99	10	271	174.99	28	443.5	303.55	39	547.87	377.96	51	651.87	453.17
	महाराष्ट्र	10	272.47	168.62	13	424.47	260.12	16	514.11	291.12	29	997.9	599.97	36	1133.03	684.38
4	कर्नाटक	0	0	0	16	47.04	37.38	17	47.98	38.18	17	47.98	38.18	18	56.3	43.13
5	उड़ीसा	0	0	0	5	140.08	83.78	5	140.08	83.78	16	218.24	132.64	79	488.36	286.5
6	गोवा	0	0	0	1	5.6	2.8	1	5.6	2.8	4	23.91	16.71	6	31.11	22.09
7	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85
8	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	38.4	3	60	38.4
9	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
10	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**107**	**1744.93**	**1117.46**	**275**	**3744.77**	**2466.58**	**468**	**5921.64**	**3971.46**	**802**	**8436.12**	**5717.64**	**903**	**9152.06**	**6160.4**

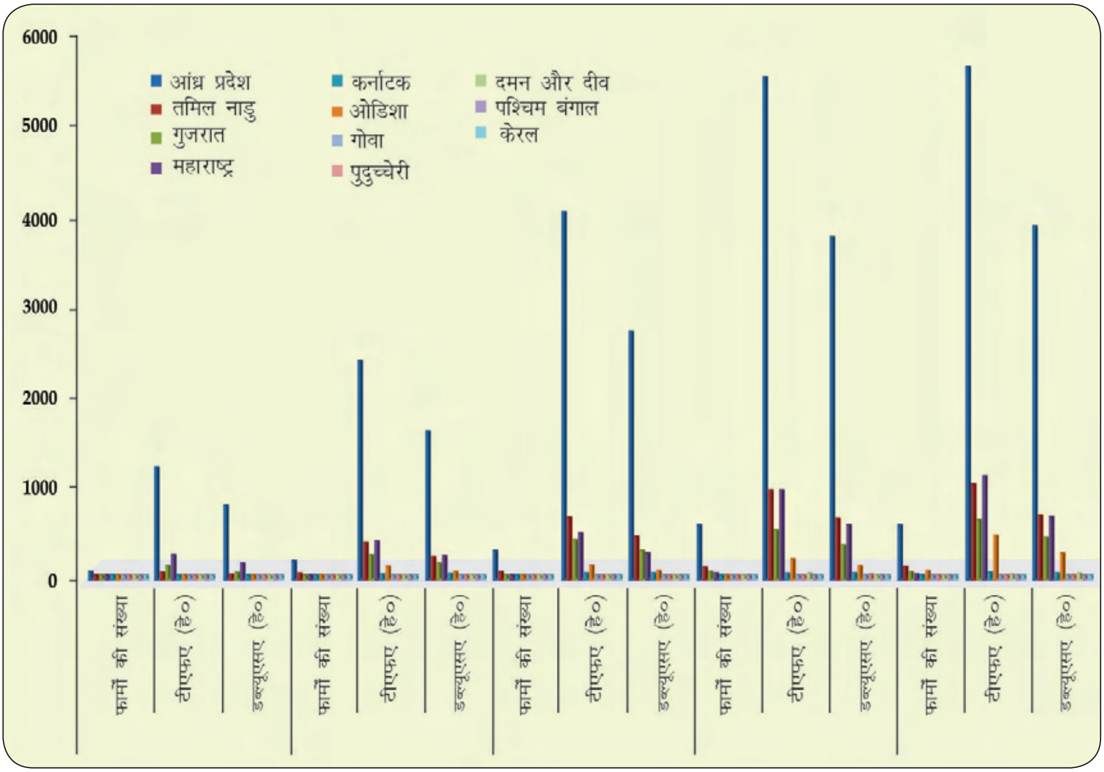

चित्र 29: दिसंबर 2009 से मार्च 2019 के दौरान एल वन्नामेई फार्मों का राज्यवार विकास

तालिका 13 जारी..

क्र.सं.	राज्य का नाम	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
		फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)	फार्मों की सं.	टीएफए (है0)	डब्ल्यूएसए (है0)
1	आंध्र प्रदेश	645	5997.32	4131.25	699	6159.65	4244.01	702	6238.5	4289.81	702	6238.5	4289.81	**16**	**27.23**	**22.38**
2	तमिलनाडु	147	1123.82	776.03	164	1153.89	799.26	164	1153.89	799.26	176	1171.84	810.52	**15**	**39.36**	**25.82**
3	गुजरात	86	904.51	638.29	97	1075.88	769.69	97	1075.88	769.69	97	1075.88	769.69	**0**	**0**	**0**
4	महाराष्ट्र	46	1192.5	724.51	51	1228.13	742.73	51	1228.13	742.73	53	1237.71	749.23	**2**	**9.58**	**6.5**
5	कर्नाटक	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	**0**	**0**	**0**
6	उड़ीसा	115	584.32	359.59	148	699.5	430.59	632	1574.85	987.8	1359	2554.94	1597.79	**239**	**329.49**	**202.23**
7	गोवा	6	31.11	22.09	7	38.11	26.81	7	38.11	26.81	8	40.11	28.61	**0**	**0**	**0**
8	पांडिचेरी	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	9	30.43	20.84	**10**	**15.77**	**11.68**
9	दमन एवं दीव	3	60	38.4	3	60	38.4	3	60	38.4	3	60	38.4	**0**	**0**	**0**
10	पश्चिम बंगाल	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	**0**	**0**	**0**
11	केरल	1	29.26	18.56	1	29.26	18.56	2	32.56	20.46	2	32.56	20.46	**0**	**0**	**0**
	कुल	**1076**	**10018.6**	**6782.04**	**1197**	**10540.21**	**7143.5**	**1685**	**11497.71**	**7748.28**	**2434**	**12517.65**	**8384.32**	**282**	**421.43**	**268.61**

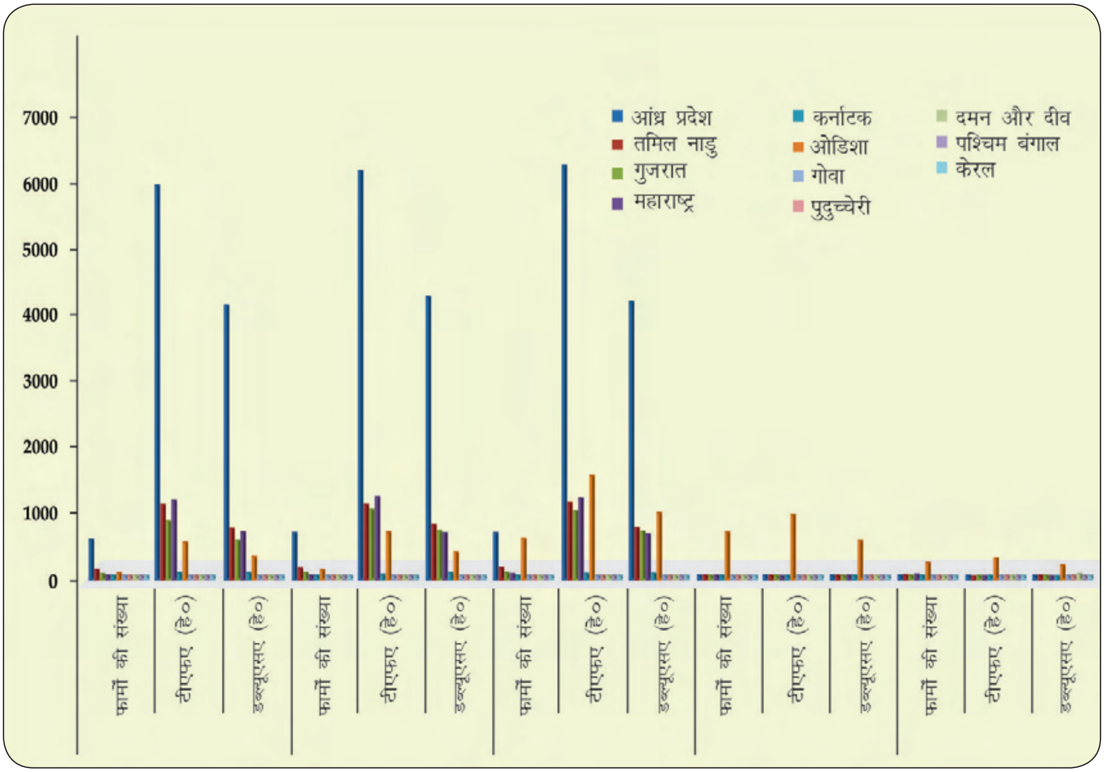

चित्र 29: जारी..

वर्ष 2009–10 से 2018–19 के दौरान सभी तटीय राज्यों में जारी एलओपी की संख्या के संदर्भ में एल वन्नामेई फार्मों की वृद्धि तालिका 13 में प्रस्तुत की गई है। 2009–10 के दौरान 1,744.9 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र के साथ शुरू में 107 फार्मों के साथ देश ने फार्मिंग में भी तेजी से वृद्धि देखी, जो दस साल की अवधि के भीतर 2018–19 के दौरान 12,939 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल और 8,652 हेक्टेयर के जल प्रसार क्षेत्र के साथ 2,716 फार्मों तक तेजी से बढ़ी है।

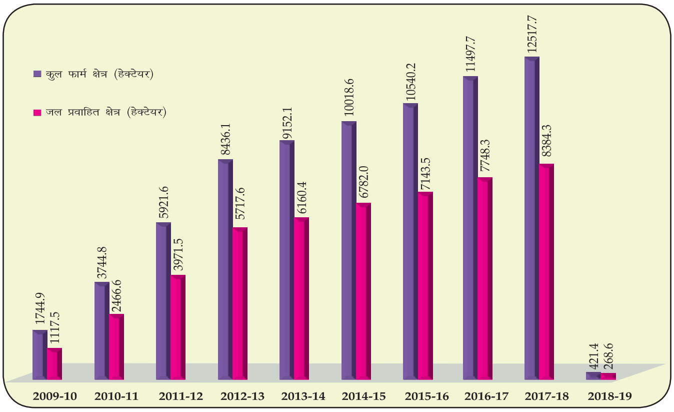

चित्र 30. वर्ष 2009–10 से 2018–19 के दौरान फार्म क्षेत्र के रूप में एल. वन्नामेई फार्मों का विकास

ओडिशा राज्य ने विकास में बहुत योगदान दिया और 2010–11 के दौरान 140.08 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र और 83.78 हेक्टेयर के जल फैलाव क्षेत्र के साथ पांच फार्मों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और 2017–18 के दौरान 980.09 हेक्टेयर के कुल कृषि क्षेत्र और 609.99 हेक्टेयर के जल फैलाव क्षेत्र के साथ 727 फार्मों के स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद तमिलनाडु में 2009–10 के दौरान 6 फार्मों (टीएफए 90.14 हेक्टेयर और डब्लूएसए 55.41 हेक्टेयर) से 2017–18 के दौरान 176 फार्मों (टीएफए 1,171.84 हेक्टेयर और डब्लूएसए 810.52 हेक्टेयर) हो गए और 2017–18 के दौरान पुडुचेरी (तीसरा स्थान) जिसमें एक फार्म के साथ जिसका कुल क्षेत्रफल 17.07 हेक्टेयर है और 11.85 हेक्टेयर के क्षेत्र में 10.32 हेक्टेयर और 6.39 हेक्टेयर वाले सात फार्मों में पानी फैला हुआ है। कुल और जल फैलाव के संदर्भ में वृद्धि को चित्र 29 में दर्शाया गया है और इस अवधि के दौरान राज्य–वार वृद्धि चित्र 30 में दी गई है।

एसपीएफ एल.वन्नामेई कल्चर को अपनाने और सीएए पंजीकरण जारी करने के लिए किसानों से प्राप्त प्रस्तावों के तेजी से प्रसंस्करण की सुविधा के लिए, क्षेत्र में तेजी से विकास का सामना करने के लिए, सीएए ने तटीय राज्यों में जिला स्तरीय टीमों (डीएलटी) का, 5 हेक्टेयर से कम पानी के फैलाव वाले क्षेत्र में फार्मों का निरीक्षण करने के लिए और आवश्यक जैव सुरक्षा आवश्यकताओं को सत्यापित करने के बाद सीएए को योग्य मामलों की सिफारिश करने के लिए गठन किया गया।

निरीक्षण दल एवं जिला स्तरीय टीमों की अनुशंसा के आधार पर सदस्य सचिव, सीएए के स्तर पर आगे की कार्यवाही की जाती है जिसके बाद प्रस्तावों को प्राधिकरण के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। सीएए की मंजूरी के बाद, खेतों का पंजीकरण किया जाता है और किसानों को एलओपी जारी किया जाता है।

7. एल.वन्नामेई हैचरियों/फार्मों की निगरानी

सीएए द्वारा, अधिकृत मॉनिटरिंग टीम द्वारा एल. वन्नामेई हैचरियों और फार्मों की निगरानी, नियमित अंतराल पर पंजीकृत फार्मों/हैचरियों का दौरा करके की गई थी ताकि आसपास के समुदायों को कृषि संबंधित नकारात्मक सामाजिक और पर्यावण ीय प्रभावों जैसे की जल प्रदूषण, बीमारी का फैलना, पलायन, आवास/सामाजिक प्रभाव आदि से बचाया जा सके। हैचरियों/फार्मों में जैविक सुरक्षा की स्थिति, उत्पादन के विधियों, प्रदर्शनों, कल्चर प्रणाली में पानी की गुणवत्ता, बीजों/झींगों का स्वास्थ्य, संचालन के कारण होने वाली पर्यावर्णीय समस्या का भी मूल्यांकन किया जाता है। परिक्षण के लिए, हैचरियों और फार्मों से खारिज किए गए अपशिष्ट जल के नमूने ईटीएस के अंतिम निर्वहन बिंदु से इसलिए भी एकत्र किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की अपशिष्ट जल पैरामीटर, सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

- वर्ष 2018–2019 के दौरान, सीएए की मॉनिटरिंग टीम ने, सीएए द्वारा अनुमति पर, कई राज्यों तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल में स्थित 67 हैचरियों और 739 झींगा फार्मों का दौरा किया। उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण किया गया और रिकार्डों को भी सत्यापित किया गया था। प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार हैचरियों को उचित रिकार्ड बनाए रखने की सलाह दी गई थी।
- हैचरियों के ईटीएस के अंतिम निर्वहन बिंदु पर एकत्र किए गए जल के नमूनों का विश्लेषण सीएए द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। सीएए ने, हैचरियों और फार्मों के उत्तराधिकारियों को, जैविक भार के प्रभाव को कम करने के लिए अपने ईटीएस में से संशोधन करने के लिए भी निर्देशित किया।

- उत्पादन सुविधाएं का निरीक्षण किया गया और रिकार्ड/पंजीकरणों का सत्यापन किया गया और आयातित ब्रूडस्टॉक की मात्रा, उनके स्त्रोत, मृत्यु दर यदि कोई हो, स्पॉनिंग, अंडे, नौप्ली, उत्पादित/बेचे गए पोस्ट लार्वा की संख्या, जिन्हें बीज बेचे गए थे उन किसानों का नाम और पता, हैचरियों/फार्मों के वैद्य सीएए पंजीकरण की तारीक और संख्या बेचे गए झींगा उत्पादन की मात्रा, जिस प्रोसेसर को बेचे गए थे उसका नाम और पता आदि, दिशा–निर्देशों में विस्तृत रूप से फार्मों में जाँच की गई। सीएए अधिनियम और नियमों में, सीएए के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार किसानों और हैचरियों को उचित रिकार्ड बनाए रखने के लिए और नियमित रिकार्ड की प्रस्तुती के लिए दोहराया गया था। साथ ही किसानों को जिम्मेदार, पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ जलकृषि प्रेक्टिसिस को अपनाने और सीएए पंजीकृत एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टियों और अच्छे जलकृषि प्रेक्टिसिस (जीएक्यूपी) उत्पादों के सुरक्षित और गुणात्मक उत्पादन की सलाह दी गई।

ब्रूडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने में सख्त नियमन, आयात की प्रक्रिया और ब्रूडस्टॉक की संगरोधन ने देश में अब तक आयातित ओआईई सूचीबद्ध रोगजनकों से मुक्त केवल एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक का उपयोग सुनिश्चित किया। इसी तरह, जैविक सुरक्षा की सुविधाओं और साथ–साथ नियमित निगरानी आदि सुनिश्चित करने के हैचरियों और फार्मों की स्वीकृति ने यह सुनिश्चित किया कि स्वस्थ्य उत्पादन के लिए दिशा–निर्देश उचित रूप से लागू किए गए हैं। हैचरियों और फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट जल पैरामीटर की निगरानी सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की गई। इन सभी प्रयासों ने झींगा फारमिंग क्षेत्र को बीमारियों से बचने के लिए में सक्षम बनाया है, विशेष रूप से प्रारंभिक मृत्यु दर सिंड्रोम को, हालांकि, इसने झींगे के फार्मों को तबाह कर दिया है, जो अभी भी कुछ पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के झींगा फार्मों में बने हुए हैं।

एल. वन्नामेई फार्मों में अभिलेखों और सीएए पंजीकृत इनपुट का सत्यापन

IV. झींगा फार्मिंग के खिलाफ विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई

सीएए द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर, सीएए द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण टीम ने संबंधित फार्मों और एल.वन्नामेई की अधिकृत कल्चर की पुष्टि करने वाली टीम के कार्यक्रम में या पड़ोसी कृषि क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय समस्याओं का निर्माण या पेय जल स्त्रोतों, सामाजिक समस्याओं का निर्माण का निरीक्षण किया। सीएए ने, 2012 मार्च को कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित जी.एस. आर.280 (ई) में जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार मौके पर तत्काल कार्रवाई कि थी और या प्राधिकरण की अगली बैठक में इस मामले पर चर्चा करके और बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार सीएए अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्य करें।

क. विशिष्ट शिकायतों पर की गई कार्रवाई

(i) गांव के आसपास अवैद्य झींगा फार्मों के संचालन के खिलाफ भूजल संसाधनों की लवणता और झींगा फार्मिंग के लिए कृषि भूमियों का रूपांतरण से संबंधित साल गांव, उत्तरी गोवा जिला, गोवा की जनता से एक शिकायत प्राप्त हुई। झींगा फार्मों और छोटी नदी के मुहाने से पानी रिसने के कारण इस मुद्दे ने गांव वालों के लिए गंभीर समस्या खड़ी की है। निदेशक, सीएए के नेतृत्व वाली टीम द्वारा इस स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। फार्म के दरवाजे बंद थे लेकिन फार्म संचालन में था। इसीलिए टीम स्पष्ट रूप से सूचना एकत्र नहीं कर पाई। प्राधिकरण ने मत्स्य अधिकारियों को हैचरी बीज के स्त्रोत, फार्मों के अपशिष्ट जल की निकासी और झींगा फार्मों और निकटवर्ती कृषि भूमि के बीच में और पेय जल के स्त्रोत आदि कल्चर प्रजातियों के संबंध में स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए और सीएए को आगे की कार्रवाई करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट भेजें।

साल गाँव, नॉर्थ गोवा जिला, गोवा में झींगा फार्मों का निरीक्षण

(ii) सीएए को अवैध झींगा फार्मों की गतिविधियों और गांव में कृषि भूमि को प्रदूषित करने के खिलाफ शिकायत के बारे में रक्कमपलयम गांव, मेलाकाझिनी पंचायत, गुम्मिदिपुडी तालुक और तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु की जनता से शिकायतें मिली हैं। झींगा किसान खेती के लिए कई बोरवेल का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे गांवों के जल स्रोत प्रभावित होते हैं। प्राधिकरण ने तिरुवल्लुर की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को उक्त स्थल का दौरा करने और आगे की कार्रवाई के लिए सीएए को विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। डीएलसी, मत्स्य अधिकारियों की एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से साइट का निरीक्षण किया गया और मेलाकाझिनी पंचायत, गुम्मिदिपुडी तालुक और तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में सभी अवैध झींगा फार्मों की गतिविधियों को रोकने और तटीय जलकृषि फार्म के पंजीकरण के लिए सीएए पर आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया।

मेलाकाजीनी पंचायत, गुम्मीदीपुड्डी तालुक एवं तिरूवलुवर जिला में झींगा फार्मों का निरीक्षण

ख. गैर–अनुपालन के लिए पंजीकृत हैचरियों के खिलाफ की गई कार्रवाई

(i) सीएए की मॉनिटरिंग टीम ने 20 जून, 2018 को थेनपट्टिनम गांव, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में स्थित मैसर्स ग्रोबेस्ट फीड्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड हैचरी का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान, टीम ने हैचरी में सीएए दिशानिर्देशों का बड़ा उल्लंघन किया। ईटीएस के दो टैंकों में 2–4 ग्राम एल. वन्नामेई के किशोरों का पालन–पोषण, कोई शॉवर और चेंज रूम नहीं, सभी भागों में कई प्रविष्टियां, पोस्ट लार्वा अनुभाग बिना किसी जैव सुरक्षा उपायों के खुले टैंकों के साथ काम कर रहे हैं, बीज उत्पादन के दौरान उत्पन्न हैचरियों के सभी अपशिष्ट जल को ईटीएस में

उपचार किए बिना सीधे समुद्र में बहा रहे हैं और बीज उत्पादन पर कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए रखने के लिए भी काम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप थेनपट्टिनम गांव, चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में स्थित मैसर्स ग्रोबेस्ट फीड्स कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैचरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

V. सरकारी अनुसंधान फार्मों का एसपीएफ पी.वन्नामेई/पी.मोनोडोन कल्चर के लिए पंजीकरण

(i) रजिस्ट्रार, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (केयूएफओएस), कन्यानूर मंडल, एर्नाकुलम जिला, केरल और तमिलनाडु के रजिस्ट्रार डॉ जे. जयललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी, थूथुकुडी मंडल और जिला, तमिलनाडु से पी. वन्नामेई कल्चर के लिए अपनी जलकृषि सुविधाओं को पंजीकृत करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। इन आवेदनों की जांच की गई और इन्हें प्राधिकरण की बैठक में रखा गया और सरकारी अनुसंधान संस्थान के लिए दिशानिर्देशों के तहत पंजीकरण के लिए, उनकी शोध सुविधाओं के लिए उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए।

(ii) परियोजना निदेशक द्वारा, राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए – समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सोसायटी) सिरकाली, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु में, सीएए के साथ, पी. मोनोडोन कल्चर के लिए बिंबलिटन गांव, दक्षिण अंडमान जिला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित अपनी जलकृषि सुविधाओं को पंजीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस आवेदन की जांच की गई और प्राधिकरण की बैठक में रखा गया और सरकारी अनुसन्धान संस्थान के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों के तहत बिंबलिटन गांव, दक्षिण अंडमान जिला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उनकी शोध सुविधाओं के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।

VI. एंटीबायोटिक–मुक्त जलकृषि निविष्टियों का पंजीकरण

हाल ही के दिनों में, उत्पादों में एंटीबायोटिक दवाओं की जांच के दौरान, निर्यात के लिए बनाए गए समुद्रीखाद्य की बड़े पैमाने पर अस्वीकृति की सूचना पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग और वाणिज्य विभाग और साथ–साथ समुद्रीखाद्य के निर्यातों द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण, सीएए को झींगा (श्रिम्प) हैचरिया (अण्डज उत्पादनशाला) और फार्मों में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग का निवारण के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया था। सीएए में, 24 जुलाई, 2015 को झींगा चारा निर्माताओं के साथ हुई बैठक के बाद, जलकृषि निविष्टियों के लिए मानकों को विकसित करने के लिए, समुद्रीखाद्य निर्यातकों के साथ इस मुद्दे पर और विचार–विमर्श किया गया। इस कार्य के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई जिसमें कहा गया कि जलीय–कृषकों और हैचरी संचालकों को उनकी सुविधायों में केवल पंजीकृत निविष्टियों के उपयोग करने की अनुमति होगी और इसके फलस्वरूप जलकृषि निविष्टियों के सभी विनिर्माताओं (स्वदेशी) और वितरकों (आयातित) को परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करके, सीएए के साथ, अपने प्रत्येक उत्पाद को पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया था कि इस कार्य के लिए वे एंटीबायोटिक दवाओं के कारोबार से मुक्त हैं अर्थात् क्लोरैम्फेनिकॉल और नाइट्रोफुरन पैरेंट कम्पाउंड और मेटाबोलाइट्स ख्फुरजोलिडोन–एओजेड, फुराल्टाडोन–एएमओजेड, नाइट्रोफुरेशन–एएचडी और नाइट्रोफुराजोन (सेमीकार्बाजाइड) –एसईएम।

चालू वर्ष के दौरान सीएए ने 8 श्रेणियों जैसे की खाद्य योगज, प्रोबायोटिक, लार्वा फिड, वयस्क फीड, रसायनिक, निस्संक्रामक, इम्यूनोस्टिमुलेंट और ड्रग में, 497 एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टियां पंजीकृत की हैं, जिसकी सूची हमारी वेबसाइट www.caa.gov.in पर होस्ट की गई है।

सीएए द्वारा उत्पाद को सक्रिय सूची में रखने के लिए बाजार से उत्पाद के नमूनों की आवधिक निगरानी और परीक्षण किया जाएगा और यदि उत्पाद में एंटीबायोटिक दवाएं या प्रतिबंधित रसायन पाए जाते हैं, तो उत्पाद को विपंजीकृत कर दिया जाएगा और अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में, उक्त विकास की जानकारी देते हुए सभी तटीय राज्यों के मत्स्य पालन सचिव को पत्र भेजे गए थे और उनसे अपने राज्यों में संबंधित मत्स्य अधिकारियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अनुरोध किया गया, ताकि सीएए को उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। शुरू की गई उपरोक्त कार्रवाइयों के कारण और जारी प्रक्रिया के रूप में पंजीकरण खुला रखा गया और अधिक संख्या में उत्पादों के जल्द ही पंजीकृत होने की उम्मीद है।

सभी राज्यों में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए, एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों के पंजीकरण की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण तालिका 14 में दिया गया है और एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों के संदर्भ में उसके राज्यानुसार और वर्ष–वार पंजीकरण को चित्र 31 और 32 दर्शाया गया है। इसी प्रकार एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों का पंजीकरण भी आठ श्रेणियों के अंतर्गत प्रबंधित किया गया है और यह तालिका 15 में दिया गया है और एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों के संदर्भ में उनका श्रेणी–वार और वर्ष–वार पंजीकरण को चित्र 33 और 34 में दर्शाया गया है।

चालू वर्ष (अप्रैल 2018–मार्च 2019) के दौरान, प्राधिकरण ने 2022 आवेदनों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी और सभी आवेदकों को सीधे पंजीकरण प्रमाण पत्र भेजे गए।

चार सालों की कम अवधि के भीतर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों के पंजीकरण की कुल संख्या में विस्मयकारी संवृद्धि हुई। कार्यक्रम (2015) के प्रारंभ से एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों के पंजीकरण की संख्या तेजी से 258 के साथ बढ़ी है और 2018–19 के दौरान 2022 के स्तर तक पहुंच गई है जैसा कि तालिका 14 और 15 में प्रस्तुत किया गया है।

एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टियों का पता लगाने के लिए वेबपेज का शुभारंभ

सीएए ने अपनी वेबसाइट में एक पंजीकृत उत्पाद या कंपनी के लिए डेटाबेस से पंजीकृत तटीय जलकृषि निविष्टियां खोजने के लिए एक वेबपेज लिंक विकसित किया है। सीएए में, 1 अगस्त, 2018 को वेबपेज को पूर्व एसएपी अध्यक्ष डॉ. एस. संथानाकृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा कि सीएए में, तटीय जलकृषि निविष्टियों का पंजीकरण अधिक पारदर्शी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और जलकृषि में उपयोग के संदर्भ में विनियमित है। उन्होंने स्थायी तटीय जलकृषि के लिए एंटीबायोटिक मुक्त समुद्री खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने और हितधारक की आजीविका सुरक्षा में सुधार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पंजीकृत तटीय जलकृषि निविष्टियों की प्रमाणित सूची प्राधिकरण की वेबसाइट http://caa.gov.in पर पीडीएफ दस्तावेजों के रूप में पोस्ट की गई है। सीएए, पंजीकृत एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों का पता लगाने के लिए वेबपेज लिंक http://caa.gov.in/product/products/product_search है।

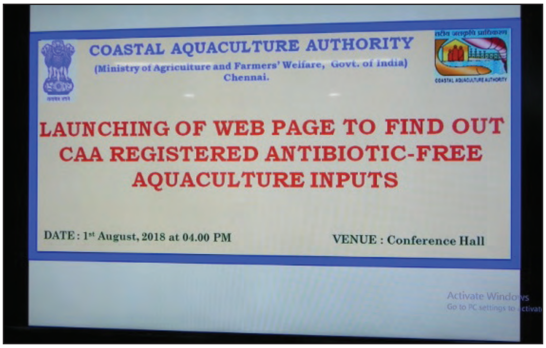

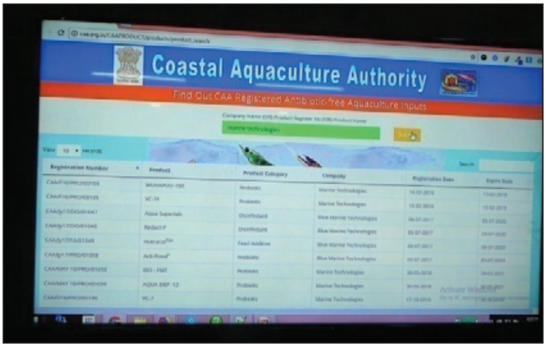

सीएए पंजीकृत एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि इनपुट की खोज में वेबपेज का शुभारंभ कार्य प्रगतिधीन

तालिका 14. वर्ष 2015 से 2019 तक सीएए द्वारा जारी किए गए एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट के पंजीकरण के ब्योर

क्र.सं.	श्रेणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	आंध्र प्रदेश	23	120	176	805	1124
2	दिल्ली	0	2	0	4	6
3	गुजरात	0	0	39	77	116
4	हरियाणा	0	0	3	17	20
5	कर्नाटक	15	17	20	82	134
6	मध्य प्रदेश	0	0	0	12	12
7	महाराष्ट्र	36	97	29	140	302
8	ओडिशा	0	0	0	4	4
9	तमिलनाडु	117	151	136	198	602
10	तेलंगाना	66	197	74	658	995
11	उत्तर प्रदेश	0	0	11	12	23
12	उत्तराखंड	0	0	0	3	3
13	पश्चिम बंगाल	1	0	10	10	21
	कुल	**258**	**584**	**498**	**2022**	**3362**

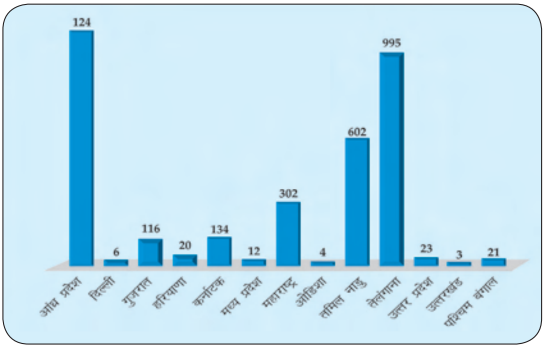

चित्र 31 : 2005 से 2019 तक सभी राज्यों में एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट (राज्यवार) की संख्या का पंजीकरण

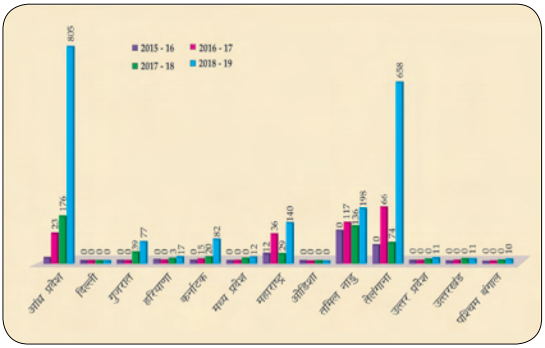

चित्र 32 : 2005 से 2019 तक सभी राज्यों में एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट (वर्ष–वार) की संख्या का पंजीकरण

तालिका 15. वर्ष 2015 से 2019 तक सीएए द्वारा जारी एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट (श्रेणी–वार) के पंजीकरण के ब्योरे

क्र.सं.	श्रेणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	रसायन	30	65	53	376	524
2	डिसइनफेक्टेन्ट	11	35	55	180	281
3	ड्रग	1	2	1	5	9
4	फीड एडिक्टिव	75	281	208	859	1423
5	फीड अडल्ट	27	31	18	44	120
6	फीड लरवाल	37	11	14	23	85
7	इम्यूनोस्टिमूलेन्ट	4	12	19	57	92
8	प्रोबायोटिक	73	147	130	478	828
	कुल	**258**	**584**	**498**	**2022**	**3362**

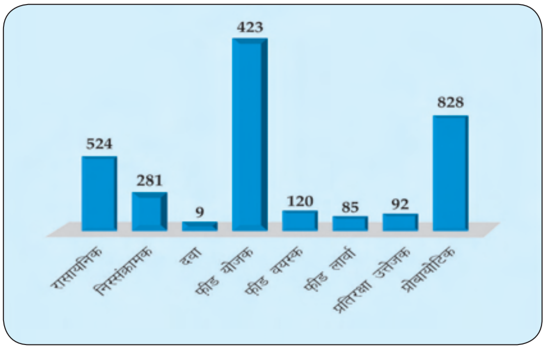

चित्र 33 : वर्ष 2005 से 2019 तक एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट (श्रेणी–वार) की संख्या का पंजीकरण

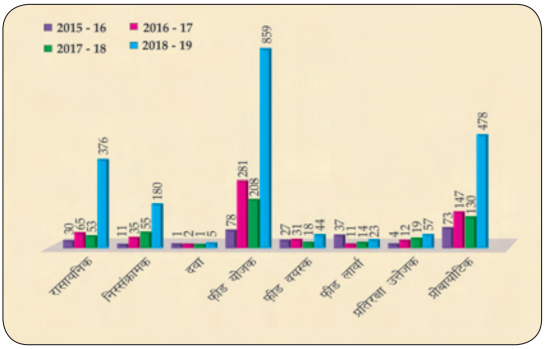

चित्र 34 : 2005 से 2019 तक एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट (वर्ष–वार) की संख्या का पंजीकरण

क्र.सं.	राज्यवार	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	805
2	दिल्ली	4
3	गुजरात	77
4	हरियाणा	17
5	कर्नाटक	82
6	मध्य प्रदेश	12
7	महाराष्ट्र	140
8	ओडिशा	4
9	तमिलनाडु	198
10	तेलंगाना	658
11	उत्तर प्रदेश	12
12	उत्तराखंड	3
13	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	**2022**

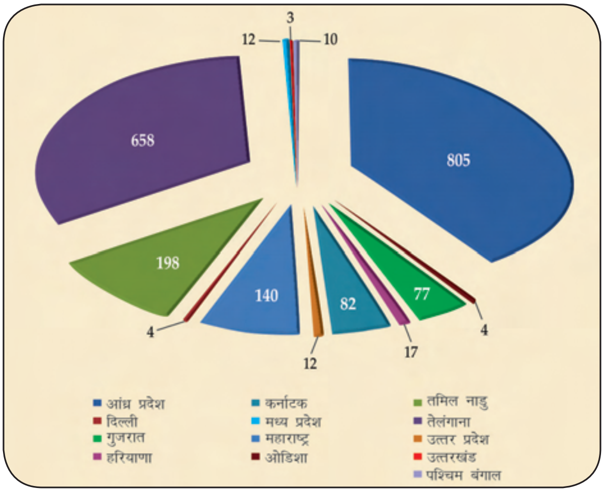

चित्र 35 : वर्ष 2018–19 के दौरान सभी राज्यों में एंटीबायोटिक मुक्त निविष्टियों (राज्यवार) की संख्या का पंजीकरण

क्र.सं.	श्रेणी	2018-19
1	रसायन	859
2	डिसइनफेक्टेन्ट	478
3	ड्रग	23
4	फीड एडिक्टिव	44
5	फीड अडल्ट	376
6	फीड लरवाल	180
7	इम्यूनोस्टिमूलेन्ट	57
8	प्रोबायोटिक	5
	कुल	**2022**

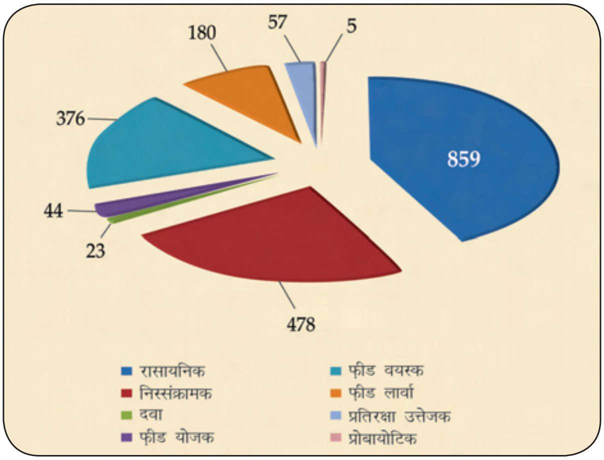

चित्र 36 : वर्ष 2018–19 के दौरान सभी राज्यों में एंटीबायोटिक मुक्त इनपुट (श्रेणी–वार) की संख्या का पंजीकरण

VII. जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला

नियमित निगरानी के दौरान हैचरियों और फार्मों से एकत्र किए गए अपशिष्ट जल के नमूनों के विश्लेषण के लिए सीएए के तकनीकी भाग में जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की वे सीएए द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर हैं। प्रयोगशाला में जलकृषि प्रणाली में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के अलावा चिनसो एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नाइट्रोजन केजेल्टेक–डिस्टीलेशन यूनिट, मल्टीपैरामीटर वाटर क्वालिटी सोंडेस, मिलिपोर टाइट्रेशन सिस्टम, बीओडी इनक्यूबेटर, सीओडी एनालाइजर और गैस क्रोमोटोग्राफी–मास स्पेक्ट्रम विद हेड सैंपलर (जीसी–एमएस) जैसे उपकरणों की स्थापना से लैस है। सीएए नियमों के लिए, नियमित निगरानी

के दौरान झींगा हैचरी और फार्मों से एकत्र किए गए सभी नमूनों का विश्लेषण आवश्यक वॉटर क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए किया गया था।

सीएए प्रयोगशाला में बेकार पानी के नमूनों का विश्लेषण

VIII. वेबसाइट अपडेशन

झींगा किसानों और हैचरी संचालकों की सुविधा के लिए, पंजीकरण के तौर–तरीके पर पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और आवश्यक आवेदन–पत्र के साथ एक्वाफार्मों और हैचरियों के नवीनीकरण करने के लिए, इसके अतिरिक्त बीज उत्पादन और खेती पर दिशा–निर्देशों से संबंधित सूचना से जुड़ने के लिए, विदेशों में खरीददारों को कल्चरड झींगा और अन्य उत्पादों के बारे में पता लगाने के लिए, आदि। सीएए की एक वेबसाइट है, ूण्बंह्वअण्पद जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, चेन्नई के माध्यम से अपलोड किया गया है। यह वेबसाइट प्राधिकरण, अधिनियम, नियम और विनियम और दिशा–निर्देशों की शक्तियों और कार्यों के बारे में वर्णन करती है, हालिया अधिसूचनाएं जलकृषि के लिए साथ ही केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सीएए के सदस्यों की विस्तृत सूची के अलावा जिला स्तर और राज्य स्तरीय समितियों (डीएलसी और एसएलसी) पर विवरण के लिए भी आवश्यक है।

आवश्यक प्रपत्रों के साथ हैचरियों/एक्वाफार्मों के पंजीकरण और नवीनीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी वाला डेटाबेस, एसपीएफ एल.वन्नामेई ब्रूडस्टॉक के चुने गए आपूर्तिकर्ताओं की सूची, त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट, जलीय संगरोध में स्थान का आरक्षण, जिला स्तर और राज्य स्तरीय पर विवरण, प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की सूची, एंटीबायोटिक दवाओं के

परीक्षण के लिए जैविक नमूना, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानक आदि उपयोगकर्ता के अनुकूल डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में दिए गए हैं।

व्यवहार में आने वाली अन्य प्रजातियों की कृषि गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की सूची, एंटीबायोटिक दवाओं के परीक्षण के लिए जैविक नमूने के लिए प्रक्रियाएं, अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानक आदि के साथ केंद्रित हैं और उपयोगकर्ता के अनुकूल डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में भी दी गई हैं।

आवेदन पत्र सहित एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टियों के पंजीकरण पर सूचना, पंजीकरण के नियम और शर्तें, पंजीकृत उत्पादों और संबंधित अधिसूचना और नवीनतम सलाह आदि की सूची उपयोगकर्ता के अनुकूल डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में भी होस्ट किए गए थे।

सीएए वेबसाइट के माध्यम से एक्वा फार्मों के ऑनलाइन पंजीकरण की नई अवधारणा में काफी प्रगति हुई है जो जल्द ही किसानों के उपयोग के लाभ के लिए तैयार हो जाएगी।

IX. तटीय जलकृषि प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पास 10 तटीय राज्यों और 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में तटीय जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करने का क्षेत्राधिकार है। सीएए अधिनियम, 2005 को सांविधिक प्रावधान के तहत सीएए की स्थापना के समय, जलकृषि प्राधिकरण को केंद्रीय सरकार द्वारा मूल रूप से स्वीकृत कुल 21 कर्मचारियों को जारी रखा गया। 2008 तक, झींगा फार्मों का पंजीकरण, नए और पुराने दोनों का उचित निरीक्षण के साथ जिला स्तरीय (डीएलसी) और राज्यस्तरीय (एसएलसी) द्वारा पूरा करना सीएए की प्रमुख गतिविधि थी। 2009 के बाद से, देश में विदेशी झींगा एसपीएफ एल.वन्नामेई की शुरूआत के साथ, अतिरिक्त कई कार्य जैसे की तटीय राज्यों के साथ सामंजस्य, डीएलसी/एसएलसी और हितधारकों के साथ बैठकें, जलीय संगरोध के संचालन की निगरानी के लिए तकनीकी समिति को संभालना, एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक और बीज उत्पादन के आयात की अनुमति के लिए हैचरियों का निरीक्षण, एल.वन्नामेई कल्चर की अनुमति के लिए झींगा फार्मों का निरीक्षण, इस प्रजातियों के अनधिकृत प्रजनन/खेती को रोकने के लिए हैचरियों और फार्मों की निगरानी जारी है, सीएए मानकों के साथ उनकी अनुरूपता का आकलन करने के लिए हैचरियों और फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट जल का संग्रह/विश्लेषण, जलकृषि में प्रतिबंधित दवाओं और रसायनों का उपयोग, एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टियों का पंजीकरण, उत्तरदायी जलकृषि कार्यप्रणाली पर जागरूकता सृजन के लिए नौपली पालन केंद्र (एनआरसी) का कार्यन्वयन आदि में तटीय जलकृषि प्राधिकरण को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए:

गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में कर्मचारियों की संख्या के साथ तीन क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव और तमिलनाडु ,चेन्नई में मुख्यालय को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पद, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग को प्रस्तुत किए गए थे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सरकार की मंजूरी का अनुरोध किया है क्योंकि इन राज्यों में जलकृषि क्षेत्र बहुत तेजी से उठा है और किसानों, हैचरी संचालकों और संबंधित हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने

की तत्काल आवश्यकता है। गैर–योजना व्यय पर समिति के विचार करने के लिए पूरे औचित्य के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है।

चेन्नई में सीएए अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित जलकृषि प्राधिकरण के राष्ट्रीय मुख्यालय परिसर के निर्माण के लिए सरकारी भूमि के आवंटन के प्रयास के रूप में कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए (मुख्यालयों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित वर्तमान और अतिरिक्त पद) साथ ही प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं के लिए एक स्थायी व्यवस्था करने के लिए अमल में नहीं लाया गया। अलमाटी, चेन्नई (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के पशुधन स्वास्थ्य प्रभाग के तहत एक इकाई) में भूमि के आवंटन के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को अनुरोध प्रस्तुत किया गया था। इस बीच, तमिलनाडु सरकार के मत्स्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके चेन्नई के सैदापेट में, उनके निर्माणाधीन मत्स्य पालन परिसर में सीएए के कार्यालय के लिए पर्याप्त जगह आवंटित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया। शासनादेश के अनुसार आवंटित स्थान को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था और विभाजन, स्थायी अलमारी/फर्नीचर, विद्युत बिंदुओं/फिटिंग आदि पर आवश्यकताओं को इंगित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समिति द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया गया था और सीएए की वास्तविक आवश्यकता प्रदान की गई थी।

X. सीएए में राजभाषा (हिंदी) का कार्यान्वयन

सीएए हिंदी में प्रशिक्षण देकर, हिंदी सप्ताह मनाकर और संगोष्ठी/कार्यशाला आदि आयोजित करके राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष के दौरान आयोजित निम्नलिखित कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्टाफ की भागीदारी

हिंदी सप्ताह समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम प्रगतिधीन

सीएए में 22 से 29 सितंबर 2018 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। कार्यालय परिसर में बैनर प्रदर्शित कर समारोह का संकेत दिया गया। साथ ही, कार्यालय के दिन–प्रतिदिन के कामकाज में राजभाषा के उपयोग के महत्व को दर्शाने वाले द्विभाषी पोस्टर और सीएए के द्विभाषी प्रकाशन और सीएए गतिविधियों पर कुछ विषयों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान निबंध लेखन, अनुवाद और भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 29.09.2018 को आयोजित समारोह के अंतिम दिन सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिंदी सप्ताह समारोह के दौरान, सीएए ने हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई से हिंदी भाषा के एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था। हिंदी सप्ताह समारोह के दौरान केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजनाओं में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लेकर कार्यालय के दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में राजभाषा के उपयोग में सुधार के महत्व, पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अधिकारियों को विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश, योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रक्रियाएं, निकटतम स्थान जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं आदि को अतिथि द्वारा शुरूआत करने वाले लोगों को समझाया गया। हिंदी दिवस समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

XI. सीएए की बढ़ती गतिविधियां

क. जागरूकता कार्यक्रमों को संचालित किया/भाग लिया

मत्स्य पालन विभाग, तमिलनाडु सरकार के साथ संबद्ध में 25 सितंबर, 2018 को सिरकाली, नागपट्टिनम जिला, तमिलनाडु में झींगा किसानों के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम "एंटीबायोटिक जागरूकता अभियान" संचालित किया गया। मत्स्य विभाग, नागपट्टिनम के अधिकारियों द्वारा और सीएए, सदस्य सचिव की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उन्होंने झींगा फार्मों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दिखाया की एंटीबायोटिक मुक्त जलकृषि निविष्टियों और झींगा हैचरियों और फार्मों का पंजीकरण, केवल सीएए पंजीकृत निविष्टयों का उपयोग करने के लिए ही करना है। उन्होंने राज्यों में एक्वाकल्चरिस्टों के बीच जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) सदस्यों और मत्स्य विभाग के क्षेत्राधिकारियों से सीएए पंजीकृत जलकृषि निविष्ट उत्पादों के उपयोग पर जागरूकता फैलाने के लिए अनुरोध किया। इन क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और अधिकांश मुद्दों को डीएलसी/एसएलसी और राज्य मत्स्य विभाग के माध्यम से संबोधित किया गया था। हल किए गए मुद्दों में लंबित आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाना और एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना हैचरियों में उत्पादित बीज की गुणवत्ता की निगरानी करना शामिल है।

सदस्य सचिव, सीएए ने 17 जनवरी, 2019 को मत्स्य पालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने सीएए अधिनियम 2005 के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार एक्वाफार्म और हैचरी में जैव सुरक्षा उपायों का पालन करने पर जोर दिया। सभी प्रतिभागियों को स्थानीय भाषाओं में एंटीबायोटिक दवाओं, झींगा पालन और पालन की जाने वाली हैचरी तकनीकों के मुद्दों पर विज्ञप्ति–पत्रक वितरित किए गए। कार्यक्रम में डीएलसी और एसएलसी के अधिकांश राज्य मत्स्य अधिकारियों, झींगा किसानों, हैचरी संचालकों और निविष्ट आपूर्तिकर्ताओं ने भाग लिया।

पश्चिम बंगाल में जागरूकता कार्यक्रम

सदस्य सचिव, सीएए और जिला मत्स्यपालन अधिकारी बैठक में हितधारकों को संबोधित करते हुए

कार्यक्रम में किसानों का संवाद

ख. सीएए कार्यालय में स्वच्छ भारत/झींगा हैचरी/झींगा फार्म/झींगा फसल

सदस्य सचिव ने कर्मचारियों और आम जनता के लिए सीएए, चेन्नई में स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान का आयोजन किया ताकि उन्हें स्वच्छ का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ भारत पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

सीएए कार्यालय में स्वच्छ भारत

राज्य मत्स्य पालन के डीएलसी/एसएलसी के अधिकारियों के बीच स्वच्छ भारत के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, झींगा हैचरी ऑपरेटरों और फार्म मालिकों, हितधारकों और एक्वाप्रेनर्स और मछुआरों के बैनरों को चल रहे स्वच्छ भारत पर प्रमुख रूप से झींगा हैचरियों और फार्मों में भी चलाया गया।

सीएए के वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सलाहकारों को हैचरी और झींगा फार्मों में स्वच्छ भारत के आयोजन में लगाया गया था। सीएए के वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सलाहकारों ने 6 दिसंबर, 2018 को तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित लोटस झींगा हैचरी में ''स्वच्छ जागरूकता अभियान'' का आयोजन किया।

झींगा हैचरी में स्वच्छ भारत

सीएए के वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सलाहकारों ने 28 दिसंबर, 2018 को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के एलावूर गांव में स्थित किसानों के बीच ''स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान'' का आयोजन किया और सीएए के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की।

झींगा फार्मों में स्वच्छ भारत

सीएए ने 24 अक्टूबर, 2018 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ''स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान'' प्रदर्शित करने के लिए सीआईबीए के साथ हाथ मिलाया। सदस्य सचिव, वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सीएए के सलाहकारों ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पी. इंडिकस की संस्कृति की देशी प्रजातियों के फसल मेले में सीआईबीए के प्रदर्शन में भाग लिया। सदस्य सचिव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलकृषि उत्पादन के लिए रोग और एंटीबायोटिक मुक्त बीजों के उत्पादन के दौरान झींगा हैचरियों और फार्मों में लागू जैव सुरक्षा उपायों के रखरखाव के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनकी खेती के तरीकों को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए झींगा फार्मों में सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं के आधार पर अपशिष्ट उपचार प्रणालियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने झींगा हैचरी संचालकों और फार्म मालिकों से केवल सीएए पंजीकृत इनपुट का उपयोग करने का आग्रह किया। कार्यक्रमों में डीएलसीध्एसएलसी के अधिकांश अधिकारियों और राज्य मत्स्य विभाग के फील्ड अधिकारियों के अलावा लगभग 150 झींगा किसानों/हैचरी ऑपरेटरों आदि ने भाग लिया।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में फसल मेले के दौरान स्वच्छ जलकृषि की अवधारणा और एल. वन्नामेई की खेती और फसल के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। फसल के दौरान स्वच्छ भारत पर पर्चे और हैंडआउट भी स्थानीय भाषाओं में वितरित किए जाते हैं।

नेल्लोर जिला में हार्वेस्टिंग मेला के दौरान स्वच्छ भारत

ग. कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भागीदारी

सीएए ने 23 – 25 2019 को चेन्नई में आयोजित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर जलकृषि द्वारा आयोजित विश्व ब्रेकिश वाटर जलकृषि सम्मेलन ''ब्रेककॉन – 2019'' – जलकृषि में नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास'' में भाग लिया। सीएए ने ब्रेक्कॉन–2019 के संचालन के लिए सीआईबीए को प्रायोजन के एक भाग के रूप में 8 लाख रुपये का योगदान दिया है। सदस्य सचिव, सीएए ने अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया और उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यक्रम को सम्मानित किया और वक्ताओं और अन्य वीआईपी को मंच पर सम्मानित किया। उन्होंने तकनीकी सत्र में ''जलकृषि इनपुट विनियमों में सीएए की भूमिका'' पर एक प्रस्तुति भी दी। उन्होंने कार्यशाला के तकनीकी सत्र में केंद्रित महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चाओं और सरकार के विचार सहित आवश्यक सिफारिशों को विकसित करने में भी योगदान दिया। सीएए के निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ तकनीकी सहायकों और सलाहकारों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्‌घाटन

सदस्य सचिव, सीएए द्वारा प्रस्तुतीकरण

कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए और स्मृति–चिह्न से सम्मानित करते हुए

घ. प्रदर्शनियों में भागीदारी

सीएए ने विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा आयोजित निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया। सीएए के विजन और मिशन को दर्शाते हुए पोस्टर/चार्ट, फ्लेक्स बैनर, पैम्फलेट और ब्लोअप प्रदर्शित किए गए।

1. 9वां कृषि मेला, 2018

सीएए ने 3 से 7 जून, 2018 के दौरान श्री श्रीक्षेत्र सूचना, पुरी, ओडिशा द्वारा आयोजित 2018 में पुरी, ओडिशा में 9वें कृषि मेले भाग लिया। स्टाल में हैचरियों, फार्मों और जलकृषि इनपुट के पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी विभिन्न गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। ओडिशा के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने स्टॉल का दौरा किया और झींगा हैचरी और फार्मिंग की तकनीक और सीएए के जलकृषि इनपुट से अवगत कराया। आगंतुकों के सवालों का जवाब सीएए अधिकारियों ने भी दिया।

2. ''मत्स्य महोत्सव–2018, राष्ट्रीय किसान दिवस"

एनएफडीबी द्वारा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 9–10 जुलाई 2018 को आयोजित मछली महोत्सव – 2018, राष्ट्रीय किसान दिवस में सीएए शामिल है। स्टाल में, सीएए ने एसपीएफ एल वन्नामेई के फार्मों और हैचरियों के विनियमन, अनुमोदन और संचालन के लिए पालन की जाने वाली गतिविधियों और हितधारकों, एक्वाप्रेन्योर और किसानों के लाभ के लिए पोस्टर, फ्लेक्स बैनर और ब्रोशर के माध्यम से एक्वा इनपुट के पंजीकरण पर प्रकाश डाला।

3. विश्व मत्स्यपालन दिवस

विश्व में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को उजागर करने के लिए 22 नवंबर, 2018 को ज्ञान भवन, सम्राट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, पटना, बिहार में एनएफडीबी द्वारा आयोजित विश्व मत्स्य दिवस में सीएए शामिल हुआ। सीएए ने जलकृषि में स्थायी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जलकृषि प्रेक्टिसिस में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग की खोज की।

4. एक्वाबिज 2018 का तीसरा संस्करण ''जलकृषि में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और मछली महोत्सव''

सदस्य सचिव, वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सीएए के सलाहकारों ने जलकृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और मछली महोत्सव में भाग लिया जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में और एमपीईडीए और एनएफडीबी द्वारा समर्थित वेलागपुड़ी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड, कनुरु, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 21 से 23 दिसंबर, 2018 को आयोजित किया गया था। सदस्य सचिव ने ''जलकृषि में पता लगाने योग्यता, प्रमाणन और मूल्य संवर्धन'' पर एक प्रस्तुति दी। सीएए हैचरियों, फार्मों और जलकृषि इनपुट के पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी गतिविधियों का चित्रण करके प्रदर्शनी में स्टाल आयोजित करने में शामिल है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से एक्वाप्रेन्योर, हितधारकों, किसानों और हैचरी संचालकों ने स्टाल का दौरा किया और लाभान्वित हुए।

5. ब्रेककॉन –2019

सीएए ने 23 से 25 2019 को चेन्नई में आयोजित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर जलकृषि द्वारा आयोजित विश्व ब्रेकिश वाटर जलकृषि सम्मेलन ''ब्रेककॉन – 2019'' में भाग लिया। सीएए के निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ तकनीकी सहायकों और सलाहकारों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। सीएए ने झींगा किसानों/हैचरी संचालकों द्वारा अपनाए जाने वाले अनिवार्य कार्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें जलकृषि में एंटीबायोटिक दवाओं, रसायनों और दवाओं के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में जागरूकता शामिल है। कार्यक्रम स्थल पर किसानों, हितधारकों, जलकृषि करने वाले किसानों और आगंतुकों के साथ परस्पर संवाद किया और सवालों के जवाब दिए।

ड. अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों में सीएए के सदस्यों/अधिकारियों की भागीदारी।

- सदस्य सचिव, सीएए ने 16 अप्रैल, 2018 को भारत के ईयू एफवीओ ऑडिट की उद्घाटन बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 26–27 अप्रैल, 2018 को सीआईएफई, मुंबई में राष्ट्रीय अंतर्देशीय मत्स्य–पालन और जलीय–कृषि नीति (एनआईएफएपी) पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 5 जून, 2018 को ईसी निकाय के सदस्य सचिव के रूप में एनएफडीबी की 32वीं कार्यकारणी समिति की बैठक में भाग लिया।

- 27 जून, 2018 को सदस्य सचिव, सीएए ने मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव (मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में आयोजित पीएससी बैठक में भाग लिया, जिसमें "मै. वैष्णवी एक्वाटेक द्वारा गुजरात में एसपीएफ झींगा ब्रूडस्टॉक मल्टिप्लिकेशन सेंटर (बीएमसी) के परिचालन की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई।
- 20 जूलाई, 2018 को सदस्य सचिव, सीएए ने जलकृषि एसोसिशन, विजयवाड़ा द्वारा आयोजित "हितधारकों के साथ परस्पर संवाद सत्र" में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 8 अगस्त, 2018 को "भारत में झींगा जलकृषि की मौजूदा स्थिति की समीक्षा" पर संयुक्त सचिव (मत्स्यपालन) द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए 3 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (मत्स्य पालन) की अध्यक्षता में डीएडीएफ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित परियोजना अनुवीक्षण समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 10 से 11 नवंबर, 2018 तक सीएमएफआरआई, कोच्चि में दक्षिण भारत के मत्स्य–पालन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 13 नवंबर, 2018 को आयोजित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की 33वीं कार्यकारणी समिति की बैठक में भाग लिया। पूर्वाह्न के सत्र के दौरान, मैनेज और एनएफडीबी द्वारा जलकृषि और एक्वाप्रेन्योरशिप विकास कार्यक्रम और जलीय कृषकों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम पर प्रशिक्षण के उद्घाटन में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 16 नवंबर, 2018 को डीएडीएफ, नई दिल्ली में बीएमसी (गुजरात में पी मोनोडोन के लिए) की परियोजना अनुवीक्षण समिति की बैठक में भाग लिया।
- सदस्य सचिव , वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सीएए के परामर्शदाताओं ने 21 से 23 दिसंबर , 2018 तक आंध्रप्रदेश, विजयवाड़ा में सीआईआई द्वारा आयोजित "एक्वाबिज इंडिया 2018" में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 16–18 जनवरी, 2019 तक "मत्स्य आनुवंशिक" प्रशिक्षण पर कार्यशाला पर सीआईएफई कार्यक्रम में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 19 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), मुंबई में पाठ्यक्रम संशोधन और शैक्षणिक सुधार की कार्यशाला में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, सीएए ने 9–10 जुलाई, 2018 को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मछली किसान दिवस में भाग लिया।
- सदस्य सचिव, वरिष्ठ तकनीकी सहायक और सीएए के परामर्शदाताओं ने भाग लिया और एक्वाबिज 2018 के तीसरे संस्करण में सीएए स्टॉल के आयोजन में शामिल हुए। "वेलगापुड़ी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड़, कनुरु, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, जलकृषि में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला और फिश फेस्टिवल को मत्स्य पालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में एमपीईडीए और एनएफडीबी के सहयोग द्वारा 21–23 दिसंबर, 2018 को आयोजित किया गया।

- सदस्य सचिव, सीएए ने 19 फरवरी, 2019 को केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), मुंबई में पाठ्यक्रम संशोधन और शैक्षणिक सुधार की कार्यशाला में भाग लिया।

XII. 2019–20 के दौरान की जाने वाली गतिविधियां

i) पंजीकरण

तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरियों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान देश के अधिक तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरीयां पंजीकृत की जाएगी।

ii) एल.वन्नामेई संस्कृति के लिए स्वीकृति

सीएए पंजीकरण के साथ लगभग 2,000 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को एल.वन्नामेई संस्कृति के तहत लाने का प्रस्ताव है।

iii) निरीक्षण और निगरानी

सुविधाओं की आवधिक निगरानी, विशेष रूप से प्राधिकरण निर्धारित मानकों की बैठक सुनिश्चित करने के लिए, झींगा फार्मों और हैचरियों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना है।

iv) एंटीबायोटिक–मुक्त जलकृषि निविष्टियों के लिए स्वीकृति

जारी प्रक्रिया के रूप में पंजीकरण खुला रखा गया और सभी तटीय राज्यों के मत्स्य पालन सचिव के स्तर पर शुरू की गई विभिन्न गतिविधियां भी, अधिक संख्या में उत्पादों के जल्द ही पंजीकृत होने की उम्मीद है।

v) जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरण संरक्षण, तटीय जलकृषि गतिविधियों के उपयुक्त विकास और अच्छे जलकृषि कार्यप्रणाली से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।

vi) विज्ञापन और प्रकाशन

अनधिकृत गतिविधियों पर हितधारकों को सावधान करने के लिए और बीमारियों की घटना से बचने के लिए एहतियाती उपाय करने के साथ–साथ समसामयिक मामलों पर हितधारकों को सलाह देने के लिए और झींगा पालन क्षेत्र में हो रहे स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, महत्वपूर्ण मामलों पर समय–समय पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाने हैं।

vii) नियमावली/ब्रोशर को तैयार करना

कुछ स्थानीय भाषाओं में मंत्रालय द्वारा जारी सभी विनियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं को शामिल करते हुए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों के सार–संग्रह को आगे संपादित किया जाएगा।

viii) कार्यशालाएं और बैठकें

तटीय जलकृषि गतिविधियों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हितधारकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां तकनीकी सुधार और अन्य पहलुओं पर विभिन्न समूहों के अनुभव भी साझा किए जाएंगे।

सीएए, जब भी संभव हो, तटीय जलकृषि गतिविधियों पर अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, समुद्रीखाद्य मेलों, कृषि मेला और एक्वा शो में भाग लेगा।

XIII. वित्त

(i). वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वास्तविक वित्तीय परिणामों का सार

वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित लेखाओं की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन महानिदेशक, लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नई द्वारा की गई थी और इसकी रिपोर्ट अनुबंध में प्रस्तुत की गई है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 16 और 17 के अनुसार, सी.ए.ए. द्वारा किए गए बजट अनुमान के आध ाार पर सहायता अनुदान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत 2 (दो) किश्तों में दिया गया था। प्रशासनिक मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 400 लाख रुपये का सहायता अनुदान मंजूर किया था। मंत्रालय ने 400 लाख रुपये के लिए संशोधित अनुमान स्वीकृत किए थे और इस कार्यालय ने पूरी राशि का उपयोग किया था।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान ६ संशोधित अनुमान और व्यय इस प्रकार हैं:

मुख्य शीर्ष 2405 **उप शीर्ष – 131731 सहायता अनुदान** (सामान्य)

– 131736 सहायता अनुदान (वेतन)

(रुपये लाखों में)

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बीई(बजट अनुमान)	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आरई(संशोधित अनुमान)	प्राप्त की गई राशि	खर्च की गई राशि	अव्ययित शेष
480	400	400	400	0.00

(रुपये लाखों में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	उप–शीर्ष	2019–20 का बजट अनुमान
1	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	**131731 सहायता अनुदान** (सामान्य) **131736 सहायता अनुदान** (वेतन)	450

(ii). वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखाओं का विवरण

वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखाओं का विवरण अनुबंध में प्रस्तुत किया गया है।

XIV. प्राधिकरण के कर्मचारी और मौजूदा संगठनात्मक संरचना।

वर्तमान में, सी.ए.ए. को 21 पद स्वीकृत किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पद पर कार्यरत कर्मचारी इस प्रकार हैं:

क्रं. सं.	समूह	पद	स्वीकृत पदों की संख्या	शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान जोड़े गए नए कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या
1	ए	निदेशक	1	1	1	0	0
		सहायक निदेशक	1	0	0	0	0
		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	0	0	0
2	बी	अधीक्षक	1	1	0	0	1
		निजी सचिव	2	2	0	0	2
		वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	2	0	0	2
		लेखाकार	1	1	0	0	1
		आशुलिपिक ग्रेड 'सी'	2	0	0	0	0
3	सी	वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	0	0
		आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	1	1	0	0	1
		कनिष्ठ लिपिक	2	2	0	0	2
		स्टाफ कार चालक	1	1	0	0	1
		एमटीएस	4	4	0	0	4
		कुल	**21**	**16**	**2**	**0**	**14**

परामर्शदाता और कंप्यूटर प्रोग्रामर

क्रं. सं.	पदनाम	शुरुआत की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान शेष संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़े गए नए कर्मचारी	वित्तीय वर्ष के अंत में
1	परामर्शदाता	8	8	0	0
2.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	3	3	0	0

एक जनशक्ति एजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर

क्रं. सं.	पदनाम	शुरुआत की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान शेष संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान जोड़े गए नए कर्मचारी	वित्तीय वर्ष के अंत में
1	परामर्शदाता	0	0	5	5
2.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	0	0	2	2
3.	सहयोगी कर्मचारी	2	0	0	2

XV. भर्ती / सेवानिवृत्ति / प्रत्यावर्तन

- **प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री आर. जयरामन, निदेशक (तकनीकी) को अक्टूबर 2018 में उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है।**
- **प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्रीमती आर सुबाशिनी, वरिष्ठ लिपिक को जून 2018 में उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है।**

XVI. सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2018–19 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुल 14 (चौदह) आवेदन प्राप्त हुए। मांगी गई सूचना भेजी गई थी।

अनुलग्नक

सीएए की वार्षिक रिपोर्ट
और
वर्ष 2018-19 के लिए सीएंडएजी की
पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन.पत्र

(**धनराशि** - ₹)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/ पूंजी निधि और देयताएं			
संग्रह/ पूंजी निधि	1	1,28,75,112	1,21,06,191
निर्धारित/ अक्षय निधियां	2	7,51,22,432	4,24,90,418
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	93,45,704	36,10,266
योग		**9,73,43,248**	**5,82,06,875**
संपत्ति	4	82,27,094	95,81,910
अचल संपत्ति			
पूंजी निवेष-निर्धारित/ अक्षय निधियां से	5	30,69,183	28,29,831
चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम, इत्यादि	6	8,60,46,971	4,57,95,134
योग		**9,73,43,248**	**5,82,06,875**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखांकन पर टिप्पणियां	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

(**धनराशि** - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
1. आय			
अनुदान/ राजसहायताएं	7	3,99,93,038	1,97,91,100
शुल्क/ अभिदान	8	20	190
निवेश से आय (निर्धारित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय/ निधियों को निधियों में अंतरित किया गया)	9	-	-
अर्जित ब्याज	10	2,79,782	4,37,280
अन्य आय	11	12	79,714
योग (क)		**4,02,72,852**	**2,03,08,284**
2. व्यय			
स्थापना व्यय	12	1,96,06,020	1,37,18,377
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	1,85,43,095	92,44,788
अनुदानों, राजसहायताओं आदि पर व्यय		-	-
मूल्य ह्रास	4	13,61,778	15,97,262
योग (ख)		**3,95,10,893**	**2,45,60,427**
व्यय से अधिक आय के अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष (क–ख)		**7,61,959**	**(42,52,143)**
पूर्व अवधि आइटम			
- टेलीफोन		-	-
- डाक और तार		-	2,00,000
विशेष संचय को अंतरित (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य संचय को/से अंतरण शेष			
अधिशेष/(घाटे) के रूप में संग्रह निधि/पूंजी निधि में ले जाया गया		**7,61,959**	**(40,52,143)**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं के संबंध में टिप्पणियां	15		

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

वार्षिक खाते: भाग– II

31–03–2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां	धनराशि- ₹		भुगतान	धनराशि- ₹	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारंभिक शेष क) हाथ में नकदी ख) बैंक शेष i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खातों में iv) आइओबी - ‘10000	 4,53,60,998 1,22,276	 3,38,56,687	1. **व्यय** क) स्थापना व्यय ख) प्रशासनिक व्यय	 1,58,05,557 1,35,58,327	 1,28,69,658 83,54,749
2. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से i) पूंजीगत प्राप्तियां ii) राजस्व प्राप्तियां ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्रोत से (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग–अलग दर्शाएं)	 6,962 3,99,93,038	 2,08,900 1,97,91,100	**2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किए गए भुगतान** (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
3. **निम्नलिखित से निवेश पर आय** क) निर्धारित अक्षय निधियां (एफडीआर ब्याजि) ख) अपनी निधियां (अन्यस निवेश)			3. **किए गए निवेश और निक्षेप** क) निर्धारित/ अक्षय निधियों में से ख) अपनी निधियों में		
4. **प्राप्त ब्याज** क) बैंक जमाओं पर ख) ऋणों, अग्रिम इत्यानदि ग) चिन्हित निवेश पर	 2,79,782 - 31,62,038	 4,37,280 - 17,83,253	4. **अचल संपत्तियां एवं चल रहे पूंजीगत कार्य** क) निर्धारित/ अक्षय निधियों में से ख) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय	 6,962 -	 2,08,900 -
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) क) पीओ. से छूट ख) विविध आय ग) त्यौहार अग्रिम घ) आरटीआई शुल्क ड.) एमटीएस आवेदन शुल्कं	 - 12 - 20 -	 3,474 1,729 - 190 -	5. **अधिशेष धनराशि/ ऋणों की वापसी** क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को		

च) जमा की वापसी – सीपीडब्ल्यूडी सीसीडी	-	-			
छ) स्क्रैप की बिक्री	-	-			
ज) संसद व्यय का हिस्सा - इपीएफओ	-	74,511			
6. उधार ली गई धनराशि डीडीओ	-		**6. वित्त प्रभार (ब्याज)**		
7. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)			**7. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)**		
क) जमानत राशि	-	-	क) जमानत राशि	2,17,888	-
ख) त्योपहार अग्रिम वसूली	-	-	ख) प्रदर्शन सुरक्षा जमा धनवापसी	-	-
ग) हाथ में स्टैंप	-	-	ग) बैंक शुल्क (निर्धारित निधि)	-	454
घ) रेहन का पत्र	-	-	घ) प्रीपेड खर्चे	-	-
ड.) बंदोबस्ती निधि (प्रसंस्करण शुल्क)	78,91,950	40,10,750	ड.) निर्धारित निधि में से व्यय	1,00,000	-
च) आवेदन शुल्क - 30%	3,37,384	1,97,190	च) चिकित्सा अग्रिम	-	-
छ) राज्य मत्स्य पालन - आंध्रप्रदेश	-	-	छ) एलएसपीसी/सीपीसी बकाया	-	1,26,556
ज) प्रतिभूति जमा	-	-	ज) पोस्ट मास्टर, सेंट थोमस माउंट	5,00,000	-
झ) फीड उत्पाद	2,11,01,290	68,40,000	झ) हाथ में स्टैंप	25,000	3,000
ट) एनपीएस- के श्रीनिवासन बाबू	14,078	1,75,830	ट) बोनस देय	-	69,080
ठ) व्यवसाय कर	-	-	ठ) निरीक्षण के लिए यात्रा व्यय	-	-
ड) टीडीएस	-	11,09,049	ड) विविध लेनदार	-	-
ढ) मुथु सहफ्ट लैब्स	-	31,194	ढ) टीडीएस	11,38,164	11,09,049
			त) एनपीएस – के श्रीनिवासन बाबू	-	-
			थ) वृत्ति कर	-	29,019
			द) अप्रत्यक्ष खर्च	-	92,516
			ध) वेतन देय	12,08,025	-
			न) प्रसंस्करण शुल्क (एलवी हैचरी) वापस किया गया	-	2,10,000
8. सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन खातों से स्था नान्तगरित निधि			**8. ऋण एवं अग्रिम**		
			क) मीटिंग के लिए अग्रिम	1,79,620	59,000
			ख) क्रॉकरी के लिए अग्रिम	-	10,000
			ग) स्थानांतरण अग्रिम	5,000	-
			घ) हिंदी सप्ताह के लिए अग्रिम	5,000	-
			ड़.) गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	14,000	20,000
			च) अभियान सप्ताह के लिए अग्रिम	6,500	-
			छ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	10,000	15,000
			ज) स्टैंप के लिए अग्रिम	-	10,000
			झ) हिन्दी सेमिनार के लिए अग्रिम	-	5,000
			ट) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	1,700

			ठ) पूजा खर्च के लिए अग्रिम	20,000	-
			ड) कर्मचारी कल्याण के लिए अग्रिम	48,000	62,000
			ढ) यात्रा / यात्रा व्यय के लिए अग्रिम	6,47,405	3,28,950
			त) एलटीसी एडवांस	28,300	-
			थ) सलाहकार और प्रोग्रामर जमा के लिए अग्रिम	-	1,60,000
			द) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	1,000
			ध) आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	-	17,000
			न) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम		8,000
9. ऋण एवं अग्रिम			**9. सीपीएफ, जीपीएफ, पेंशन खातों से स्थानान्तगरित निधि**		
क) मीटिंग के लिए अग्रिम	28,481	1,607			
ख) अभियान सप्ताह के लिए अग्रिम	2,832	-			
ग) क्रॉकरी के लिए अग्रिम	-	11			
घ) लेखापरीक्षा के लिए अग्रिम	-	89			
ड़.) स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम	1,647	4,950			
च) हिन्दी सेमिनार के लिए अग्रिम	-	127			
छ) स्टैंप के लिए अग्रिम	-	5,000			
ज) यात्रा / यात्रा व्यय के लिए अग्रिम	89,940	65,927			
झ) पूजा खर्च के लिए अग्रिम	8,520	-			
ट) मरम्मत और अनुरक्षण के लिए अग्रिम	-	357			
ठ) सलाहकार और प्रोग्रामर जमा के लिए अग्रिम	-	1,39,962			
ड) आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	-	5,185			
ढ) कर्मचारी कल्याण के लिए अग्रिम	515	2,923			
त) टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	251			
थ) एमएस सील के लिए अग्रिम	-	670			
10. प्रत्यक्ष व्यय उत्क्रमण			**10. जमा शेष**	-	-
क) स्थापना व्यय	4,61,097	3,82,128	क) रोकड़ शेष	-	-
ख) प्रशासनिक व्यय	38,490	1,305	ख) बैंक बैलेंस i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खाते	8,53,77,602	4,53,60,998
योग	**11,89,01,350**	**6,91,31,629**	**योग**	**11,89,01,350**	**6,91,31,629**

ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

ह/-
सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 1 : अक्षय/पूंजी निधि

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष 1.04.2015 के प्रारंभ में शेष	1,21,06,191	1,58,31,742
जोड़ें: संग्रह पूंजी निधि में अंशदान	6,962	2,08,900
जोड़ें: आइओबी- खाता 209501000010000	-	1,17,692
घटाएं: अर्जित निधि ब्याज में अंतरण	-	-
घटाएं: आय एवं व्यय खाते से अंतरित आय से अधिक व्यय	1,21,13,153	1,61,58,334
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते से अंतरित व्यय से अधिक व्यय	7,61,959	(40,52,143)
वर्ष के अंत में शेष	**1,28,75,112**	**1,21,06,191**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 2 : निर्धारित/ अक्षय निधियां

(धनराशि-₹)

विवरण	निधि–वार ब्रेकअप							
	आवेदन पंजीकरण शुल्कर	एल.वेन्नामई के लिए प्रोसेसिंग शुल्कन		ब्याज	फ़ीड उत्पाद	निर्धारित निधि में से व्यय	योग	
		फार्म	मछली पालने का जहाज़				चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) **निधियों का आरंभिक शेष**	14,84,496	79,67,529	1,97,70,950	28,84,251	1,68,70,750	(64,87,558)	4,24,90,418	2,96,82,351
ख) **निधियों का जोड़**							-	-
i. चंदा/ अनुदान	-						-	-
ii. अक्षय निधि खाते में निवेश से प्राप्तत आय	-	-	-	-			-	-
iii. शुल्क	3,56,184	3,17,950	75,55,200	34,01,390	2,11,01,290	-	3,27,32,014	1,08,37,940
iv योगदान							-	-
v बंदोबस्ती निधि में अंतरित ब्याज रसीदें				(62,85,640.97)			(62,85,641)	19,70,127
vi बंदोबस्ती निधि में अंतरित ब्याज रसीदें	1,68,076.60	7,56,565.57	24,95,211.73	-	28,65,787.07		62,85,641	
योग (क + ख)	**20,08,757**	**90,42,045**	**2,98,21,362**	**-**	**4,08,37,827**	**(64,87,558)**	**7,52,22,432**	**4,24,90,418**
ग) **उपयोगी/ निधियों के उपयोग की दिशा में खर्च**	-	-	-	-	-	-	-	-
i. पूंजीगत खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-
- अचल संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य-समाधान	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. **राजस्व खर्च**	-	-	-	-	-	-	-	
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते इत्योदि	-	-	-	-	-	-	-	
- फार्मों के निरीक्षण इत्यादि पर यात्रा व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
- प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
- सेमिनार/ कांफ्रेंस इत्यादि पर व्यय	-	-	-	-	1,00,000	-	1,00,000	-
- वर्ष के दौरान समायोजित निर्धारित निधि में से व्यय	-	-	-	-	64,87,558	(64,87,558)	-	-
iii. **भारतीय बैंक खाते का स्थानान्तरण**	-	-	-	-	-	-	-	
योग ग	**-**	**-**	**-**	**-**	**65,87,558**	(64,87,558)	**1,00,000**	**-**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	**20,08,757**	**90,42,045**	**2,98,21,362**	**-**	**3,42,50,269**	**-**	**7,51,22,432**	**4,24,90,418**

टिप्पयणी: 1) अनुदान के लिए संलग्न शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।

2) केन्द्रीय/ राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दिखाया जाना होता है और किसी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं करना होता है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय
जींडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची भाग

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां				
2. विविध ऋणदाता				
क) माल के लिए	-	-	-	31,194
ख) अन्य	-	31,194	-	-
क. मुथु सहफ्ट लैब्स	31,194	-	31,194	-
3. निष्पादन जमानत राशि	-	3,662		3,662
क) मैसर्स ऐश्वर्या कांस्ट्रक्शन, चेन्नै	3,662	-	3,662	
4. पेशगी जमानत राशि		50,000		50,000
क) मैरिट एंटरप्राइजेज	-		-	
ख) ऑर्बिट टैक्नोलॉजी	-		-	
ग) मैसर्स डे एंड डे सर्विसेज प्रा.लि.	30,000		30,000	
घ) मैसर्स बायो-इनकार्प/ एजीलैंट टैक्नोलॉजी	-		-	
ड.) मैसर्स सिवा कैब्स, चेन्नै	-		-	
च) मैसर्स ब्राड लाइन	5,000		5,000	
छ) मैसर्स मुथ्थूल सॉफ्ट लैब्स	5,000		5,000	
ज) मैसर्स नुकम टैक्नॉलाजीज	5,000		5,000	
झ) मैसर्स विगनेश कैप्स	5,000		5,000	
5. प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं:				
क) सुरक्षित ऋण/ उधारियां				
ख) असुरक्षित ऋण/ उधारियां				
6. सांविधिक देयताएं:				
क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)				
7. अन्य चालू देयताएं				
क) मैसर्स हिटाची सिस्टम माइक्रो क्लीसनिक प्रा० लि०	7,293	7,293	7,293	7,293
8. राज्य मात्स्यिकी, आंध्र प्रदेश	50,700	50,700	50,700	50,700
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. भुगतान योग्य वेतन–मार्च, 2019	-	-	12,08,025	12,08,025
11. आईओबी– खाता 209501000010000	-	-	-	-
12. एनपीएस कटौती – श्री के श्रीनिवासन बाबू	1,09,737	1,09,737	95,659	95,659
13. सीपीसी/ एलएसपीसी बकाया	14,45,845	14,45,845	14,45,845	14,45,845
14. बोनस देय	-	-	-	-
15. देय किराया मार्च 2019	2,17,888	2,17,888	2,17,888	2,17,888
16. बकाया किराया	32,98,672	32,98,672		
17. कैट–वेतन देय 2018 - 19	30,00,000	30,00,000		
18. जनशक्ति एजेंसी मेसर्स डे एन डे (मार्च 2019 के लिए)	2,50,423	2,50,423		
19. जयरामन एलएसपीसी / जीपीएफ	3,80,290	3,80,290		
योग		**93,45,704**		**36,10,266**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची भाग

अनुसूची 4 : अचल सम्पत्ति

(धनराशि–₹)

मद	मूल्य ह्रास (%)	Gross Block					Depreciation				निवल ब्लाक		
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि 30.09.2015 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि 30.09.2015 के बाद	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यांतकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	5000/– रूपए से कम की खरीद पर 100: की दर से	वर्ष के अंत में कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
संयंत्र और मशीनरी	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	74,29,613	5,06,695	-		79,36,308	28,71,273	33,77,968
प्रयोगशाला उपस्कर	15%	52,54,588				52,54,588	28,94,144	3,54,067			32,48,211	20,06,377	23,60,444
कार्यालय उपस्कर	15%	46,18,029	-	-		46,18,029	29,15,828	2,55,330			31,71,158	14,46,871	17,02,201
कार	15%	3,30,860				3,30,860	3,16,114	2,212			3,18,326	12,534	14,746
फर्नीचर्स एवं फिक्चर्स	10%	46,13,711		6,962		46,20,673	25,88,732	2,02,846			27,91,578	18,29,095	20,24,979
कम्यूअर एवं पेरीफेरल्स	40%	33,85,900		-		33,85,900	33,08,714	30,874			33,39,588	46,312	77,186
पुस्तकालय एवं तकनीकी पुस्तकें	40%	23,58,882				23,58,882	23,34,496	9,754	-		23,44,250	14,632	24,386
चालू वर्ष का योग		**3,13,69,551**	**-**	**6,962**	**-**	**3,13,76,513**	**2,17,87,641**	**13,61,778**	**-**	**-**	**2,31,49,419**	**82,27,094**	**95,81,910**
पिछले वर्ष का													
ख. चल रहा बड़ा कार्य													
योग												**82,27,094**	**95,81,910**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जींडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 5 : निर्धारित/ अक्षय निधियों से निवेश

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मियादी जमा प्रापतियां (आईओबी)	30,69,183	28,29,831
योग	**30,69,183**	**28,29,831**

अनुसूची 6 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां :		
1. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
ख) – बचत खातों पर	8,53,77,602	4,53,60,998
2. हाथ में मुद्रा		
क) स्टैंप (फ्रैंकिंग)	62,113	2,60,024
ख) स्टैंप (पोस्टल)	24,084	1,964
ग) पोस्ट मास्टर	5,00,000	
3. बैंक शेष (निर्धारित निधि)		
आईओबीः		
पेंशन निधि निवेश बचत बैंक खाता संख्या.में:209501000007601	-	-
बचत बैंक खाते में सामान्य भविष्य निधि निवेश संख्याः 209501000006535	-	-
एसबी खाते में अंशदायी भविष्य निधि निवेश संख्याः 209501000006536	-	-
आईओबी - 209501000010000	-	1,22,276
भारतीय बैंकः		-
पेंशन निधि निवेश बचत बैंक खाते मेंः 6349080748	-	-
बचत बैंक खाते में सामान्य भविष्य निधि निवेश संख्या:6349080908	-	-
एसबी खाते में अंशदायी भविष्य निधि निवेश संख्या:6349081107	-	-
योग (क)	**8,59,63,799**	**4,57,45,262**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति		
नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँः		
क) पूर्व भुगतान (अनुलग्नक-१)	-	-
ख) एलटीसी एडवांस	28,300	-
ग) बैठक के लिए अग्रिम	5,000	-
घ) यात्रा के लिए अग्रिम (अनुलग्नक-1)	10,000	10,000
ड.) वेतन वसूली योग्य	90	90
च) टेलीफोन जमा	39,782	39,782
योग (ख)	83,172	49,872
योग (क + ख)	**8,60,46,971**	**4,57,95,134**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

31–03–2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 7 : अनुदान/ राजसहायताएं
(गैर–वसूली योग्य अनुदान और प्राप्त राजसहायताएं)

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) केन्द्र सरकार	3,99,93,038	1,97,91,100
योग	**3,99,93,038**	**1,97,91,100**

अनुसूची 8 : शुल्क/ अभिदान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) निविदा शुल्क	-	-
2) आरटीआई शुल्क	20	190
3) एमटीएस आवेदन पत्र शुल्का	-	-
योग	**20**	**190**
नोट: प्रत्येक मद के संबंध में लेखाकरण नीतियों को प्रकट नहीं किया जा सकता है।		

अनुसूची 9 : निवेशों से आय
(निधियों में अंतरित की गई निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

	निर्धारित निधि से निवेश	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
इंडियन बैंक में मीयादी जमा पर ब्याज		
योग	-	-
निर्धारित/ अक्षय निधियों में अंतरित	-	-

अनुसूची 10 : अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमाओं पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	2,79,782	4,37,280
योग	**2,79,782**	**4,37,280**

नोट: स्रोत पर कर की कटौती दर्शाई जाएगी

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची 11 : अन्य आय

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विविध आय पीओ . से छूट ईपीएफओ से घटाए गए खर्च का हिस्सा ब्याज - आईओबी 209501000010000	12 - - -	1,729 3,474 74,511 -
योग	**12**	**79,714**

अनुसूची 12 : स्थापना व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	1,44,07,253	1,15,14,798
ख) बोनस	84,623	93,258
ग) एलटीसी सुविधा	2,20,848	26,317
घ) पीएफ अंशदान	7,37,890	2,93,330
ड.) ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	1,98,000	-
क) चिकित्सा व्यय	22,665	54,692
ख) कर्मचारी कल्याण	47,485	78,743
h) नकदीकरण छोड़े	7,492	8,820
i) जीएसएलआई	660	720
j) एनपीएस	8,34,894	4,09,982
k) पूर्वसेवार्थ वृत्ति में अंशदान	30,26,210	11,84,698
l) वृत्ति कर	-	29,019
m) बैठने का शुल्क	18,000	24,000
योग	**1,96,06,020**	**1,37,18,377**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय

31–03–2019 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय के तुलन पत्र का अनुसूची प्रपत्र भाग

अनुसूची 13 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(धनराशि–₹)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. विज्ञापन और प्रचार	71,619	6,09,041
2. प्रकाशन	-	-
3. घरेलू यात्रा व्यय	26,66,119	14,59,543
4. आपूर्ति और सामग्री	-	-
5. **कार्यालय व्यय**	-	-
मरम्मत और अनुरक्षण	88,096	1,06,571
विद्युत और ऊर्जा	5,12,048	5,65,025
ईंधन प्रभार	64,500	78,000
किराया, दर और कर	59,13,328	29,95,272
फोटोस्टेट्स व्यय	3,090	
पोस्टेज, टेलीग्राम	2,22,133	2,22,337
प्रिंटिंग, स्टेशनरी और उपभोज्य	5,36,140	3,14,675
कटलरी और क्रहकरी	-	9,989
कंम्प्यूटर अनुरक्षण	-	5,850
टेलीफोन व्यय	4,13,764	4,26,647
विविध व्यय	2,70,287	5,93,546
वाहन किराया प्रभार	9,41,990	3,41,085
बैठक व्यय	3,92,348	1,73,300
विविध व्यय	19,657	59,195
सेमिनार/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण व्यय	8,96,169	1,24,123
अन्य संविदात्मक सेवा	8,07,142	8,83,271
स्थानांतरण व्यय	5,120	
लैब रसायन	7,37,053	
एएमसी व्यय (ए.सी., कंप्यूटर, कार्यालय उपकरण आदि)	50,250	52,511
वाहन	7,227	4,843
सलाहकार शुल्क	32,48,182	-
अनुवाद शुल्क	-	-
समाचार पत्र और पत्रिका	748	745
सहफ्टवेयर विकास	4,41,217	-
लैब उपकरण	3,068	-
वेब होस्टिंग शुल्क	-	8,625
वेब अहडिटिंग शुल्क	-	17,700
हिंदी सप्ताह समारोह/प्रतियोगिता	1,09,838	-
स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस समारोह	12,353	-
बैंक शुल्क	5,529	11,381
लेखा परीक्षा व्यय	12,261	17,395
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	73,556	1,39,080
अभियान सप्ताह	3,668	-
साक्षात्कार खर्च	-	20,038
कानूनी शुल्क	-	5,000
पूजा खर्च	14,595	-
योग	**1,85,43,095**	**92,44,788**

अनुलग्नक 1

अग्रिम

क्र.सं.	नाम	31.03.2019	31.03.2018
1	श्रीमती जी. प्रिया, एसटीए		
2	श्री. रमेश कुमार, एसटीए		
3	कुमारी. एस. प्रिया, स्टेनो जीआर डी		
4	श्री. वी. सेल्वम, स्टाफ कार ड्राइवर		
5	श्री. इलावरसन, एमटीएस		
6	श्री. पी राजेश, एमटीएस		
7	श्री. वी प्रसाद, एमटीएस		
8	श्रीमती जयंती, जूनियर क्लर्क		

क्र.सं.	अन्य अग्रिम		
1	प्रीपेड खर्चे	-	-
2	बैठक के लिए अग्रिम	-	-
3	एलटीसी एडवांस	-	
4	यात्रा के लिए अग्रिम . श्री जयरामन	10,000	10,000
	योग	**10,000**	**10,000**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची – 14

1. लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरण, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), आईसीएआई द्वारा जारी लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों (एएस) और सीजीए द्वारा यथा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए प्रासंगिक प्रस्तुतिपरक आवश्यकताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किया जाता है। प्राधिकरण व्यय और आय की सभी मदों के संबंध में लेखांकन के उपार्जन पद्धति का अनुसरण करता है सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया हो।

2. अचल परिसंपत्तियां

क) अचल परिसंपत्तियों को इनकी विधिवत् जांच करने क बाद ही लेखांकित किया जाता है।

ख) अचल परिसंपत्तियों को लागत घटाव संचित मूल्यह्रास लागत पर उल्लिखित किया जाता है जिसमें खरीद मूल्य, आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा परिसंपत्तियों को इसके इच्छित उपयोग के लिए अपनी कार्य दशाओं में लाने की कोई अन्य प्रत्यक्ष कारण लागत शामिल है। अर्हता प्राप्त अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण से संबंधित वित्तपोषण लागत को भी उस सीमा तक शामिल किया जाता है जहां तक वे उस अवधि से संबंधित हों जब तक ऐसी परिसंपत्तियां उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएं।

ग) पूर्व जलकृषि प्राधिकरण की अचल परिसंपत्तियों को भी सीएए द्वारा मूल्य ज्ञात परिसंपत्तियों के लिए खरीद की तारीख से अधिग्रहण की तारीख तक की अवधि के लिए लागत घटाव मूल्यह्रास पर लेखा में लिया गया था। मूल्य गैर-ज्ञात परिसंपत्तियों के मामले में, सीएए के बही खातों में पूंजीकरण के लिए रु.1/- के कल्पित मूल्य पर विचार किया गया है।

घ) गैर-मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को पूंजी निधि में तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखा में लिया गया है।

ङ) विशिष्ट सहायता अनुदान के एवज में अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियों को प्राधिकरण के खाते में अचल परिसंपत्तियों के रूप में लेखांकित किया गया है। सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों की लागत को पूंजी निधि में जमा किया गया है। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास भी आयकर अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित दरों पर परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर प्रभारित किया गया है और आय तथा व्यय लेखा में स्वीकार किया गया है।

3. मूल्यह्रास

क) मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के संवर्धनों/कटौतियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में निर्दिष्ट दरों पर पूर्ण मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है और वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों पर 50 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

ग) रु. 5000/- और इससे कम कीमत की अचल परिसंपत्तियों की प्रत्येक मद को अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया गया है।

घ) वित्त अधिनियम, 2017 में नवीनतम संशोधन के अनुसार, पुस्तकों तथा कंप्यूटरों के मामले में मूल्यह्रास की दर को 40 प्रतिशत तक सीमित किया गया था।

4. पट्टा/किराया

पट्टा/किराया पट्टे के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार व्ययों के रूप में लेखांकित किए गए हैं।

5. परिसंपत्तियों की क्षीणता

परिसंपत्ति को तब क्षीण समझा जाता है जब परिसंपत्ति की ढुलाई लागत इसके वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक होती है। क्षीणता हानि को उस वर्ष के आय एवं व्यय विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों की क्षीण के रूप में पहचान की गई हो। क्षीणता हानि मान्यता प्राप्त अथवा वसूलीयोग्य राशि है।

6. सरकारी अनुदान/सब्सिडियाँ

पूंजीगत व्यय अर्थात सहायता अनुदान से निर्मित मूल्यह्रास-योग्य परिसंपत्तियों की लागत को 'पूंजी निधि' खाते में जमा किया जाता है। सहायता-अनुदान से प्रोद्भूत राजस्व व्यय को ''आय और व्यय खाते'' में घटाया जाएगा। खर्चों पर अनुदान की अधिकता वर्ष के अंत में पूंजी निधि खाते में अंतरण कर दी जाती है।.

7. सेवानिवृत्ति लाभ

क) नई पेंशन योजना में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए/देय प्राधिकरण के अंशदान को आय एवं व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ख) सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन के मामले में देयताओं का डीओपीटीएम सं. 7/5/2012-पीएंडपीडब्ल्यू दिनांक 26-08-2016, केंद्रीय लोक सेवा पेंशन नियम, 1972, केंद्रीय लोक सेवा छुट्टी नियम और इस प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित के अनुसार प्रतिवर्ष पता लगाया जाता है।

8. कराधान

प्राधिकरण धन कर, आयकर, वस्तु और सेवा कर, या उनकी संपत्ति, आय, प्राप्त लाभ के लाभ के संबंध में किसी अन्य कर के संबंध में संघ/राज्य को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है । इसलिए वर्तमान और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

माप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा से जुड़े प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब अतीत की घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा। आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन खातों के हिस्से बनाने वाली टिप्पणियों में खुलासा किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

10. आय एवं व्यय

वर्ष के सभी आय और व्यय, इस अनुच्छेद में बाद में उन विनिर्दिष्ट के सिवाय, खातों के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षों के अधीन उपार्जन आधार पर लेखांकित किए जाते हैं:–

क) पूर्व वर्ष की आय या व्यय, जो एक या अधिक पूर्व अवधियों में प्रावधान/देयता बनाने में चूक की त्रुटियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, का लेखांकन ''पूर्व अवधि समायोजन'' खाते के तहत किया जाता है।

ख) यदि वास्तविक व्यय या आय व्यय के आधार पर बनाई गई देयता/प्रावधान से अधिक है, तो इसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है।

ग) वार्षिक खातों और अतिरिक्त साधारण मदों को अंतिम रूप देने की तिथि के बाद लिए गए निर्णय के कारण प्राधिकरण को उपार्जित व्यय/आय। यदि कोई हो, पूर्वव्यापी प्रभाव होने पर, नकद आधार पर लेखांकित किया जाता है।

घ) तुलनपत्र और/या आय और व्यय खाते में किसी वस्तु के लेखांकन उपचार और प्रकटीकरण के तरीके का निर्धारण करने में भौतिकता की अवधारणा पर उचित विचार किया जाता है और इसलिए प्रत्येक मामले में 1,000 रुपये तक की पूर्व भुगतान/पूर्व अवधि की वस्तुओं का लेखांकन नकद आधार पर खाते के नैसर्गिक शीर्षों में लेखांकित किए जाते हैं।

11. राजस्व मान्यता

क) प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच 70:30 के अनुपात में डीएलसी/एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्र शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण लिटोपेनेस वननामी फार्मों और हैचरी के लिए प्रक्रिया शुल्क एकत्र कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार, शुल्क प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण के यथा निर्धारित/संचयी निधि में लेखांकित किया जाता है और विशिष्ट अथवा निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा बनाये रखा गया है।

ख) ब्याज आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखा जाता है।

12. पृथक प्रकटन

निम्नलिखित के मामले में आय तथा व्यय लेखा में पृथक प्रकटन किए जाते हैं:

क) ''पूर्व अवधि'' मदें जिनमें आय या व्ययों की सामग्री मदें शामिल होती हैं जो वर्तमान अवधि में त्रुटियों या व्ययों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं जो वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं या एक

या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में चूक की त्रुटियां होती हैं। पोस्ट मास्टर से डाक टिकट खरीदने के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान की जा रही २,००,००० रुपये की राशि पिछले वित्त वर्ष में आय और व्यय के लिए प्रभारित की गई थी। परिणामस्वरूप, वर्तमान परिसंपत्तियों अर्थात् पोस्टमास्टर को अग्रिम को संस्थान के तुलनपत्र में मान्यता नहीं दी गई थी और आय से अधिक व्यय को 2,00,000 रुपये तक अतिउल्लिखित किया गया था। इसे चालू वर्ष के खातों में आय और व्यय खाते में जमा करके और पोस्ट मास्टर को अग्रिम को मान्यता देकर सुधारा गया था।

ख) ‘‘असाधारण‘‘ मदें, जो आय या व्ययों की सामग्री मदें हैं जो घटना या लेनदेन से उत्पन्न होती हैं जो इकाई की साधारण गतिविधियों से स्पष्ट रूप से अलग हैं और, इसलिए, बार-बार या नियमित रूप से पुनरावृत्ति होने की उम्मीद नहीं की जाती है।

ग) ‘विविध व्यय‘ शीर्ष के अधीन कोई मद जो 50,000 रुपये से अधिक की हो, इसे आय एवं व्यय लेखा में उपयुक्त लेखा शीर्ष के सापेक्ष दर्शाया गया है।

ह/-	ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अनुसूची – 15: आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएँ

31 मार्च 2019 तक आकस्मिक देयता का कोई मामला प्रतीत नहीं होता है।

निर्धारित/संचयी निधियाँ

पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि निर्धारित निधियों में से अर्जित ब्याज को उचित आधार पर निर्धारित निधियों में जोड़ा जाना चाहिए। चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च 2019 तक निर्धारित निधियों में से अर्जित ब्याज 62,85,640.97 रुपये की राशि ब्याज के प्रभाजन से पहले निर्धारित निधियों में अंत शेष के अनुसार ब्याज खाते से निर्धारित निधियों में अंतरण किया गया था। विवरण इस प्रकार हैं:

सं.	निर्धारित निधि	अंतरण की गई ब्याज की राशि (रु. में)
1	फार्म पंजीकरण शुल्क	1,68,076.60
2	प्रक्रिया शुल्क (एल वी फार्मस)	7,56,565.57
3	प्रक्रिया शुल्क (एल वी हैचरी)	24,95,211.73
4	फीड उत्पाद	28,65,787.07
जोड़		62,85,640.97

अचल परिसंपत्तियां

पूर्व जलकृषि प्राधिकरण की अचल परिसंपत्तियों को भी सीएए द्वारा मूल्य ज्ञात परिसंपत्तियों के लिए खरीद की तारीख से अधिग्रहण की तारीख तक की अवधि के लिए लागत घटाव मूल्यह्रास पर लेखा में लिया गया था। मूल्य गैर-ज्ञात परिसंपत्तियों के मामले में, सीएए के बही खातों में पूंजीकरण के लिए रु. 1/- के कल्पित मूल्य पर विचार किया गया है। आयकर नियमों में निर्धारित दर पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की गई है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्राधिकरण ने डाकघर से फ्रैंकिंग मशीन ली है और वह एकमुश्त राशि के लिए डाक टिकटों से भरा हुआ है। इसके अलावा, प्राधिकरण डाकघर से सरकारी डाक टिकट खरीदता है, इसलिए भुगतान की गई राशि को हाथ में टिकटों के रूप में दिखाया गया है। डाक टिकट की दैनिक खपत के लिए रखे गए रजिस्टर के आधार पर, टिकटों पर किए गए कुल व्यय को वार्षिक आधार पर हाथ में डाक टिकटों के लिए तदनुरूपी

क्रेडिट द्वारा प्रासंगिक व्यय मद में घटाया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक हाथ में टिकट 86,197 रुपये थे और फ्रैंकिंग मशीन की रिफिलिंग के लिए पोस्ट मास्टर, सेंट थॉमस माउंट को 5,00,000 रुपये की राशि जारी की गई है। रिफिल रिपोर्ट में कहा गया राशि 20 मई 2019 को फ्रैंकिंग मशीन के खाते में जमा की गई थी। इसलिए 31 मार्च 2019 तक पोस्ट मास्टर अकाउंट के तहत 500,000 रुपये दर्शाए गए हैं।

वर्तमान देयताएँ

क. प्रदर्शन गारंटी के रूप में प्राप्त रु. 3,662/- की प्रतिभूति जमाराशियां इसकी वारंटी अवधि के पूरा होने तक बरकरार रखी जाएगी।

ख. श्री के. श्रीनिवास बाबू, निरीक्षक के आईआईएफपीटी, थंजावुर में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि से संबंधित नियोक्ता के रु. 1,09,737/- अंशदान के साथ एनपीएस अंशदान एनएसडीएल पेंशन निधि प्रबंधकों को देय है।

कराधान

प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, प्राप्त लाभ के लाभ के संबंध में धन कर, आय-कर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए वर्तमान और आस्थगित आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकारी अनुदान/संग्रहीत शुल्क

पूंजीगत व्यय अर्थात सहायता-अनुदान से निर्मित मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की लागत 'पूंजी निधि' खाते में जमा की जाती है। सहायता-अनुदान से किए गए राजस्व व्यय को ''आय और व्यय खाते'' में डेबिट किया जाएगा। व्यय से अधिक आय को वर्ष के अंत में पूंजी निधि खाते में ३१ मार्च, २०१६ तक अंतरण कर दिया जाता है।

प्राधिकरण डीएलसी/एसएलसी और सीएए के बीच ७०:३० के अनुपात में डीएलसी/एसएलसी द्वारा फार्मों के पंजीकरण के लिए एकत्र शुल्क प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण एल वी फार्मों और हैचरी के लिए प्रक्रिया शुल्क एकत्र कर रहा है। प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार, शुल्क प्राप्तियों के वर्ष में प्राधिकरण के यथा निर्धारित/संचयी निधि में लेखांकित किया जाता है और विशिष्ट अथवा निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा बनाये रखा गया है।

पिछले वर्ष के आंकड़े

स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया में तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते में पिछले वर्ष के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

ह/-	ह/-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य सचिव

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2019 तक तुलनपत्र

पूंजी निधि / देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सीपीएफ निधि		
प्रारंभिक शेष	5,43,681	4,35,901
व्यय पर आय की अधिकता / (कमी)	5,84,372	1,07,780
	11,28,053	5,43,681
जोड़	**11,28,053**	**5,43,681**
परिसंपतियां		
अचल परिसंपतियां	-	-
निवेश	-	-
वर्तमान परिसंपतियां		
बैंक में रोकड़		
- इंडियन बैंक	11,26,109	5,41,747
- आईओबी	1,944	1,934
जोड़	**11,28,053**	**5,43,681**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सीपीएफ अंशदान	5,48,800	85,420
ब्याज	35,631	22,360
जोड़	**5,84,431**	**1,07,780**
व्यय		
बैंक प्रभार	59	-
निपटान किया गया/अंतरण किया गया सीपीएफ	-	-
व्यय पर आय की अधिकता / (कमी)	5,84,372	1,07,780
जोड़	**5,84,431**	**1,07,780**

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 अवधि के लिए प्राप्तियां और भूगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष		
- इंडियन बैंक	5,41,747	4,33,983
- आईओबी	1,934	1,918
सीपीएफ अंशदान	5,48,800	85,420
ब्याज	35,631	22,360
जोड़	**11,28,112**	**5,43,681**
भूगतान		
बैंक प्रभार	59	-
निपटान किया गया/अंतरण किया गया सीपीएफ	-	-
अंत शेष		
- इंडियन बैंक	11,26,109	5,41,747
- आईओबी	1,944	1,934
जोड़	**11,28,112**	**5,43,681**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

सामान्य भविष्य निधि
31 मार्च 2019 तक तुलनपत्र

पूंजी निधि / देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
जीपीएफ निधि		
प्रारंभिक शेष	12,23,133	21,13,156
व्यय पर आय की अधिकता / (कमी)	1,65,992	(8,90,023)
	13,89,125	12,23,133
जोड़	**13,89,125**	**12,23,133**
परिसंपतियां		
अचल परिसंपतियां		
निवेश	-	-
अचल परिसंपतियां	-	-
बैंक में रोकड़		
- इंडियन बैंक	13,86,681	12,20,717
- आईओबी	2,444	2,416
जोड़	**13,89,125**	**12,23,133**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
जीपीएफ अंशदान	1,56,000	2,31,000
ब्याज	72,051	1,36,477
जोड़	**2,28,051**	**3,67,477**
व्यय		
बैंक प्रभार	59	-
निपटान किया गया/अंतरण किया गया जीपीएफ	62,000	12,57,500
व्यय पर आय की अधिकता / (कमी)	1,65,992	(8,90,023)
जोड़	**2,28,051**	**3,67,477**

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष		
- बैंक शेष	12,20,717	21,10,773
- आईओबी	2,416	2,383
जीपीएफ अंशदान	1,56,000	2,31,000
ब्याज	72,051	1,36,477
जोड़	**14,51,184**	**24,80,633**
भुगतान		
बैंक प्रभार	59	-
निपटान किया गया/अंतरण किया गया जीपीएफ	62,000	12,57,500
अंत शेष		
- इंडियन बैंक	13,86,681	12,20,717
- आईओबी	2,444	2,416
जोड़	**14,51,184**	**24,80,633**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिप्पाक्कम, चेन्नै-600 091

पेंशन निधि

31 मार्च 2019 को तुलनपत्र

पूंजी निधि / देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
पेंशन निधि		
प्रारंभिक शेष	1,13,84,993	98,51,829
व्यय पर आय की अधिकता / (कमी)	37,26,161	15,33,164
	1,51,11,154	1,13,84,993
जोड़	**1,51,11,154**	**1,13,84,993**
परिसंपतियां		
अचल परिसंपतियां		
निवेश	-	-
वर्तमान परिसंपतियां	-	-
बैंक में रोकड़		
- इंडियन बैंक	1,50,84,600	1,13,59,293
- आईओबी	26,554	25,700
जोड़	**1,51,11,154**	**1,13,84,993**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

आय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
पेंशन अंशदान	30,26,210	11,84,698
ब्याज	7,00,010	3,48,466
जोड़	**37,26,220**	**15,33,164**
व्यय		
बैंक प्रभार	59	-
निपटान किया गया/अंतरण किया गया पेंशन	-	-
व्यय पर आय की अधिकता / (कमी)	37,26,161	15,33,164
जोड़	**37,26,220**	**15,33,164**

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 अवधि के लिए प्राप्तियां और भूगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष		
- इंडियन बैंक	1,13,59,293	98,27,033
- आईओबी	25,700	24,796
पेंशन अंशदान	30,26,210	11,84,698
ब्याज	7,00,010	3,48,466
जोड़	**1,51,11,213**	**1,13,84,993**
भूगतान		
बैंक प्रभार	59	-
निपटान किया गया/अंतरण किया गया पेंशन	-	-
अंत शेष		
- इंडियन बैंक	1,50,84,600	1,13,59,293
- आईओबी	26,554	25,700
जोड़	**1,51,11,213**	**1,13,84,993**

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(CENTRAL) CHENNAI

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28–040/2020–217/12 दिनांकः 30.04.2021

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय,
पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001

महोदय,

विषयः वर्ष 2018–19 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में।

मैं वर्ष 2018–19 के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखा विवरण के साथ अग्रेषित करता हूँ। संसद के समक्ष यथा प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट की तीन प्रतियाँ आने वाले समय में इस कार्यालय को अग्रेषित की जाएँ।

कृपया संलग्नकों के साथ इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

भवदीय

उप निदेशक/सीई

संलग्नः उपर्युक्त

प्राप्त पत्र / RECEIVED LETTER
Number 910
Date 10-06-2021

लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018. "LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI - 600 018.

सं. पीडीए(सी)/सीई/V/28–040/2020–21/13 दिनांक: 30.04.2021

तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई की वर्ष 2018–19 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ प्रति सदस्य सचिव, तटीय जलकृषि प्राधिकरण को अग्रेषित की गई है। अनुरोध है कि पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के हिंदी पाठ की 3 प्रतियाँ और संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट की 3 प्रतियाँ शीघ्र भेजें। यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2018–19 के लेखे संसद में पेश किए जाने की तारीखें भेजें।

उप निदेशक/सीई

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोट

हमने तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 की धारा 20 (3) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा के संलग्न तुलनपत्र का लेखापरीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम योजना और लेखापरीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए है कि क्या वित्तीय विवरण सामग्री गतल विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में जांच, एक परीक्षण के आधार पर, राशि और वित्तीय विवरण में प्रकटन का समर्थन सबूत शामिल हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने के रूप में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षा दी गई राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i हमें सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं।

ii इस रिपोर्ट से निपटाए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियों एवं भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii हमारी राय में, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई द्वारा प्राधिकरण के नियमों और विनियमों में की गई अपेक्षा के अनुसार बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है, जहां तक यह ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv हम यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

क. आय एवं व्यय लेखा

आय – अनुदान/सब्सिडियां – अनु. 7 – रु.399.93 लाख

वास्तविक व्यय से अधिक 18.44 लाख रुपये के राजस्व अनुदान को आय एवं व्यय खातों में आय के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के तहत 18.44 लाख रुपये की आय और अप्रयुक्त अनुदान कम उल्लिखित किया गया है।

ख. सामान्य

1. लेखांकन मानक–15 के तहत यथा अपेक्षित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान नहीं किया गया था।
2. 1,26,553 रुपये के शेष के साथ आईओबी का निर्धारित निधि बैंक खाता सं. 20950100000100 में वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत बैंक में नकदी में शामिल नहीं किया गया था।

ग. खातों में संशोधन का प्रभाव

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकरण के खातों में संशोधन किया गया और संशोधन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों और देनदारियों में 9.81 लाख रुपये की वृद्धि हुई और अधिशेष में 59.48 लाख रुपये की कमी आई।

वर्ष के दौरान प्राप्त 3.99 करोड़ रुपये की अनुदान राशि में से प्राधिकरण ने 31 मार्च 2019 तक 0.04 करोड़ रुपये का शेष छोड़कर 3.95 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया।

v. पिछले अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र, आय और व्यय खाते तथा प्राप्तियों एवं भुगतान खाता बही खातों के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों के अधीन, आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के कार्यों की 31 मार्च 2019 की स्थिति के तुलनपत्र का संबंध ह; और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय खाते का संबंध है।

भारत के सीएंडएली के लिए और ओर से

स्थानः चेन्नई

दिनांकः 30-04-2021

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चेन्नई

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2018-19 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

व्यय नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव नहीं होने के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अपर्याप्त माना जाता है।

3. अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2018-19 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2018-19 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देयताओं के भुगतान में प्राधिकरण नियमित था।

उप निदेशक/सीई

वर्ष 2018–19 के लिए अंतिम पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु पैरा–वार स्पष्टीकरण

क्र. सं.	एसएआर में पैरा सं.	स्पष्टीकरण
क.	**आय और व्यय लेखा** **आय – अनुदान/सब्सिडी – अनु. 7 – रु. 399.93 लाख** वास्तविक व्यय के आधिक्य में रु. 18.44 लाख का राजस्व अनुदान आय एवं व्यय लेखाओं में आय रूप में स्वीकार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं के अधीन आय में अति उल्लिखित और अप्रयुक्त अनुदान में रु. 18.44 लाख तक कम उल्लेख किया गया।	लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर, वित्तीय विवरण के सत्यापन पर, यह देखा गया है कि सीएटी प्रावधान को लेखांकित नहीं किया गया है, जिसे सीएजीआई द्वारा प्रमाणित लेखाओं के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रारंभिक जमाशेष में समायोजित किया गया है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय का अतिविवरण नहीं किया गया है। तदनुसार, प्रासंगिक अनुसूची (कॉर्पस निधि की अनु.–1 और वर्तमान देयता की अनु.–3) के समायोजित लेखे **अनुबंध–(क)** रूप में यहां संलग्न किए गए हैं।
ख.	**सामान्य**	
1	सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान लेखांकन मानक–15 के अधीन यथा अपेक्षित बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था।	~~तीन वर्षों 2019–20, 2020–21 और 2021–22 की अवधि के लिए सीएए कर्मचारियों के लिए उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए बीमांकन मूल्यांकन उपलब्ध करवाने के लिए बीमांकन मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए जरूरी कार्रवाई की गई है।~~
2	रु. 1,26,553 के जमाशेष के साथ आईओबी का निर्धारित निधि बैंक खाता सं. 20950100000100 वर्तमान परिसंपत्तियों के अधीन बैंक में नकदी में शामिल नहीं किया गया था।	रु. 1,26,553 के जमाशेष के साथ आईओबी के निर्धारित निधि बैंक खाता सं. 20950100000100 को ब्याज राशि रु. 4,429/– के साथ वर्ष 2019–20 में वर्तमान परिसंपत्तियों के अधीन बैंक में नकदी में शामिल किया गया है। बही खाते की प्रतिलिपि **अनुबंध–(ग)** के रूप में यहां संलग्न किया गया है। उपर्युक्त खाता बन्द किया गया है और आईडीबीआई में मौजूदा खाते में अंतरण किया गया है।
ग.	**लेखाओं में संशोधन का प्रभाव** प्राधिकरण के लेखे लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों एवं देयताओं में रु. 9.81 करोड तक वृद्धि और अधिशेष में रु. 59.84 लाख तक कमी की गई है।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।

घ.	**सहायता अनुदान** वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 3.99 करोड़ के सहायता अनुदान में से, प्राधिकरण ने 31 मार्च 2019 को शेषजमा रु. 0.04 छोड़ते हुए रु. 3.95 करोड़ की राशि का उपयोग किया था।	लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी में अलेखांकित प्रावधानों को सत्यापित करते हुए सुधार किया गया है जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रारंभिक शेष में समायोजित किया गया है क्योंकि खाते सीएजीआई द्वारा पहले ही प्रमाणित किया गया है। अतः रु. 0.04 करोड़ का शेष नहीं बचा है।
	अनुबंध	
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2018–19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।	सीएएंडजी के पैनल में शामिल सीए फर्म को सीएए के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए संपर्क किया गया है। चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सीए फर्म को भुगतान किया जाने वाला अनुमानित प्रोफेशनल शुल्क रु. 25,000/– से अधिक है और जीएफआर प्रावधान के अनुसार सीएएंडजी पैनल में शामिल सीए फर्म से दाम प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गए हैं।
2.	**अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन** वर्ष 2018–19 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।	
3.	**अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन** वर्ष 2018–19 के लिए अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था।	लेखापरीक्षा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए इसे शून्य माना जाए।
4.	**वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन वर्ष 2018–19 के लिए किया गया था।	
5.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** इस प्राधिकरण ने सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान किया था।	

संदर्भः पीडीए का पत्र सं. पीडीए (ग)/सीई/IV/28-040/2020-21/21 दिनांक 30-04-2021

अनुलग्नक (क)

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वां तल, एकीकृत कार्यालय कॉम्पलेक्स, वेटरिनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नन्दानाम, चेन्नई–600035

31.03.2020 तक तुलनपत्र की अनुसूचियां भाग

अनुसूची 1: कॉर्पस/पूंजी निधिः

(राशि–रू.)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्ष की शुरूआत में शेष	1,28,75,112	1,21,06,191
प्रारंभिक शेष – समायोजन		
घटायें: बैंक ब्याज और अन्य प्राप्तियां	17,52,847	
घटायें: ईएमएफ अनुसूची में गलती से लेखांकित अनुदान व्यय	20,80,346	
घटायें: बैंक प्रभार	172	
घटायें: सीएटी वेतन	8,62,835	
घटायें: वेतन और भत्ते – मार्च 2019 प्रावधान	9,81,086	
जोड़ें: कॉर्पस/पूंजी निधि के लिए प्राप्त अनुदान	1,03,250	6,962
जोड़ें: आईओबी – खाता 209501000010000	-	-
घटायें: पीएओ, एग्री को वापिस किया गया ब्याज	2,79,782	-
घटायें: आय और व्यय लेखा से अंतरण की गई आय पर व्यय	70,21,295	1,21,13,153
जोड़े: आय एवं व्यय लेखा से अंतरण किए गए व्यय पर आय की अधिकता	(5,67,971)	7,61,959
वर्ष के अंत में शेष	**64,53,323**	**1,28,75,112**
ख. भारत सरकार का ब्योरा – अनुदान		
प्रारंभिक शेष	-	
वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	4,50,00,000	
व्यय	3,43,67,742	
31-03-2020 तक अव्ययित शेष	**1,06,32,258**	-
वर्ष के अंत तक शेष (क+ख)	**1,70,85,581**	**1,28,75,112**

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

5वां तल, एकीकृत कार्यालय कॉम्पलेक्स, वेटरिंनरी हॉस्पिटल रोड, फानेपेट, नन्दानाम, चेन्नई–600035

31.03.2020 तक तुलनपत्र की अनुसूचियां का भाग

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि–रू.)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं 1. स्वीकृतियां				
2. विविध देनदार: i) सामानों के लिए ii) अन्य क. मुथु सॉफ्ट लैब्स	- - 31,194	- 31,194 -	- - 31,194	- 31,194 -
3. प्रदर्शन प्रतिभूति जमा क) ऐश्वर्या कंस्ट्रक्शन ख) अध्ययन प्रौद्योगिकी	- 3,662 20,800	24,462 -	3,662	3,662
4. जमानत धनराशि जमा क) मेरिट इंटरप्राइजिज ख) ऑर्बिट टेक्नॉलोजिस ग) डे एन डे सर्विसस (प्रा.) लि. घ) बायो-इनकहर्प/एलिगेन्ट टेक्नॉलजी ड.) सिवा कैब्स च) ब्रॉडलाइन छ) मुथु सॉफ्ट लैब्स ज) नुकम टेक्नहूलजी झ) श्री विग्नेश कैब्स ञ) देनब - देना	- - 30,000 - - 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000	50,000	- - 30,000 - - 5,000 5,000 5,000 5,000	50,000
5. प्रोद्‌भूत ब्याज लेकिन निम्न पर देय नहीं: क) सुरक्षित ऋण/उधारियां ख) असुरक्षित ऋण/उधारियां				
6. सांविधिक देयताएं: क) नई पेंशन योजना (कर्मचारी अंशदान)	93,990	93,990		
7. प्रतिभूति जमा क) हिताची सिस्टम माइक्रो क्लिनिक प्रा. लि.	7,293	7,293	7,293	7,293
8. राज्य मत्स्यपालन - आंध्र प्रदेश	50,700	50,700	50,700	50,700
9. अन्य प्रावधान (आकस्मिक)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. सीएटी - देय वेतन - वि.व. 2019-2020	86,06,435	86,06,435	30,00,000	30,00,000
11. टीएनपीडब्ल्यूडी के लिए इंटीरियर कार्य	41,70,000	41,70,000	-	-
12. एनपीएस कटौती - श्री के श्रीनिवासन बाबू	1,09,737	1,09,737	1,09,737	1,09,737
13. सीपीसी/एलएसपीसी बकाया	14,45,845	14,45,845	14,45,845	14,45,845
14. टीएनपीडब्ल्यूडी को देय अनुरक्षण	15,31,028	15,31,028	-	-
15. देय किराया - वानुवमपेट	-	-	2,17,888	2,17,888
16. देय किराया वि.व. 2019-2020 (टीएनपीडब्ल्यूडी)	24,13,320	24,13,320		
17. स्टाफ कटौती एवं प्रेषण	1,87,725	1,87,725	-	-
18. देय वेतन और भत्ता	7,15,995	7,15,995		
19. किराया बकाये	-	-	32,98,672	32,98,672
20. मै. डे एंड डे	-	-	2,50,423	2,50,423
21. जयरमन एलएसपीसी/जीपीएफ	3,80,290	3,80,290	3,80,290	3,80,290
जोड		**2,03,28,014**		**93,45,704**

बैंक खाते

समूह सार

विवरण	अंत शेष	
	नामे	जमा
बैंक खाते	9,77,91,944.50	
आईडीबीआई निर्धारित निधि	9,23,82,612.00	
आईडीबीआई मुख्य खाता	52,78,350.50	
आईओबी खाता सं. **209501000010000**	1,30,982.00	
सकल जोड़	**9,77,91,944.50**	

सत्यमेव जयते

Annual Report 2018-19

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जलकृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

Government of India

Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare

GDR Tower, 12-A Bharathi Street

Vanuvampettai, Madipakkam Post

Chennai - 600 091, Tamil Nadu

Tel : 91-44-2260 3783, 3784, 3502, Telefax : 044-2260 3780

Email : aquaauth@gmail.com

Website : www.caa.gov.in

डॉ सी गोपाल
सदस्य सचिव
Dr C GOPAL
Member Secretary

तटीय जलकृषि प्राधिकरण
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई
मडिप्पाक्कम पी.आ., चेन्नै-600 091
तमिल नाडु, भारत
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
Government of India, Ministry of Agriculture
GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai
Madipakkam P.O., Chennai - 600 091
Tamil Nadu, India

FOREWARD

India being one of the top fish producers and 2nd in aquaculture production in the world, has a thriving seafood export market (about 5 percent of the global sea food trade), earned about US$ 6.73 billion / Rs. 46589.37 crore (2018-19) through exports. India has exported 6,14,145 MT of frozen shrimp in 2018-19 and earned Rs.31800 Crore/ US$ 4.61 Billion foreign exchange from export of cultured shrimp. India has shown continuous and sustained increments in shrimp production from the level of 75,000 MT during 2008-09 to the level of 6.8 lakh MT during the year 2018-19. The export from India, though comprises of both captured and cultured aquatic food, cultured shrimp with its 68.26% stake stands as the single largest commodity exported. With the stagnation in the marine capture fisheries in India and worldwide, coastal aquaculture and mariculture is the most viable option for expanding the aquatic production without taxing the dwindling fresh water resources. An estimated 15 percent of the potential area has so far been put into use for aquaculture purpose.

The production from Coastal Aquaculture shall be expanded with more efficiency at every level of production and marketing, and increased industry consolidation. Sustainably expanded farming area, environmental friendly aquaculture technologies, fast-growing, Specific Pathogen Free (SPF) / Specific Pathogen Resistant (SPR) candidate species produced domestically and/or Internationally, domesticated for specific growing conditions, as well as for improved product characteristics, developing appropriate domestic and export market and enabling product acceptance through traceability and certification are the key areas of sustainable expansion of coastal aquaculture.

During the year 2018-19, CAA has registered 3008 new farms with a Total Farm Area of 3740.94 ha. and twelve (12) new hatcheries. CAA has finalized the import of 1,24,790 pairs of SPF broodstock of *L. vannamei* into the country during this year by empanelling 13 overseas suppliers. Coastal Aquaculture Authority is striving with its regulatory frame work for fueling sustainable development of coastal aquaculture in the country to provide nutritional security in addition to generating enormous job opportunities and livelihood for the rural population.

Although use of antibiotics in shrimp farming is strictly prohibited under the CAA Act, yet reports of rejection of our products by some importing countries is causing concern. To address the issues, the Authority had conducted workshops with experts from

various organizations, canvassed extensively through awareness programs with various stakeholders farmers, hatchery operators, feed manufacturers, inputs suppliers and seafood exporters, etc., in order to address 'zero level rejection' in conformity with the prevailing global market standards and requirements.

CAA acknowledges its gratitude to the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the officers under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries for their active support for the smooth functioning of the organization.

Dr C GOPAL
Member Secretary

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2018-19

I. Composition, Operational Goals and Objectives of the Authority

The Coastal Aquaculture Authority was established under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 for regulating activities connected with coastal aquaculture in coastal areas and for matters connected therewith or incidental thereto to ensure that coastal aquaculture does not cause any detriment to the coastal environment and the concept of responsible aquaculture is followed. Coastal aquaculture means '*culturing, under controlled conditions in ponds, pens, enclosures or otherwise, in coastal areas, of shrimp, prawn, fish or any other aquatic life in saline or brackish water; but does not include fresh water aquaculture*'. Coastal area means 'area of land within a distance of two kilometres from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters'. The main objective of the Authority is to promote sustainable development without causing damage to the coastal aqua environment following responsible coastal aquaculture practices and to protect the livelihood of various stakeholders living in the coastal area.

1. Composition of the Authority during 2018-19

i) **Dr K. K. Vijayan** .... Member
Director, Central Institute of Brackishwater
Aquaculture, Chennai, Government of India,
(Expert in the field of Coastal Aquaculture)
(Re-appointed with effect from 2nd November, 2018)

ii) **Dr G. Dharani** .... Member
Scientist 'F',
National Institute of Ocean Technology, Chennai,
Ministry of Earth Sciences, Government of India,
(Expert in the field of Coastal Ecology)
(with effect from 2nd November, 2018)

iii) **Dr W. Bharat Singh,** .... Member
Scientist 'F',
Ministry of Environment, Forests & Climate Change,
New Delhi, Government of India
(Expert in the field of Environmental Protection)
(with effect from 2nd November, 2018)

iv) **Dr. E. Ramesh Kumar, IAS,** .... Member
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries,
Government of India

Dr. J. Balaji, IAS
Joint Secretary (Fisheries)
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Government of India

v) **Shri Santosh Kumar Sarangi, IAS,** .... Member
Joint Secretary (EP-MP)
Department of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry,
New Delhi, Government of India

Shri K. S. Srinivas, IAS, ... Chairman
Marine Products Export Development Authority,
MPEDA House, Panampilly Avenue,
Cochin, Kerala
(with effect from 4th January, 2019)

vi) **Shri. Rama Shankar Naik, IAS,** .... Member
Commissioner of Fisheries
Government of Andhra Pradesh
(Representative of Government of Andhra Pradesh)

Shri. Mohammed Shahid, IAS, ... Member
Commissioner of Fisheries,
Department of Fisheries,
Government of Gujarat
(with effect from 2nd November, 2018)

vii) **Shri Vishal Gagan, IAS,** .... Member
Member, Coastal Aquaculture Authority and Secretary
(Fisheries & Animal Resource Development Department),
Secretariat, Bhubaneswar, Odisha

Shri Anoop Kumar, IAS
Secretary (Fisheries)
Department of Agriculture & ADF,
Mumbai,Government of Maharashtra
(with effect from 2nd November, 2018)

viii) **Shri P. Parthiban, IAS,** .... Member
Secretary/Special Secretary (Fisheries)
Government of Puducherry

Dr. K. Gopal, IAS,
Principal Secretary,
Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries
Government of Tamilnadu, Chennai
(with effect from 2nd November, 2018)

ix) **Shri Manjunath Naik, IAS** .... Member
Secretary (Fisheries),
Fisheries & Animal Husbandry Department,
Government of Karnataka, Bangalore

Shri Prabhat Kumar Mishra, IAS,
Principal Secretary,
Department of Fisheries,
Government of West Bengal, Kolkata
(with effect from 2nd November, 2018)

x) **Dr. C. Gopal** ....Member Secretary
(Members appointed by the Central Government)

2. Aims and objectives of the Authority

The aims and objectives of the Authority are to regulate '*coastal aquaculture*' activities in the areas notified by the Central Government as '*coastal areas*' and for matters connected therewith. The Authority is empowered to make regulations for the construction and operation of aquaculture farms in coastal areas, inspection of farms and hatcheries for *L. vannamei* to ascertain their environmental impact, registration of aquaculture farms and hatcheries, removal or demolition of coastal aquaculture farms which cause pollution, fixing standards for all coastal aquaculture inputs, *viz.* seed, feed, growth supplements, chemicals etc., used in coastal aquaculture and for the overall monitoring of coastal aquaculture activities in the country.

3. Powers and Functions of the Authority

The powers and functions of the Authority are specified in Chapter IV of the CAA Act, 2005, the Rules framed there under, and the Regulations framed by Coastal Aquaculture Authority, notified in March 2008. The CAA shall *inter alia* make regulations for the orderly and sustainable development of the coastal aquaculture sector to facilitate environmentally responsible and socially acceptable coastal aquaculture for the socio-economic benefits of the various stakeholders involved in the activity.

The major responsibility of Coastal Aquaculture Authority towards achieving these goals is to ensure registration of all kinds of coastal, brackish and saline aquaculture farms and hatcheries engaged or to be engaged in coastal aquaculture including SPF shrimp culture

with due biosecurity, etc., in the country within the notified area. Number of measures have been implemented by the Authority for registering all eligible coastal aquaculture farms through various awareness programmes to sensitize the farmers.

It is mandatory for all persons carrying on coastal aquaculture to register their farms with the Coastal Aquaculture Authority, as per the procedures laid down in the Coastal Aquaculture Authority Act and Rules. Registration is valid for a period of five years, which can be renewed from time to time for a like period. The registration process would be continued in respect of existing farms through renewal of registration, new farms as well as for farms that may be renovated for taking up coastal aquaculture activities in future.

Aquaculture is not permitted within two hundred meters from the High Tide Line of the seas, creeks, rivers and backwaters within the Coastal Regulation Zone. However, this condition is not applicable to the 'existing farms' i.e., farms set up before the commencement of the Act and to the non-commercial and experimental aquaculture farms operated by the Government or any research institute of the Government. However, all such farms need to be registered with the CAA. Any person carrying on coastal aquaculture without such registration is liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both as provided in Section 14 of the Act.

CAA is assisted by the State Level Committees (SLC) and the District Level Committees (DLC) set up under the provision of the CAA Rules, 2005 which are the primary linkages on matters concerning the registration of coastal aquaculture farms. In the case of farms up to 2 ha water spread area, the DLC, upon satisfaction, shall recommend the applications directly to CAA for consideration of registration; and in the case of farms above 2 ha water spread area, the DLC shall inspect the farm to verify compliance of norms and recommend the applications to SLC, who upon satisfaction, shall recommend them to the CAA for registration.

Coastal Aquaculture Authority was authorized to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei* from approved overseas SPF broodstock suppliers and to allot annual requirements of broodstock, as detailed in the Guidelines issued under Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD &F), under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001). Similarly CAA also grants permission to farms intending to culture SPF *L. vannamei* in accordance with the Guidelines issued under a notification dated 30.04.2009.

CAA is also empowered to monitor SPF *L. vannamei* hatcheries and farms for strict compliance of the Guidelines issued for this purpose.

The CAA also has the powers and functions as stated below :

- ensure that agricultural lands, salt pan land, mangroves, wet lands, forest lands, land for village common purposes and land meant for public purposes and national parks and sanctuaries are not converted as aquaculture farms in order to protect the livelihood of coastal community living in coastal areas;
- survey the entire coastal area and advise the Central Government and the State/ UT Governments for formulating suitable strategies for achieving eco-friendly development;
- advise and extend support to the State/UT Governments for constructing common infrastructure, common water in-take, discharge canals and common effluent treatment systems;
- fix standards for seed, feed, growth supplements and chemicals used for the maintenance of the water bodies and the organisms reared and other aquatic life.
- carry out or sponsor investigations and studies/schemes relating to environment protection and demonstration of eco-friendly technologies;
- collect and disseminate the data and other scientific and socio-economic information related to coastal aquaculture;
- prepare materials relating to sustainable development of coastal aquaculture and activities relating to coastal aquaculture;
- give publicity and train personnel regarding sustainable utilization and equitable sharing of the coastal resources;
- constitute various technical committees, sub-committees, working groups etc., for preparation of technical manuals etc.,
- direct the owners of the farm to carry out modifications to minimize the impacts on coastal environment;
- order seasonal closure for ensuring sustainability; or in the interest of maintaining environmental sustainability and protection of livelihoods in the interest of coastal environment;
- cancel the registration where any person has obtained registration by furnishing false information or contravened any of the provisions of these rules or of the conditions mentioned in the certificate of registration;
- deal with any issue pertaining to coastal aquaculture including those which may be referred to it by the Central Government;
- make suitable recommendations to the Government for amending the Guidelines from time to time.

4. Regulations of SPF *Litopenaeus vannamei* culture in India

Coastal Aquaculture Authority has been authorised, *vide* Notification dated 15th October 2008, issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, under the Livestock Importation Act, 1898, (as amended by Livestock Importation Act, 2001), to register hatcheries and to grant permission for importing broodstock of SPF *L. vannamei*. The broodstock suppliers were approved by CAA in consultation with National Fisheries Development Board (NFDB), Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) and Marine Product Export Development Authority(MPEDA). The biosecurity requirements for the quarantine, import permit, port of entry, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements on arrival of imported broodstock, disinfection methods etc., are mentioned in the said Guidelines specified in the above Notification.

Under the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2009, Guidelines were issued for regulating hatcheries and farms for introduction of SPF *L. vannamei*. These Guidelines include the criteria for applicants to breed *L. vannamei*, the technical requirements, procedures for production and sale of SPF *L. vannamei* seeds and specific norms and regulations for approval and operation of farms.

To facilitate smooth operations by the hatchery operators and shrimp farmers, Government of India came out with further amendments to the CAA Rules, 2005 through a notification in March, 2012 by permitting import of SPF juveniles of *L. vannamei* up to 10 g for rearing to adult broodstock, sale of nauplii among the permitted hatcheries and for shifting culture of one species to another after adequate dry out period. This notification also strengthens the inspection process to deal with unauthorized seed production and farming of *L. vannamei* through destruction of the unauthorized stock or through discard and disposal of stock by the Inspection Team of CAA.

An amendment Notification was issued on 16th February 2015 whereby Guidelines have also seen issued for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* to take up *L. vannamei* culture with low stocking density following zero water exchange.

An amendment to Guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the CAA was issued by the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in November 2015 in consonance with the provisions of CAA Act, 2015.

Coastal Aquaculture Authority is following these Guidelines in permitting hatcheries and farms to take up *L. vannamei* farming and in the inspection and monitoring of the farms and hatcheries for the sustainable development of this venture. The introduction of SPF *L. vannamei* paved way for revival of a large number of abandoned shrimp farms and

has resulted in substantial increase in the production and export of farmed shrimp in the country.

II. TARGETS AND PERFORMANCE

1. Annual Targets

- Convening of meetings of the Authority at least once in two months to take appropriate decisions for implementation.
- Registration and renewal of coastal aquaculture farms which is a continuous process and cannot be specifically targeted. An additional 3,000 coastal aquaculture farms were expected to be registered / renewed during the year subject to the receipt of proposals with the recommendations from the District Level Committees and State Level Committees (DLCs/SLCs).
- Extension of SPF *L. vannamei* culture, covering an additional area of about 2,000 ha for the year 2019-20 with an anticipated additional production of about 20,000 MT of the shrimp in a year.
- Selection of broodstock suppliers by the Technical Evaluation Committee depending upon the need and on reviewing the performance of existing suppliers.
- Issuing Public Notice to invite applications from prospective hatchery owners with adequate biosecurity facilities for granting permission to import broodstock and to produce SPF seed for supplying to the farmers approved by CAA.
- Introduction of online system for registration of new shrimp farms.
- The broodstock requirement for *L. vannamei* farming would be worked out by the Technical Committee on the basis of annual requirement, hatchery capacity and the extent of farming area for *L. vannamei* culture.
- Processing of all the applications received from farmers, who intend to culture *P. monodon*, SPF *L. vannamei* or any other brackishwater species, in their farms after creation of the required facilities and issuing Certificate of Registration and permission therefor.
- Processing of the applications received for seed production by hatcheries and nauplii rearing centres and farming operations of SPF *L. vannamei* in a time bound manner.
- Inspection of hatcheries, Nauplii Rearing Centres (NRCs) and farms by the Inspection Team to ascertain the bio security as well as other requirements.
- Consideration of the applications recommended by the Inspection Team for granting approval by the Authority in its regular meetings.
- Monitoring of hatcheries, nauplii rearing centres and farms to be done periodically; and appropriate action to be taken for violation of the conditions of approval.

- Sampling and testing of wastewater discharged from Effluent Treatment System (ETS) to ensure that water quality parameters conform to the standards notified by the CAA.
- Processing of all the applications received from manufacturers / distributors for consideration of registration of antibiotic-free aquaculture inputs to be used in seed production and aquafarming to augment food safety.
- Organising awareness programmes in Maritime States/UTs in order to enlighten the members of DLCs /SLCs on procedures to be followed regarding registration/ renewal of shrimp hatchery for seed production; registration of farms for undertaking *P. monodon*, *L. vannamei*, finfishes and crab farming and registration/ renewal and issues related to antibiotic free aquaculture inputs for sustainable development of the sector.
- Organising workshops/seminars or participation in workshops/seminars/ exhibitions conducted by related organization by depicting sustainable farming practices relating to coastal aquaculture.
- Preparation of brochures/handouts on Good Aquaculture Practices (GAqP)/ Best management Practices (BMPs) in vernacular languages for distribution to stakeholders.

2. Brief Review of Actual Performance

Three meetings of the Authority were held between April 2018 to March 2019.

- During the year, the Authority has considered applications of 3,008 shrimp farms and issued Registration Certificates to all the shrimp farms approved by the CAA.
- Renewal Certificates were issued to all the 1503 shrimp farms approved by the CAA.
- After scrutinizing the applications received from the farmers, for the culture of SPF *L. vannamei* based on the Inspection Team's report, 282 shrimp farms with water spread area of 268.61 were approved by the CAA.
- On the basis of the Inspection Team's Report, 12 new hatcheries were permitted for SPF *L. vannamei* seed production.
- Altogether 310 hatcheries were issued Letter of Permission (LoP) for importing 3,96,700 pair of broodstock of SPF *L. vannamei* from 13 suppliers short listed by the CAA against which only 1,24,790 pair of broodstocks were imported during the year.
- On the basis of Inspection Team's Report, 64 nauplii rearing centres were permitted for SPF *L. vannamei* seed production during the year.
- Altogether 104 nauplii rearing centres were issued Letter of Permission (LoP) for SPF *L. vannamei* with a production capacity of 11,736 million seeds / year since 2015-16

- Within a period of eleven years (March 2019), the number of SPF *L. vannamei* hatcheries have grown steadily from 9 since the commencement of the programme (July 2009) to 310 during the year.
- The procedures for registration of hatcheries were simplified by granting approvals based on the recommendation of the Inspection Team immediately after inspection due to the time lag between the meetings of the Authority. However post facto approval by the Authority was obtained. In cases where clarifications are required, approvals were granted only after placing them before the Authority.
- A total of 2022 products of 453 companies were registered as antibiotic-free during the year under eight categories, the list of which was hosted in the CAA website. Registration is kept open as a continuing process to enable more number of products to be registered.
- Conducted two meetings of the Technical Committee to oversee and monitor the functioning of the AQF during the year and appropriate decisions on the issues in SIP format for import of broodstock of SPF *L. vannamei*, inclusion of EHP in the list of screening at AQF and the revision of user fee for the pathogen detection, supply of extra number of broodstocks, approval of tank design for the upcoming quarantine phase IV of AQF, finalization Standard Operation Procedures (SOP) for PPL Quarantine and notification of 30 days time period from sample collection date to shipping date.
- CAA participated in the 9th Krishi Fair 2018 at Puri, Odisha organized by Shree Shrikshetra Soochana, Puri, Odisha during 3rd – 7th June, 2018. In the stall various activities like registration and renewal of hatcheries, farms and aquaculture inputs were displayed. Farmers from various parts of Odisha visited the stall and were made aware of shrimp hatchery and farming techniques and aquaculture inputs of CAA. Queries of the visitors were also answered by the CAA officials.
- CAA involved in the *Fish Festival* - 2018, *National Farmers Day"* organized by the NFDB at Visakhapatnam, Andhra Pradesh on 9th – 10th July 2018. CAA highlighted the activities to be followed for regulation, approval and operation of farms and hatcheries of SPF *L. vannamei* and registration of aqua inputs through posters, flex banners and brochures for the benefits of stakeholders, aquapreneurs and farmers.
- Conducted the meeting of the Technical Evaluation Committee set up to shortlist the overseas suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock on 10th – 12th September, 2018 wherein suppliers were recommended after personal presentation and scrutiny of facts, and the same were approved by the Authority during the year.
- Associated with Department of Fisheries, Government of Tamil Nadu in conducting an awareness programme among shrimp farmers on "Antibiotic Awareness Campaign" at Sirkali, Nagapattinam District, Tamil Nadu on 25th September, 2018.

Hatchery owners/operators, DLC members including State Fisheries Officials, Farmers, input suppliers etc., of Tamil Nadu participated in the programme.

- CAA joined hands with CIBA to demonstrate "Swachh Bharat Awareness Campaign" on 24th October, 2018 in the harvest mela of native species of culture of *P. indicus* demonstration at Nellore district of Andhra Pradesh. The programmes were attended by about 150 shrimp farmers / hatchery operators etc., besides most of the officials of DLCs / SLCs and Field officers of State Fisheries Department.
- CAA engaged in the World Fisheries Day organized by the NFDB at Gyan Bhavan, Samrat Ashok International Convention Centre, Patna, Bihar on 22nd November, 2018 to highlight the importance of healthy ecosystems in the world. CAA explored the use and abuse of antibiotics in aquaculture practices to ensure sustainable environment in the aquaculture.
- With a view to raise more awareness about Swachh Bharat amongst the officials of DLCs/SLCs of State Fisheries, shrimp hatchery operators and farms owners, stakeholders and aquaprenuers and fishermen, banners on the ongoing Swachh Bharat were prominently placed in shrimp hatcheries and farms also. CAA organized "Swachh Bharat Awareness Campaign" at Lotus shrimp hatchery located at Kancheepuram District of Tamil Nadu on 6th December, 2018 and among farmers located at Elavur village, Thiruvallur districts of Tamil Nadu on 28th December, 2018.
- CAA attended the 3rd Edition of AQUABIZ 2018" an International Trade Fair & FISH Festival in Aquaculture organized by the Department of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh in partnership with Confederation of Indian Industries (CII) and supported by MPEDA and NFDB at Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College Grounds, Kanuru, Vijayawada, Andhra Pradesh on 21st – 23rd December, 2018. Member Secretary made a presentation on "Traceability, Certification and Value Addition in Aquaculture". Aquapreneurs, stakeholders, farmers and hatchery operators from various parts of the world visited the stall and benefitted.
- Associated with Department of Fisheries, Government of West Bengal in conducting an awareness programme among shrimp farmers on "Biosecurity measures to be followed in shrimp hatcheries and farms" on 17th January, 2019. The programme was attended by the State Fisheries Officials of DLCs / SLCs, shrimp farmers, hatchery operators and input suppliers.
- CAA participated in the World Brackishwater Aquaculture Conference "BRAQCON – 2019" - Latest technology development in the Aquaculture" organized by the Central Institute of Brackishwater Aquaculture held at Chennai on 23rd – 25th 2019. CAA has contributed Rs. 8 lakhs to CIBA as a part of sponsorship to conduct

BRAQCON-2019. Member Secretary, CAA participated in the event as Guest of Honor and felicitated the programme during the inaugural session. About 1000 hatchery owners/operators, farmers, input suppliers, State / Central Govt. Officials participated during the programme.

III. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS

A. Meeting of the Authority and Committees constituted by the Authority

During the current year, i.e., from April 2018 to March 2019, the CAA conducted three Authority meetings, in addition to other meetings for specific purposes.

1. Meetings of the Authority

During the year, three regular meetings of the Authority were convened; the details of the meetings and important decisions taken are summarized in table 1. Besides approving the applications for registration, the Authority discussed many vital issues such as issue of show cause notices/closure orders to the permitted hatcheries / farms violating the Guidelines of CAA, action against social problems raised due to aquaculture activities, action against unregistered hatcheries, review of the registration process of hatcheries, monitoring of wastewater discharged from farms and hatcheries, global advertisements to identify the Overseas shrimp broodstock suppliers, air freight connectivity for transportation of SPF *L. vannamei* from east coast to west coast and registration of coastal aquaculture inputs etc.,

Authority Meetings in progress

Table 1: Meetings of the Coastal Aquaculture Authority (April 2018-March 2019)

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
Sixtieth Meeting	4th September, 2018 New Delhi	• Approved the registration of 3,008 shrimp farms • Approved the renewal of registration of 1503 shrimp farms • Resolved to permit 282 shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*. • Post-facto approval 12 hatcheries for registration and Issue of LoP.
Sixty first Meeting	10th December, 2018 Chennai	• Post-facto approval for 88 Nauplii rearing centres for SPF *L. vannamei* seed production. • Approved the registration of 2022 antibiotic free inputs. • Recommendations of the Technical Evaluation Committee for short listing overseas suppliers of SPF *L. vannamei* / *P. monodon* broodstock to Indian hatcheries in the list based on personal presentation made by the companies on 10th - 12th September, 2018 was noted and approved.
Sixty Second Meeting	14th February, 2019 Chennai	• Shifting of CAA office to new premises was noted by the Authority. • Approved the Annual Accounts of CAA for the year 2017-18 for CA & G auditing. • As recommended by the technical evaluation committee, the authority approved eleven overseas suppliers for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei* and two suppliers for the supply of SPF *P. monodon* broodstock.

2. Meetings of the Committees Constituted by the Authority

(i) Meetings on the Technical Committee on Monitoring of Aquatic Quarantine Facility

The Technical Committee constituted by the CAA to oversee and monitor the functioning of the Aquatic Quarantine Facility (AQF) established at Neelankarai meets regularly to sort out technical operational issues faced and to facilitate the smooth operation of the AQF. During the current year, the Technical Committee met two times, the details of the meetings and important decisions taken are summarized in Table 2.

Table 2. Meetings of the Technical Committee on Monitoring of AQF during the year

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
16th Meeting	30th July, 2018	• It was decided that 15 days is sufficient enough to quarantine the PPL during which the larvae would completely de stress itself besides ensuring its SPF status. It is also agreed to finalize draft SOP for PPL quarantine and the same will be communicated to the Ministry for notification at the earliest. • Reviewed on the issues in SIP format for import of broodstock of SPF *L. vannamei*. • Proposal to invite opinion from representatives of AISHA and stakeholders on quarantine rearing system in the upcoming phase (IV) at AQF. • It was decided to include EHP in the list of screening of Pathogens at AQF. • Proposal for cancellation of subsequent consignment in the event of a confirmed positive consignment in the quarantine unit at AQF and suggested one cubicle can be reserved as emergency cubicle in a single year, to handle such cases.

Meetings	Date and Venue	Important decisions taken in the meeting
		• Issues regarding supply of extra number of broodstocks can be accommodated in a premium cubicle were discussed. It was informed by AQF that an option is already implemented in the AQMS software which would help the importer to change a normal to premium cubicle, even after a confirmed reservation. • A proposal was put forth and agreed by the Technical committee to discharge the treated effluent waste water into the sea after taking necessary precautions. • It was also informed that 2 cubicles in the existing AQF can be allocated exclusively to accommodate and quarantine *P. monodon*, after taking adequate biosecurity measures after an SOP is framed to quarantine *P. monodon*.
17th Meeting	28th March, 2019	• Proposal for the approval of tank design for the upcoming quarantine phase IV of AQF was also discussed. • Inclusion of EHP in the list of screening of pathogens at AQF and the revision of user fee for the pathogen screening. • Finalisation of the Standard Operation Procedures (SOP) for PPL Quarantine. • Proposal for limitation of broodstock numbers amounting to the maximum biomass of 25 kg as per the capacity of premium quarantine cubicle at AQF. • Notification of 30 days time period from sample collection date to shipping date. • List of laboratories from the competent authority of the exporting country that are authorized to provide test reports for ensuring SPF status of brooders being imported to India.

Meetings of the Technical Committee on Monitoring of AQF in progress

(ii) Meeting of Committee - Expression of Interest (EOI) for import of broodstock of SPF *L. vannamei* / *P. monodon* from overseas suppliers

To meet additional requirements of SPF *L. vannamei* broodstock due to the rise of considerable number of new hatcheries in the country and also to ensure the supply from EMS-free countries, short listing for selection of additional suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock was taken up by inviting expression of interest. An advertisement was published on 6th March, 2018 in National Newspapers by CAA for Expression of Interest (EOI) for import of broodstock of SPF *L. vannamei* / *P. monodon* from overseas suppliers. Accordingly, 16 suppliers have expressed their interest to supply SPF *L. vannamei* / *P. monodon* broodstock to India. The meeting of the Technical Evaluation Committee comprising the representatives from ICAR, NFDB and MPEDA took place at CAA on 30th July, 2018 to scrutinize the applications.

Committee Meeting for Expression of Interest (EOI) to import broodstock of SPF *L. vannamei* / *P. monodon* from overseas suppliers are in progress

(iii) Committee Constituted by the Ministry

A Technical Working Group has been formed under the guidance of DAHD&F and its first meeting was convened on 9th April, 2018 to address the issues on antibiotics. The major recommendations of the Committee placed for discussion are

- Proper labelling with detailed description of the product;
- Mandatory CAA registration of the product ;
- Testing of CAA registered products to evaluate of its compliance.
- Sub-committee under the Chairmanship of Member Secretary, CAA with other stakeholders to discuss on development of guidelines for manufacture, distribution and sale of aquaculture inputs/products in India.

Again the Committee met in July, 2018 to discuss the use and abuse of antibiotics in aquaculture and agreed to develop draft Guidelines for Antibiotics.

Committee Meeting to address the issues on antibiotics in aquaculture are in progress

III. B. Registration / Renewal of Coastal Aqua Farms

1. Registration of shrimp farms

One of the major tasks accomplished by the CAA was the registration of shrimp farms on the basis of the recommendations of the State and District Level Committees constituted for this purpose.

- The Authority considered the applications recommended by the District and State Level Committees for registration of shrimp farms in its meetings held regularly once in two months and has approved and issued 38,403 registration certificates to shrimp farmers till March 2019 (since inception of CAA).
- A statement showing the total number of certificates of registration issued by the Authority in all the 12 Maritime States is given in the Table 3 and their State-wise and area-wise distribution in terms of number of farms is depicted in Figures 1 and 2.

The details of registered farms are also made available to the end users in the Authority's website www.caa.gov.in, which is being updated periodically.

Table 3. Details of Registration Certificates issued by CAA from 2005 - 2019

Sl. No	Name of States	No of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	3505	189	6	0	0	3700	3596.26	2555.98
2	Odisha	9439	547	31	17	0	10034	12430.4	7656.43
3	Andhra Pradesh	18485	1210	129	60	1	19894	28835.2	20305.82
4	Tamil Nadu	1086	652	137	19	0	1895	5419.22	3752.61
5	Puducherry	58	4	1	0	0	63	107.72	78.45
6	Kerala	1071	237	32	5	0	1346	2746.8	1877.35

Sl. No	Name of States	No of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
7	Karnataka	266	42	2	2	0	312	459.16	349.78
8	Goa	23	15	2	2	0	42	151.17	109
9	Maharashtra	106	128	25	22	1	288	2277.12	1441.83
10	Gujarat	152	649	8	1	0	812	3684.14	2632.6
11	Daman & Diu	0	12	0	0	0	12	60	38
12	A & N Islands	4	1	0	0	0	5	22.8	5.6
	Total	**34195**	**3686**	**373**	**128**	**2**	**38403**	**59789.9**	**40803.45**

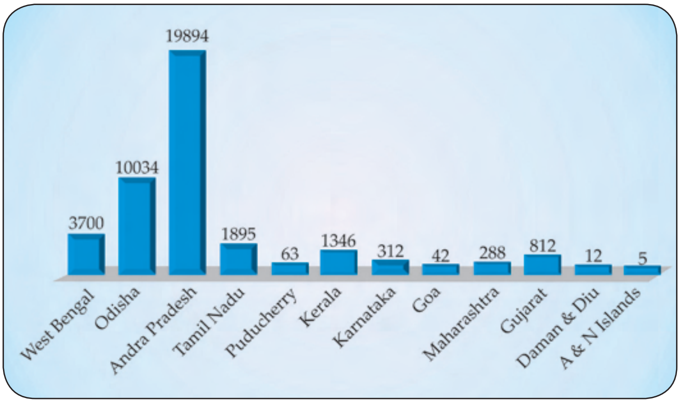

Figure 1 : Registration of number of farms (State-wise) in all coastal states from 2005 to 2019

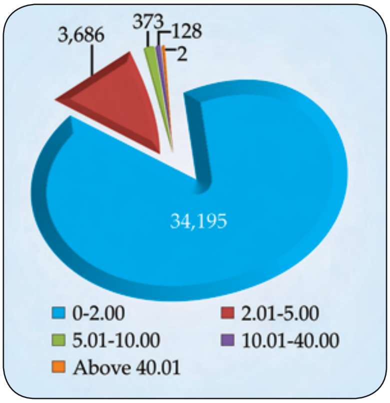

Figure 2 : Registration of number of farms (Area-wise) in all coastal states from 2005 to 2019

During the year under report (April 2018 to March 2019), the Authority has considered and approved 3,008 applications and the registration certificates were issued and dispatched directly to the farmers. Those certificates returned undelivered were sent to the Member Conveners of the SLCs of the States as resolved in the 27th meeting of the Authority.

A statement showing the total number of farms registered with the Authority during April 2018 to March 2019 in the 12 Maritime States and UTs is given in the Table 4. Charts showing the details of shrimp farms registered with the Authority (State -wise and Area -wise) are depicted in Figures 3 and 4 respectively.

Table 4 : Details of Registration Certificates issued by CAA during April 2018 – March 2019

Sl. No	Name Of States	No of Farms under Total Area(ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	431	20	0	0	0	451	318.58	218.41
2	Odisha	1669	123	1	0	0	1793	1923.28	1158.48
3	Andhra Pradesh	465	121	1	0	1	588	914.41	636.75
4	Tamil Nadu	28	7	0	0	0	35	52.42	35.32
5	Puducherry	15	1	0	0	0	16	21.01	16.7
6	Kerala	51	9	8	0	0	68	119.66	97.73
7	Karnataka	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Maharashtra	7	3	0	4	1	15	189.13	126.78
10	Gujarat	0	41	0	0	0	41	201.65	147.35
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A & N Islands	1	0	0	0	0	1	0.8	0.6
	Total	**2667**	**325**	**10**	**4**	**2**	**3008**	**3740.94**	**2438.12**

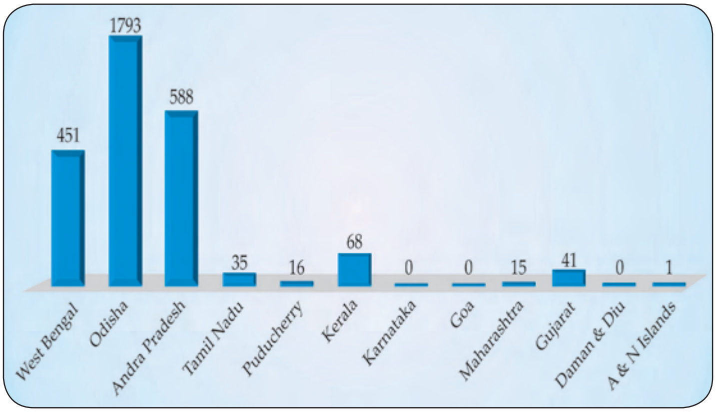

Figure 3 : Registration of number of farms (State-wise) in all coastal states during the year 2018-19

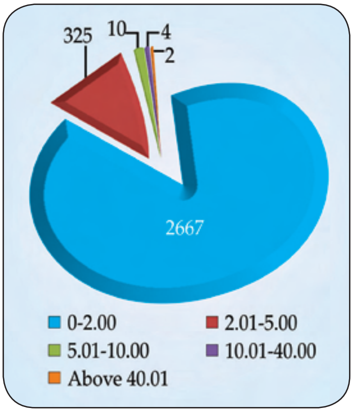

Figure 4 : Registration of number of farms (Area-wise) in all coastal states during the year 2018-19

The total area of the farms registered (38,403 numbers) up to March 2019 was 59,789 ha tand the water spread area was 40,803 ha and the total farm area and water spread area

for the farms registered during the current year (3,008 numbers) were 3,740 ha and 2,438 ha respectively as presented in Tables 3 and 4 are depicted in Figures 5 and 6.

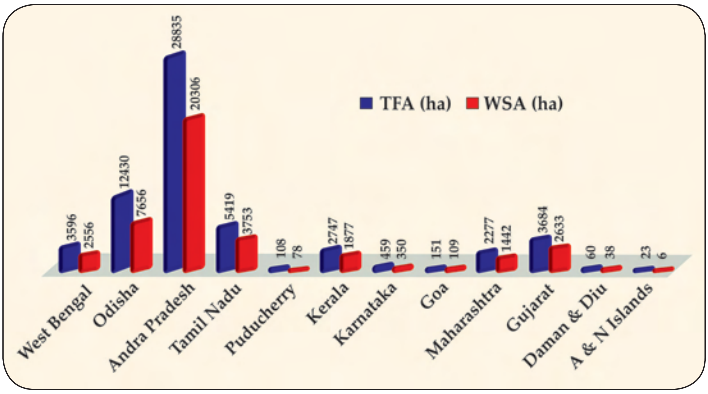

Figure 5 : Total and WSA of the farms registered (State-wise) from December 2005 to March 2019

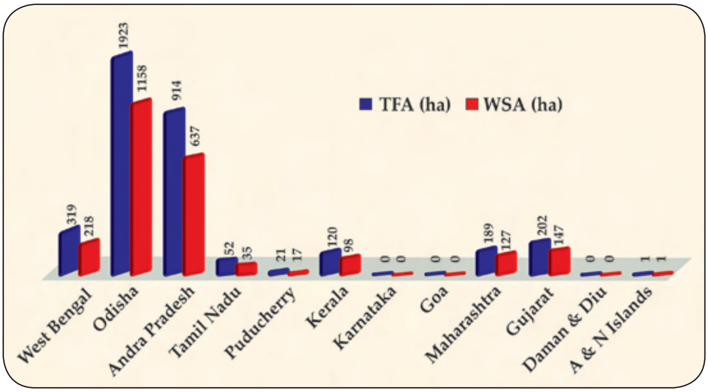

Figure 6 : Total and WSA of the farms registered (State-wise) during the year 2018-19

2. Renewal of Registration of Shrimp Farms

Renewal of registration of coastal aqua farms with the Authority is mandatory after expiry of the period of approval. Renewal of registration process after expiry of 5 years period started during September-2012 and 3423 farms with a total area of 7295 ha (WSA 5103 ha) were approved for renewal of registration till March 2019.

- During the year, all the 1503 applications received from farmers with a total area 2574 ha (WSA 1851 ha) were considered by the Authority; renewed and endorsement to that effect has been made in the original Registration Certificates.
- A statement showing the registration of total number of farms renewed with the Authority from September 2012 to March 2019 in the 12 Maritime States and UTs is given in Table 5 and the State-wise and area-wise details of renewal of registration during the period is depicted in Figures 7 and 8. The State-wise details of renewed farms during the current year (April 2018 to March 2019) are depicted in Table 6

and State-wise and area-wise details of renewal of registration in terms of number of farms during the current year are depicted in Figures 9 and 10.

Table 5. Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA from September 2012 to March 2019

Sl. No.	Name of States	No. of Farms under Total Area (ha)						Area of Farm	
		0-2.00	2.01-5.00	5.01-10.00	10.01-40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	7	0	0	0	0	7	6	4
2	Odisha	1503	53	3	6	1	1566	2605.16	1554.54
3	Andhra Pradesh	4381	122	9	10	3	4525	7300.33	5226.46
4	Tamil Nadu	591	134	5	0	0	730	1598.097	1202.36
5	Puducherry	5	0	0	0	0	5	15.48	12.07
6	Kerala	157	54	1	0	0	212	339.11	255.66
7	Karnataka	47	6	1	0	0	54	92.25	73.71
8	Goa	17	6	1	0	0	24	67.63	48.5
9	Maharashtra	76	8	10	0	0	94	348.67	248.3
10	Gujarat	9	174	0	2	1	185	976.11	696.2
11	Daman & Diu	0	9	0	0	0	9	45	29
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**6793**	**566**	**30**	**18**	**5**	**7411**	**13393.83**	**9350.8**

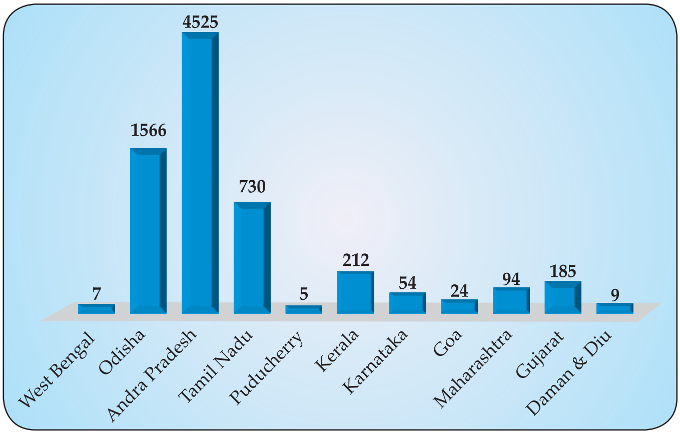

Figure 7 : Renewal of number of Registration of farms (State-wise) in all coastal states from 2005 to 2019

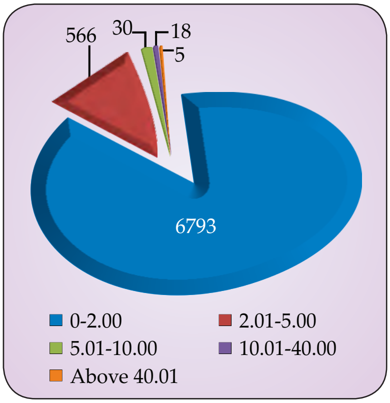

Figure 8 : Renewal of number of Registration of farms (Area-wise) in all coastal states from 2005 to 2019

Table 6 : Details of Renewal of Registration Certificates issued by CAA during April 2018 to March 2019

Sl. No	Name of States	No of Farms under Total Area(ha)						Area of Farm	
		0 - 2.00	2.01 - 5.00	5.01 - 10.00	10.01 - 40.00	above 40.01	Total	TFA (ha)	WSA (ha)
1	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Odisha	249	19	1	0	0	269	382.85	242.86
3	Andhra Pradesh	861	61	7	4	0	933	1362.64	996.95
4	Tamil Nadu	11	96	0	0	0	107	147.95	114.88
5	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Kerala	16	39	0	0	0	55	61.74	50.61
7	Karnataka	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Goa	2	0	0	0	0	2	2.85	2.57
9	Maharashtra	18	1	3	0	0	22	51.67	37.3
10	Gujarat	0	114	0	1	0	115	564.61	406.70
11	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	A & N Islands	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	**1157**	**330**	**11**	**5**	**0**	**1503**	**2574.31**	**1851.87**

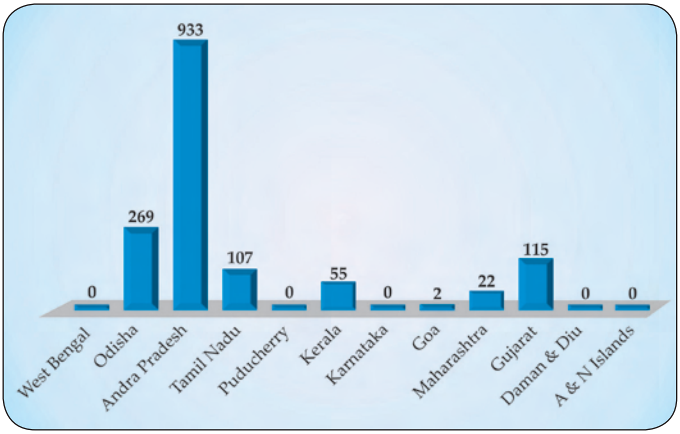

Figure 9 : Renewal of number of Registration of farms (State-wise) in all coastal states during the year 2018-19

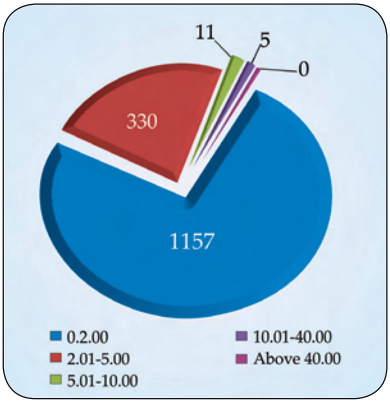

Figure 10 : Renewal of number of Registration of farms (Area-wise) in all coastal states during the year 2018-19

- Out of the 12 maritime States and UTs, both the registration and renewal of registration of shrimp farms during the year was carried out in 10 coastal States (West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat), their area-wise break up are depicted in charts given as Figures 11 to 19 below:

Figure 11 : West Bengal

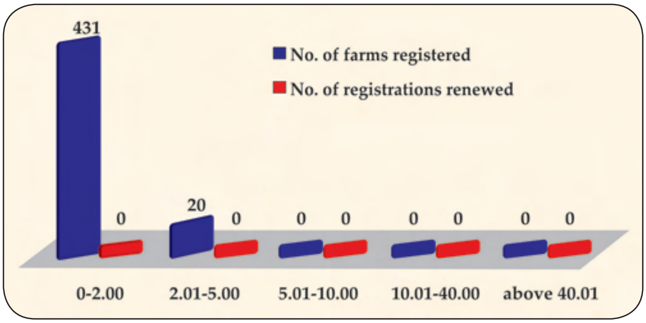

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	431	0
2.01-5.00	20	0
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
above 40.00	0	0

Figure 12 : Odisha

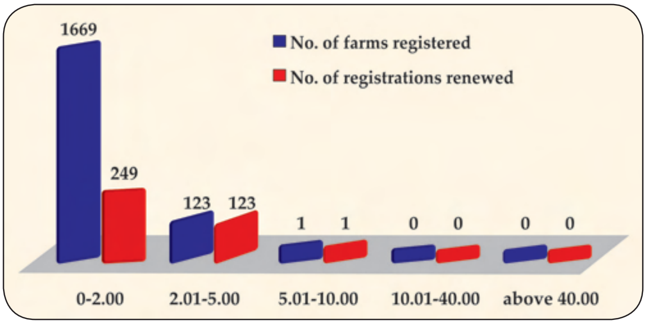

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	1669	249
2.01-5.00	123	123
5.01-10.00	1	1
10.01-40.00	0	0
above 40.00	0	0

Figure 13 : Andhra Pradesh

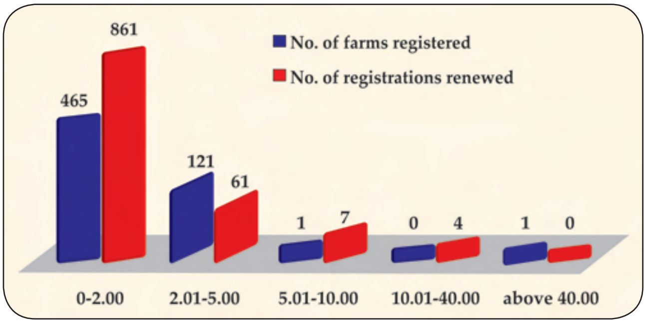

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	465	861
2.01-5.00	121	61
5.01-10.00	1	7
10.01-40.00	0	4
above 40.00	1	0

Figure 14 : Tamilnadu

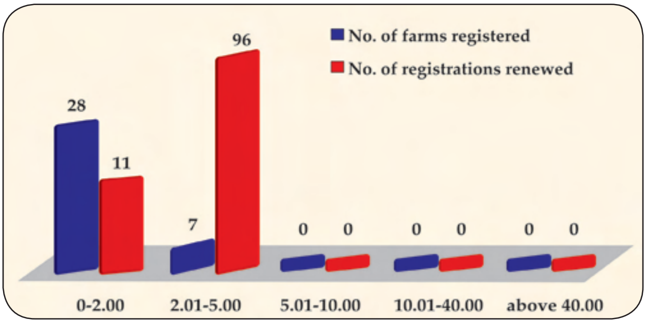

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	28	11
2.01-5.00	7	96
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
above 40.00	0	0

Figure 15 : Pondichery

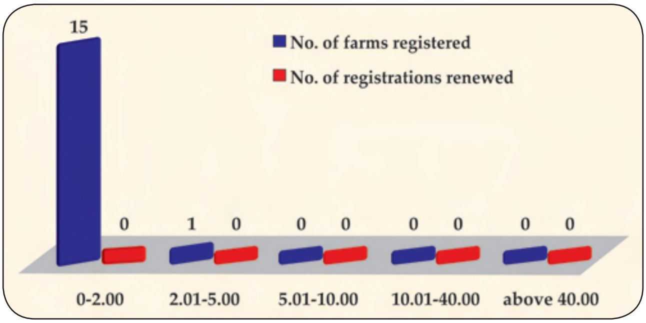

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	15	0
2.01-5.00	1	0
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
above 40.00	0	0

Figure 16 : Kerala

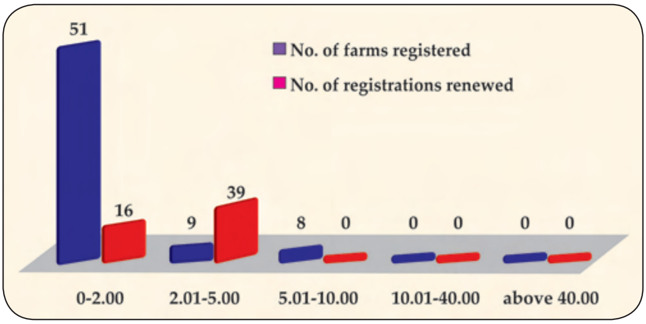

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	51	16
2.01-5.00	9	39
5.01-10.00	8	0
10.01-40.00	0	0
above 40.00	0	0

Figure 17 : Maharashtra

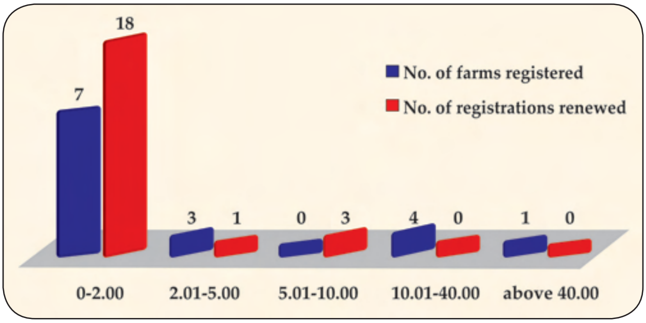

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	7	18
2.01-5.00	3	1
5.01-10.00	0	3
10.01-40.00	4	0
above 40.00	1	0

Figure 18 : Gujarat

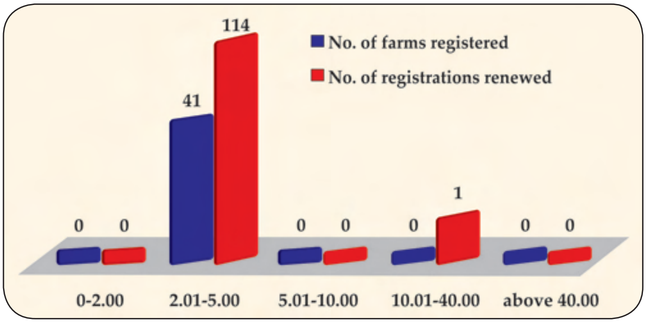

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	0	0
2.01-5.00	41	114
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	1
above 40.00	0	0

Figure 19 : A& Nicobar island

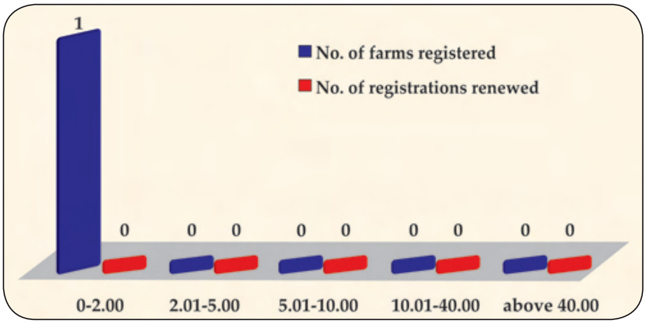

Area (ha)	No. of Farms Registered	No. of Registrations Renewed
0-2.00	1	0
2.01-5.00	0	0
5.01-10.00	0	0
10.01-40.00	0	0
above 40.00	0	0

3. Efforts put up by CAA to promote Registration/Renewal of Aqua farms

CAA has undertaken several initiatives in the recent past in terms of introducing single window application through online, sending letters to District Collectors, Secretaries of Fisheries, conducting awareness programmes in Coastal States and sensitizing and advising farmers through public notices in leading vernacular dailies to expedite the process of registration.

- For expediting the process of registration, letters were sent to District Collectors and Secretaries of Fisheries of various Coastal States.
- Farmers have been advised through public notices in leading newspapers, CAA website as well as through SLCs/DLCs on the need for farm registration/renewal of coastal aquaculture farms with CAA and the consequences to be faced if not registered.
- Awareness on registration/renewal of farms for undertaking farming of shrimp (*P. monodon, SPF L. vannamei*), finfishes, crabs, etc., are created by CAA through awareness programmes conducted in coastal states and through sensitizing the farmers by CAA monitoring team during their field visits.

- Organizing workshops/participation in workshops/awareness programmes and exhibitions connected with coastal aquaculture organized by related institutes, State Fisheries Department, DLCs by power point presentations as well as by distribution of brochures/handout prepared in local languages to aqua farmers and related stakeholders illustrating the importance of registration/renewal of coastal aquaculture farms displayed in posters. Also, farmers are being educated about the provision for punishment/penalty, if the farms for aquaculture purpose are not registered with CAA.
- Destroy/disposal of the stock from unapproved farms by the Inspection Team.
- Single application system for registration of new farms by online system in consultation with NIC is in the final stage for introduction.

III. C. SPF *Litopenaeus vannamei* Farming

1. Selection of SPF *L. vannamei* Broodstock Suppliers

The Technical Evaluation Committee recommended all the 16 suppliers (13 for SPF *L. vannamei* and 3 for SPF *P. monodon*) and proposed to execute a presentation on 10th – 12th September, 2018 before the Selection Committee at CAA. Committee includes the representatives of CIFE, CIBA (2), NBFGR(2), RGCA(MPEDA)(2) Expert, AISHA, SAP, SEAI (2) under the chairmanship of Member Secretary, CAA. CAA carried out the exercise of short listing and selecting the suppliers of SPF *L. vannamei* / *P. monodon* broodstock, based on (i) the source and origin of founder population (ii) Selection programmes adopted (iii) Present status of the generation (iv) Field performance of the present broodstock progeny (v) SPF and health status of broodstock with respect to OIE standards and without EMS and (vi) Agreeable to the terms and conditions of EOI and by holding intensive discussions with other related organizations like CIBA, NFDB and MPEDA.

Among the 16 suppliers presented, two suppliers viz., M/s Charoen Pokphand Products Pvt. Ltd. (SPF *L. vannamei*) / M/s Charoen Pokphand Products Pvt. Ltd. (SPF *P. monodon*) and M/s Sy Aqua & Gold Coin (SPF *L. vannamei*) have not been approved vehemently by the Committee as the Founder populations of these suppliers are from EMS affected country and hence they referred that “Not to import Shrimp Broodstock from EMS affected countries”.

Altogether, the Committee recommended and approved eleven suppliers as qualified for the supply of broodstock of SPF *L. vannamei* and two suppliers for the supply of broodstock of SPF *P. monodon* in the month of March 2019.

SL. NO.	OVERSEAS SUPPLIERS FOR SPF *L. VANNAMEI*
1	**M/S. SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS PTE LTD.** 90, Lim Chu Kang Lane 6F, Singapore 718 873
2	**M/S. SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS LLC,** 88005, Overseas Highway 10-166, Islamorada, Florida – 33036 USA
3	**M/S. SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS HAWAII LLC,** 73-4460 Queen Kaahumanu Highway, Suite - 108 Kailua-Kona, Hawaii-96740 USA
4	**M/S. CENIACUA – GENETICA SPRING,** Calle 32#8a 33 Of 25 Cartatgena Colombia
5	**M/S. OCEANIC INSTITUTE OF HAWAII PACIFIC UNIVERSITY,** 41-202 Kalaniana 'ole Highway, Waimanalo,Hawaii 96795
6	**M/S. KONA BAY,** Sunrise Capital, Inc. dba Kona Bay Marine Resources, P.O. Box No.1282, Kekaha,Kauai, Hi 96752
7	**M/S. MOLOKAI BROODSTOCK** Company, P.O. Box No.1978, Kaunakakai, Molokai, Hawaii 96748 USA
8	**M/S. PT. BIBIT UNGGUL,** J1, Raya Bayan, Dusun Montong Pal, Rempek, Gangga Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
9	**M/S. BLUE GENETICS MEXICO** Isabel La Catolica numero 2100-9, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur, Mexico.
10	**M/S. AMERICAN PENAEID** SPF GENETIC CENTER, Pine Island, Florida, USA.
11	**M/S. SEA PRODUCTS DEVELOPMENT,** LLC, 1521 W. Market St., Suite D. Rockport, Texas, 78382-6221. USA

Sl. No.	OVERSEAS SUPPLIERS FOR SPF *P. monodon*
12	**M/S. MOANA TECHNOLOGIES LLC,,** 73-4460 Queen Kaahumanu Hwy #121, Kailua Kona – HI 96740- USA
13	**M/S. AQUACULTURE DE LA MAHAJAMBA,** BP 6070 – 101, Antananarivo-MADAGASCAR

The details of the above suppliers were included in the list during the year 2018-19 and also hosted in the CAA website on 18.03.2019 and the DAHD&F have been informed for issuing SIP for import of SPF *L. vannamei* and *P. monodon* broodstock from these sources only.

Due to the prevalence of EMS in South East Asian Countries importers were advised to exercise due caution while importing broodstock from these sources. They were subsequently advised that since OIE (World Animal Health Organization) has officially reported four countries in Asian region (viz. China, Malaysia, Thailand and Vietnam) as EMS affected, import of broodstock from other countries which are reported to be free from EMS may be considered subject to furnishing the required certification from exporting countries and on fulfilling pre-border quarantine requirements.

2. Import of SPF *L. vannamei* broodstock in the year 2018-19

- CAA grants approvals for import of SPF *L. vannamei* broodstock and seed production in biosecured hatcheries and also for farming SPF *L. vannamei* in biosecured farms. CAA also regularly conducts inspection of the hatcheries and farms. Monitoring of hatcheries and farms is carried out to ensure that the quality of wastewater discharged from the ETS conform to the standards prescribed by CAA.
- After scrutinizing all the applications received from the hatchery operators for new registration, the Inspection Committee constituted by the CAA inspected the hatcheries to evaluate their facilities and ascertain their suitability. On the basis of the report of the Inspection Committee, 12 new hatcheries (three in Tamil Nadu,

seven in Andhra Pradesh and 2 in Gujarat) were given approval by the Authority (in the 60th to 62nd meeting) for import of broodstock and seed production of SPF *L. vannamei* during 2018-19 and LoPs were issued for all the 12 hatcheries to import broodstock.

- LoPs for the 12 new hatcheries were approved along with approval of hatcheries during the 60th to 62nd meetings of the Authority held during 2018-19.
- Altogether, Letters of Permission have so far been issued to 310 hatcheries (68 in Tamil Nadu, 227 in Andhra Pradesh, six in Odisha, eight in Gujarat and one in Karnataka) with production capacity of 31,568 million post larvae per annum and they were permitted to import 7,93,400 numbers of SPF *L vannamei* broodstock for the year 2018-19. The validity of the LoP is up to 31.03.2020. The State-wise details of the approved hatcheries with their production capacity are presented in Table 7 their distribution on percentage is depicted in Figure 20.

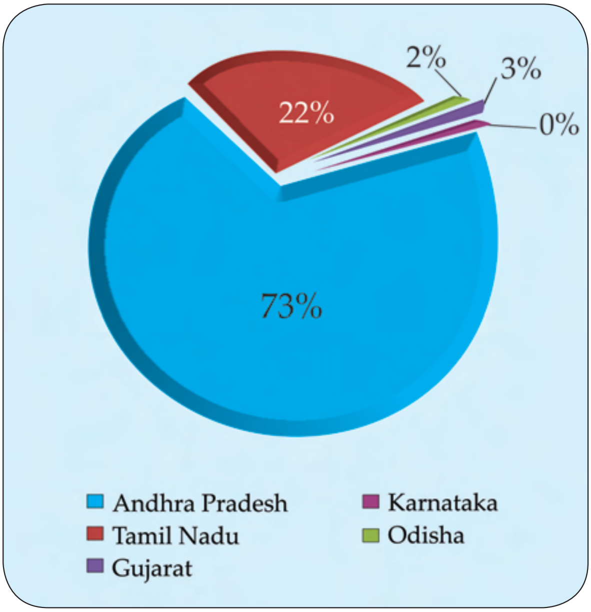

Figure 20 : State-wise distribution of *L. vannamei* hatcheries during 2018-19

Inspection of *L. vannamei* hatcheries

Compound Wall and Vehicle Tyre Wash in *L. vannamei* hatcheries

Foot and Hand wash in *L. vannamei* hatcheries

Water treatment and filtration systems in *L. vannamei* hatcheries

Shower and Dressing Room in *L. vannamei* hatcheries

Maturation Section in *L. vannamei* hatcheries

Larval Rearing Section in *L. vannamei* hatcheries

Artemia Section in *L. vannamei* hatcheries

Indoor algal culture in *L. vannamei* hatcheries

Outdoor algal culture in *L. vannamei* hatcheries

Laboratories in *L. vannamei* hatcheries

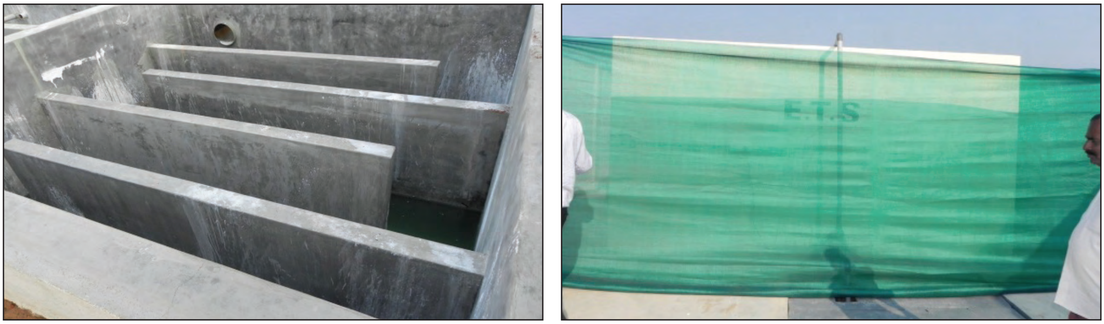

Baffle Walls and Effluent Treatment System in *L. vannamei* hatcheries

Visit of Inspection team in of *L. vannamei* hatcheries

Table 7 : State-wise distribution of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA for the year 2018-19

Sl. No	State / District	No. of Hatcheries Permitted	Seed Production Capacity (million / annum)	Number of broodstock permitted (nos.)
1	**Tamil Nadu**			
	a) Villupuram	35	3140	82000
	b) Kancheepuram	27	2069	54000
	c) Nagapattinam	4	550	14800
	d) Cuddalore	1	120	3200
	e) Ramnad	1	50	1200
	Sub-Total	**68**	**5929**	**155200**
2	**Andhra Pradesh**			
	a) Nellore	72	7205	179200
	b) Prakasam	32	4655	112800
	c) Guntur	10	1553	36200
	d) East Godavari	75	6577	168000
	e) Visakhapatnam	28	2962	74000
	f) Vizianagaram	8	810	21200
	g) Srikakulam	2	240	6000
	Sub-Total	**227**	**24002**	**597400**
	Odisha			
	a) Puri	1	90	2400
3	b) Ganjam	5	492	12000
	Sub-Total	**6**	**582**	**14400**
	Gujarat			
	a) Junagadh	2	95	2800
	b) Valsad	1	40	1200
	c) Gir-Somnath	2	300	7200
4	d) Porbandhar	3	560	13600
	Sub-Total	**8**	**995**	**24800**
	Karnataka			
5	Uttar Kannada	1	60	1600
	Total	**310**	**31568**	**793400**

3. Growth of SPF *L. vannamei* Hatcheries in India

Remarkable growth in *L. vannamei* hatcheries was achieved in India within a short span of ten years. The number of *L. vannamei* hatcheries have grown steadily with nine from the commencement of the programme (July 2009) and reached a level of 310 hatcheries during March 2019, with a production capacity of 31,568 million seeds/annum.

The growth of SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (July 2009) up to March 2019 in the country is presented in Table 8 and the State-wise growth in hatcheries during the period 2018-19 is depicted in Figure 21 and Figure 22.

Table 8 Growth of CAA Approved *L. vannamei* hatcheries in India Since Inception (July 2009) up to March 2019

Year	No. of Hatcheries Permitted	Production Capacity (million Pl)	No. of Broodstock	
			Permitted (Pairs)	Imported (Pairs)
2008-09	9	-	-	-
2009-10	24	615	15,300	12,367
2010-11	21	1329	16100	10733
2011-12	74	5608	48720	18980
2012-13	105	8295	66360	64580
2013-14	117	8776	70,208	52,818
2014-15	183	13928	165156	99899
2015-16	259	24209	302632	93802*
2016-17	281	26783	339300	113426*
2017-18	298	29155	368300	144566*
2018-19	310	31568	396700	124790*

* Broodstocks in number 187603 (169458 imported and 18145 purchased from RGCA) given in pairs

* Broodstocks in number 226851 (204721 imported and 22130 purchased from RGCA) given in pairs

* Broodstocks in number 289131 257101 imported and 32030 purchased from RGCA) given in pairs

* Broodstocks in number 249580 (231140 imported and 18440 purchased from RGCA) given in pairs

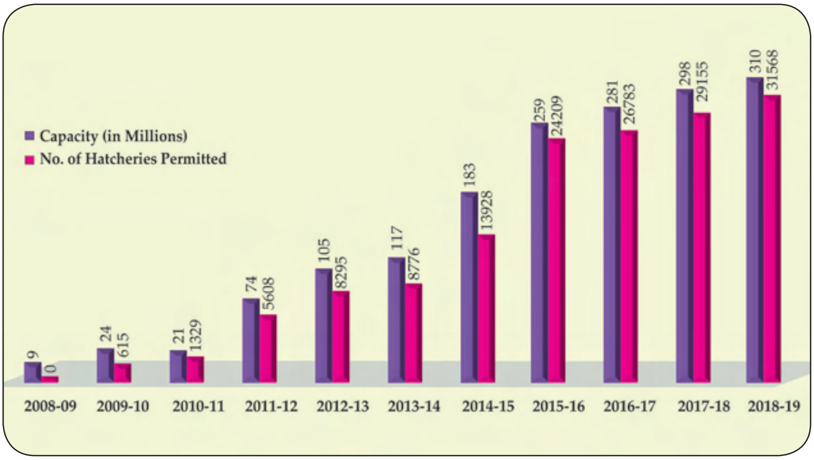

Figure 21 : Growth of CAA Approved *L. vannamei* hatcheries in the country Since Inception (July 2009) up to March 2019

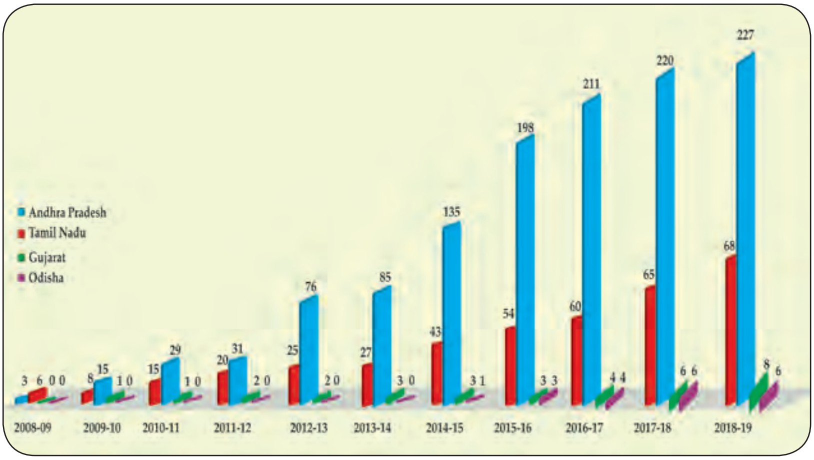

Figure 22 : Growth of CAA Approved *L. vannamei* hatcheries in different states Since Inception (July 2009) up to March 2019

In order to facilitate the hatcheries to enhance production of improved quality SPF *L. vannamei* seeds, CAA has implemented the following measures:

- Amendment to guidelines at Annexure-1 of CAA Rules, 2005 regarding registration of hatcheries was issued by DAHD&F so as to include registration of all shrimp hatcheries (including *P. monodon*) in the coastal areas by the Coastal Aquaculture Authority.
- Simplified the procedures for registration of hatcheries by granting approvals based on the recommendation of the Inspection Team immediately after inspection prior to placing it for the approval of the Authority and to obtain ex-post facto approval by the Authority to avoid delay in issue of LoPs.
- Introduced single window system for issuance of LoPs to hatcheries to dispose with the issue of LoP every year by which the DAHD&F issues SIP as per the recommended capacity of each hatchery as indicated in the Registration Certificate.

- Advocated the use of CAA approved antibiotic-free aquaculture inputs only in seed production to augment supply of good quality antibiotic-free seeds to ensure food safety in the cultured produce.
- Continued approval of consortia of hatcheries based on the production capacity of the lead hatchery to help the partner hatcheries (which have poor maturation performance) to get the nauplii production done at the lead hatchery of the consortium.

4. Setting up of Nauplii Rearing Centres (NRCs) for SPF *L. vannamei* Seed Production

Astonishing growth **of Nauplii Rearing Centres (NRCs) for SPF *L. vannamei*** was achieved in India within a short span of five years. The number of NRCs have grown steadily with five from the commencement of the programme (2015-16) and reached a level of 64 hatcheries during March 2019, with a production capacity of 7069 million seeds/annum.

The growth of Nauplii Rearing Centres for SPF *L. vannamei* hatcheries approved by CAA since inception (2015-16) up to March 2019 in the country is presented in Table 9 and the Year-wise growth of Nauplii Rearing Centres of the hatcheries is depicted in Figure 23.

Table 9 : Growth of Nauplii Rearing Centres in India Since Inception (2015-16) up to March 2018-19

Sl. No.	State	District	No of NRCs Permitted				Capacity(in millions)			
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	Andhra Pradesh	East Godavari	1	6	15	41	40	675	885	3648
		Prakasam	2	1	3	2	125	40	415	885
		Nellore	0	1	4	2	0	70	270	392
		Visakhapattinam			1	6			100	822
		Viziayanagaram			1	4			60	440
		Krishna			1	3			60	294
		Guntur			1	1			80	258
		Srikakulam				1				160
2	Tamil Nadu	Villupuram	1	1	5		100	30	1615	
		Kancheepuram				3				110
		Nagapattinam				1				60
3	Kerala	Ernakulam	1				2			
4	Gujarat	Somnath		1				100		
Total			**5**	**10**	**31**	**64**	**267**	**915**	**3485**	**7069**

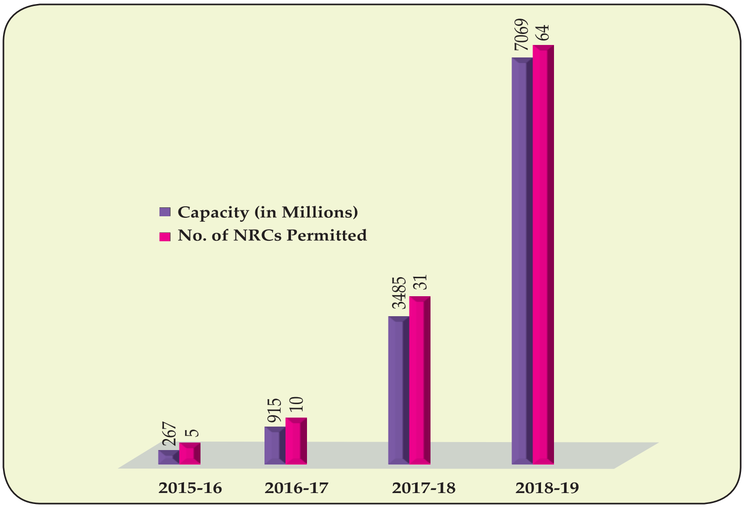

Figure 23: Growth of Nauplii Rearing Centres (year-wise) in India since Inception (2015-16) up to March 2018-19

NRCs are concentrated mainly in the coastal states of east coast. Based on the recommendation of Inspection Team, the CAA has registered 64 Nauplii Rearing Centres in Andhra Pradesh and Tamil Nadu during 2018-19 with a production capacity of 7069 million seeds/annum. Out of 64 Nauplii Rearing Centres, 60 hatcheries are located in Andhra Pradesh and four hatcheries are in Tamil Nadu.

East Godavari district in Andhra Pradesh has registered highest number of 41 NRCs with the production capacity of 3,648 million seeds followed by Prakasam and Visakhapatnam which has registered eight NRCs with the production capacity of 885 million and 822 million seeds/annum.

Three NRCs registered in Kancheepuram and one in Nagapattinam district of Tamil Nadu has the production capacity of 110 and 60 million seeds / annum. The growth of Nauplii rearing centres in India during 2018-19 are depicted in Table 10 and the State-wise in terms of number of NRCs during the current year are depicted in Figures 24.

Table 10 : Growth of Nauplii Rearing Centres in India during 2018-19

Sl. No	State	District	No. of Hatcheries permitted	Capacity (in millions)
1	Tamilnadu	Kancheepuram	**3**	**110**
		Nagapattinam	1	60
2	Andhra Pradesh	East Godavari	41	3648
		Guntur	1	258
		Krishna	3	294
		Nellore	2	392
		Prakasam	2	885
		Visakhapatnam	6	822
		Srikakulam	1	160
		Vizianagaram	4	440
	Total		**64**	**7069**

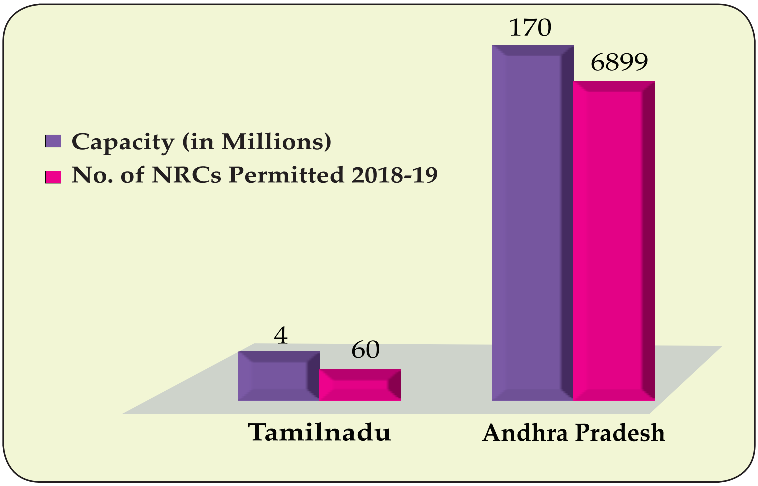

Figure 24: Growth of Nauplii Rearing Centres (state-wise) in coastal states during the year 2018-19

5. Permission to shrimp farms to culture SPF *L. vannamei*

The proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture were perused and the farms were inspected by the Inspection Team constituted by CAA for the following bio security requirements essential for SPF *L. vannamei* culture. After verification by the team permission has been granted:

i) Peripheral fencing of farms
ii) Crab fencing
iii) Water intake reservoirs
iv) Installation of bird netting/bird scares
v) Effluent Treatment System (ETS)

6. State-wise performance of SPF *L vannamei* farming

During the year 2018-19, the Authority has registered 282 farms with total area of 421 ha and WSA of 269 ha distributed in five maritime states, of which Odisha ranked 1st with the registration of 239 farms having total area 329 ha and WSA of 202 ha, Andhra Pradesh ranked 2nd with the registration of 16 farms with total area of 27 ha and WSA of 22 ha followed by Tamil Nadu with the registration of 15 farms with total area 39 ha and WSA of 26 ha followed by Pondicherry with the registration of 10 farms with total area 16 ha and WSA of 12 ha and Maharashtra with the registration of 2 farms with total area 10 ha and WSA of 7 ha. All the 282 farms were issued LoPs for SPF *L. vannamei* farming. SPF seeds (PL 12-15) supplied by the hatcheries approved by CAA were stocked in these farms and farming operations continued in biosecured conditions under harvest.

The state-wise details of the farms for which registration and LoPs issued during the year are given in Table 11 and their percentage distribution is depicted in Figure 25. The area-wise distribution of farms in different states is depicted in Figure 26.

View of *L. vannamei* farms

Farm fencing with barrier in *L. vannamei* farms

Bird fencing in *L. vannamei* farms

Crab fencing in *L. vannamei* farms

Reservoir for water treatment and ETS for wastewater treatment in *L. vannamei* farms

Table 11 : State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* farms from April 2018 to March 2019

S. No.	State	No of Farms	TFA(ha)	WSA
1	Andhra Pradesh	16	27	22
2	Tamil Nadu	15	39	26
3	Gujarat	0	0	0
4	Maharashtra	2	10	7
5	Karnataka	0	0	0
6	Orissa	239	329	202
7	Goa	0	0	0
8	Pondicherry	10	16	12
9	Daman & Diu	0	0	0
10	West Bengal	0	0	0
11	Kerala	0	0	0
	Total	**282**	**421**	**269**

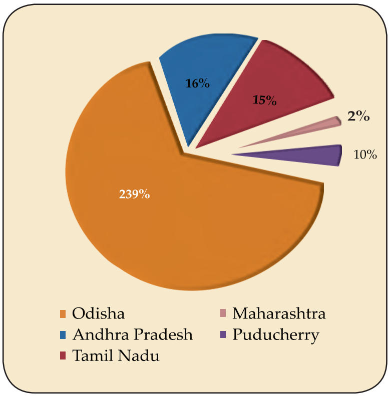

Figure 25 : Distribution of CAA approved *L. vannamei* farms for the year 2018-19

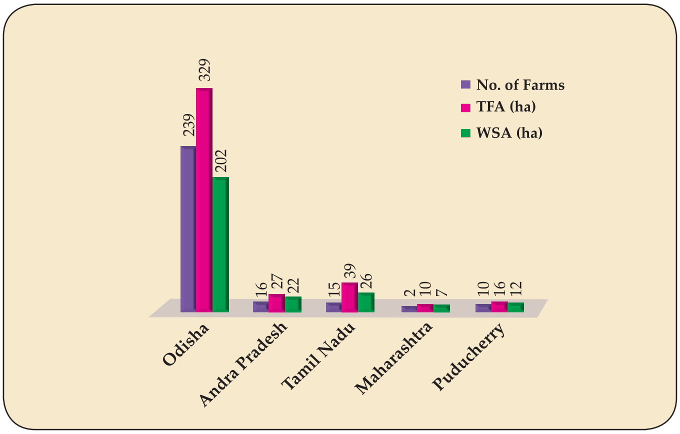

Figure 26: Details of *L. vannamei* farms permitted in the current year 2018-19

CAA has so far registered and issued LoPs to 2,716 SPF *L vannamei* farms till March 2019, covering a total area of 12,939 ha and WSA of 8,652 ha, the State-wise details of the farms are presented in Table 12, their percentage distribution is depicted in Figure 27 and area-wise distribution in different States is depicted in Figure 28.

Table 12 : State-wise details of permission of SPF *L. vannamei* permitted farms since inception (December 2009) upto March 2019

S. No.	State	No of Farms	TFA(ha)	WSA(ha)
1	Andhra Pradesh	**718**	**6265.73**	**4312.19**
2	Tamil Nadu	**191**	**1211.2**	**836.34**
3	Gujarat	**97**	**1075.88**	**769.69**
4	Maharashtra	**55**	**1247.29**	**755.73**
5	Karnataka	**24**	**72.68**	**56.97**
6	Odisha	**1598**	**2884.43**	**1800.02**
7	Goa	**8**	**40.11**	**28.61**
8	Pondicheryy	**19**	**46.2**	**32.52**
9	Daman & Diu	**3**	**60**	**38.4**
10	West Bengal	**1**	**3**	**2**
11	Kerala	**2**	**32.56**	**20.46**
	Total	**2716**	**12939.08**	**8652.93**

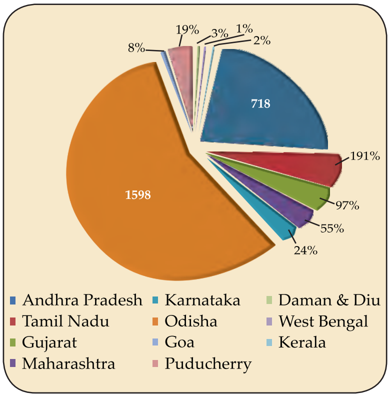

Figure 27: Distribution of CAA approved *L. vannamei* farms from December 2009 to March 2019

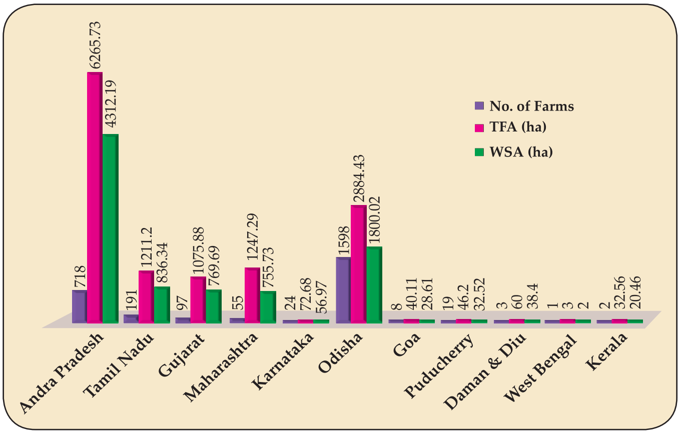

Figure 28 : Details of *L. vannamei* farms permitted from December 2009 to March 2019

Table 13 : Number of LoPs issued for SPF *L. vannamei* farming in all Coastal States from 2009-10 to 2018 - 2019

Sl. No.	Name of the State	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	87	1236.32	815.44	192	2442.23	1648.69	321	4062.03	2767.58	580	5536.61	3826.88	585	5666.5	3900.71
2	Tamil Nadu	6	90.14	55.41	38	414.35	258.82	79	691.24	472.6	113	986.54	675.05	123	1044.82	718.17
3	Gujarat	4	146	77.99	10	271	174.99	28	443.5	303.55	39	547.87	377.96	51	651.87	453.17
	Mahara shtra	10	272.47	168.62	13	424.47	260.12	16	514.11	291.12	29	997.9	599.97	36	1133.03	684.38
4	Karnataka	0	0	0	16	47.04	37.38	17	47.98	38.18	17	47.98	38.18	18	56.3	43.13
5	Odisha	0	0	0	5	140.08	83.78	5	140.08	83.78	16	218.24	132.64	79	488.36	286.5
6	Goa	0	0	0	1	5.6	2.8	1	5.6	2.8	4	23.91	16.71	6	31.11	22.09
7	Pudu cherry	0	0	0	0	0	0	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85	1	17.07	11.85
8	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60	38.4	3	60	38.4
9	West Bengal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
10	Kerala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**107**	**1744.93**	**1117.46**	**275**	**3744.77**	**2466.58**	**468**	**5921.64**	**3971.46**	**802**	**8436.12**	**5717.64**	**903**	**9152.06**	**6160.4**

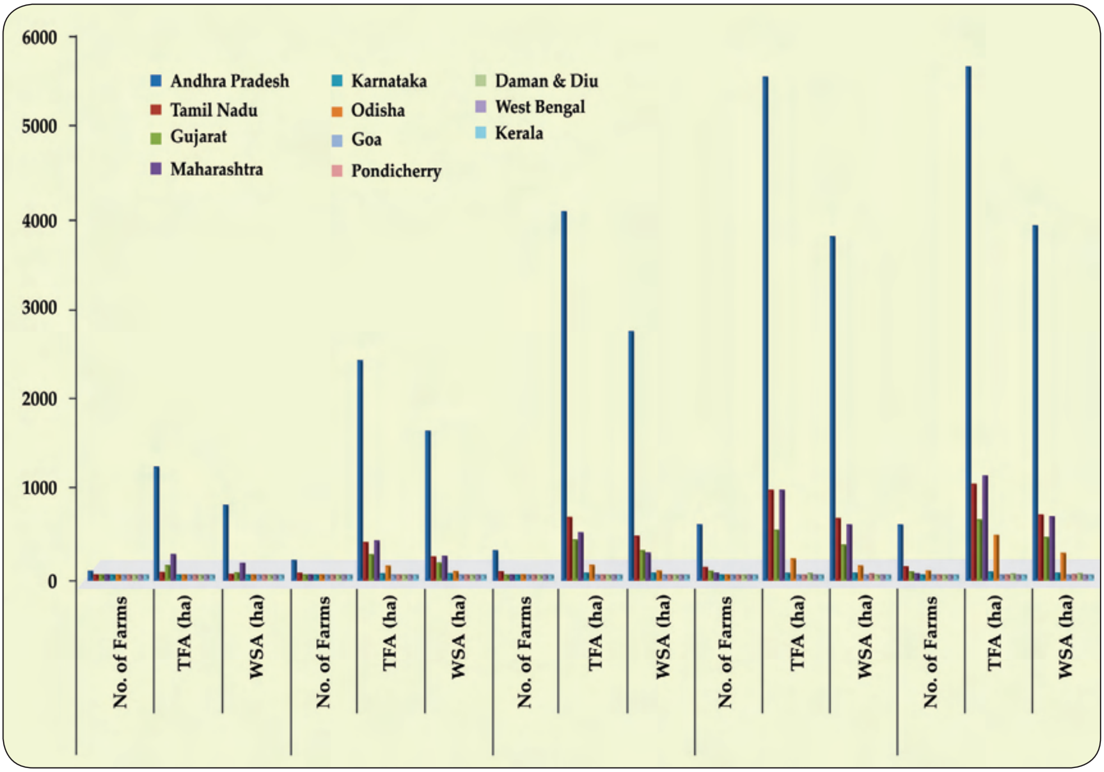

Figure . 29: State-wise growth of *L. vannamei* farms during December 2009 to March 2019

Table 13 Contd..

Sl. No.	Name of the State	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
		No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)	No.of Farms	TFA (ha)	WSA (ha)
1	Andhra Pradesh	645	5997.32	4131.25	699	6159.65	4244.01	702	6238.5	4289.81	702	6238.5	4289.81	**16**	**27.23**	**22.38**
2	Tamil Nadu	147	1123.82	776.03	164	1153.89	799.26	164	1153.89	799.26	176	1171.84	810.52	**15**	**39.36**	**25.82**
3	Gujarat	86	904.51	638.29	97	1075.88	769.69	97	1075.88	769.69	97	1075.88	769.69	**0**	**0**	**0**
4	Mahara shtra	46	1192.5	724.51	51	1228.13	742.73	51	1228.13	742.73	53	1237.71	749.23	**2**	**9.58**	**6.5**
5	Karnataka	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	24	72.68	56.97	**0**	**0**	**0**
6	Odisha	115	584.32	359.59	148	699.5	430.59	632	1574.85	987.8	1359	2554.94	1597.79	**239**	**329.49**	**202.23**
7	Goa	6	31.11	22.09	7	38.11	26.81	7	38.11	26.81	8	40.11	28.61	**0**	**0**	**0**
8	Pudu cherry	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	2	20.11	14.35	9	30.43	20.84	**10**	**15.77**	**11.68**
9	Daman & Diu	3	60	38.4	3	60	38.4	3	60	38.4	3	60	38.4	**0**	**0**	**0**
10	West Bengal	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	**0**	**0**	**0**
11	Kerala	1	29.26	18.56	1	29.26	18.56	2	32.56	20.46	2	32.56	20.46	**0**	**0**	**0**
	Total	**1076**	**10018.6**	**6782.04**	**1197**	**10540.21**	**7143.5**	**1685**	**11497.71**	**7748.28**	**2434**	**12517.65**	**8384.32**	**282**	**421.43**	**268.61**

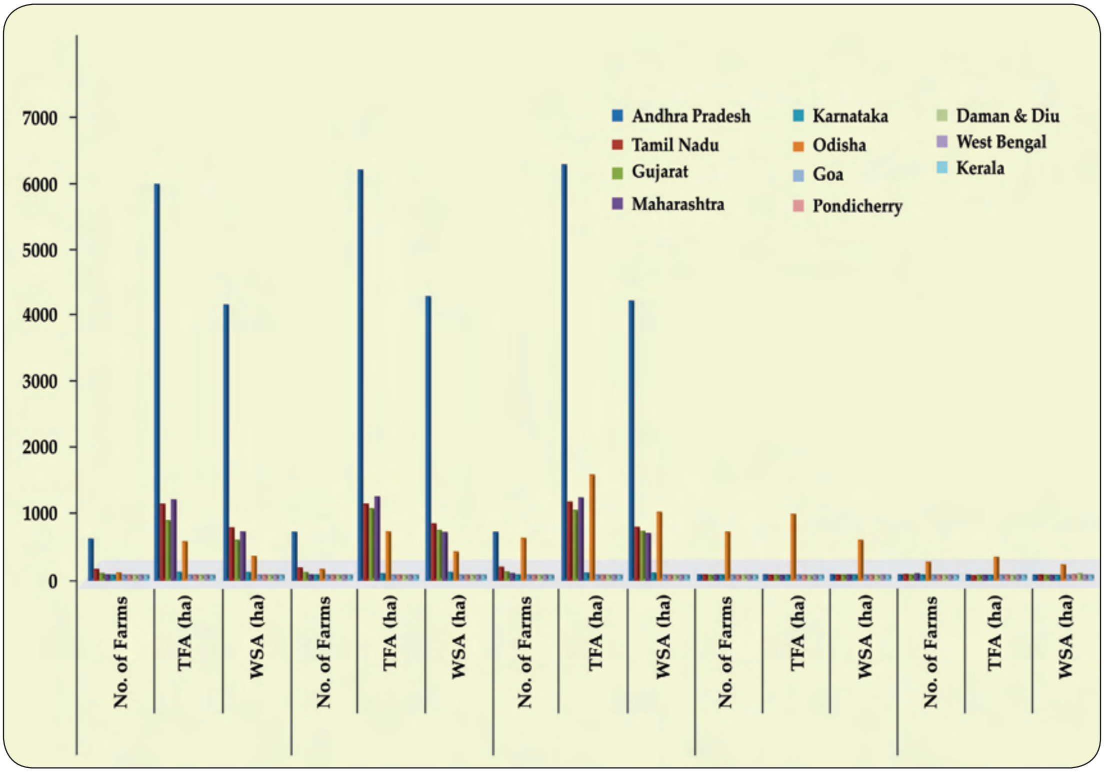

Figure .29: Contd..

The growth of *L vannamei* farms in terms of number of LoPs issued in all coastal states during the years 2009-10 to 2018-19 is presented in Table 13. The country witnessed a fast growth in farming too, starting initially with 107 farms with total farm area of 1,744.9 ha during 2009-10 which has grown steadily to 2,716 farms with total area of 12,939 ha and water spread area of 8,652 ha during 2018-19 within a period of ten years.

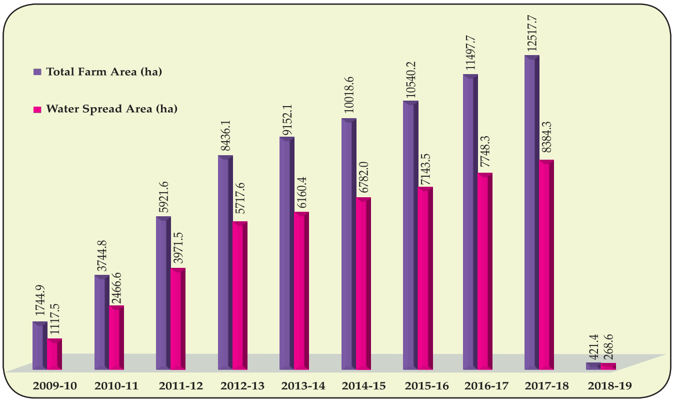

Figure 30. Growth of *L. vannamei* farms in terms of farm area during the year 2009-10 to 2018-19

The state of Odisha contributed much to the growth and attained 1st place starting with five farms with total farm area of 140.08 ha and water spread area of 83.78 ha during 2010-11 and reaching a level of 1359 farms with total farm area of 25554.94 ha and water spread area of 1597.79 ha during 2017-18 followed by Andhra Pradesh with 87 farms(TFA 1236.32 ha and WSA 815.44 ha) during 2009-10 to 702 farms (TFA 6238.5 ha and WSA 4289.81 ha) during 2017-18 and Tamil Nadu (3rd place) with six farm having total area of 90.14 ha and water spread area of 55.41 ha to 176 farms having 1171.84 ha and 810.52 ha during 2017-18. The growth in terms of total as well as water spread is depicted in Figure 29 and the State-wise growth during the period is given in Figure 30.

In order to facilitate faster processing of proposals received from farmers for taking up SPF *L. vannamei* culture and issuance of CAA registration to cope up with the faster development in the sector, CAA constituted District Level Teams (DLTs) in the coastal States to inspect farms having water spread area below 5 ha and to recommend eligible cases to CAA after verifying the essential bio security requirements.

On the basis of the recommendations of the Inspection Team and District Level Teams, further processing is done at the level of Member Secretary, CAA, after which the proposals are placed before the Authority for consideration. After the approval by CAA, the farms are registered and LoPs are issued to the farmers.

7. Monitoring of *L. vannamei* hatcheries/farms

Monitoring of *L. vannamei* hatcheries and farms by the monitoring team authorized by the CAA was carried out by visiting the registered farms/hatcheries at regular intervals to avoid negative social and environmental impacts related to farming such as water pollution, spreading of disease, escapes, habitat/social impacts etc to surrounding communities. The status of biosecurity in the hatcheries/farms, production methods, performance, water quality in the culture system, health of seeds/shrimps, environmental problems if any due to the operation are also assessed. Waste water sample discharged from the hatcheries and farms were also collected from final discharge point of ETS in order to test and ensure that wastewater parameters conform to the standards prescribed by CAA.

- During the year 2018-19, CAA monitoring team visited 67 hatcheries and 739 shrimp farms located at various states of Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Kerala and West Bengal permitted by the CAA. The production facilities were inspected and the records were also verified. The hatcheries were advised to maintain proper record as per the guidelines issued by the Authority.
- Analysis of water samples collected at the final discharge point of ETS of hatcheries conformed to the wastewater quality standards prescribed by the CAA. The CAA

also directed the owners of the hatcheries and farms to carry out modifications in their ETS to minimize the impacts of organic load.

- The production facilities were inspected and the record/registers were also verified and the details on the quantity of broodstock imported, their source, mortality if any, spawning, eggs, nauplii, number of post larvae produced/sold, name and address of the farmers to whom the seeds were sold, date and number of the valid CAA registration of hatcheries/farms; quantity of shrimp produced, sold, name and address of the processor to whom sold etc, in farms as detailed in the guidelines were checked. The farmers and hatchery were reiterated to maintain proper records as per the Guidelines and submission of regular reports to CAA as prescribed in CAA Act and Rules. Also, the farmers were advised to adopt responsible, ecologically and economically sustainable aquaculture practices and in the production of safe and quality aquaculture products using CAA registered antibiotic-free aquaculture inputs and good aquaculture practices (GAqPs).

Strict regulation in identifying the broodstock suppliers, the import procedure and the quarantining of the broodstock ensured use of only SPF *L. vannamei* broodstock free from OIE listed pathogen imported in to the country so far. Similarly, approval of hatcheries and farms after ensuring biosecurity facilities as well as regular monitoring etc., ensured that the guidelines are properly implemented for healthy production. Also, the wastewater quality parameters discharged from ETS of farms and hatcheries were monitored to conform to the standard prescribed by CAA. All these efforts have enabled the shrimp farming sector to avoid diseases especially the Early Mortality Syndrome (EMS), though, it has devastated shrimp farms reported to be still persisting in shrimp farms of a few of the neighbouring south east Asian countries.

Verification of records and CAA registered inputs in *L. vannamei* farms

IV. Action on various complaints against Shrimp Farming

On the basis of complaints received by CAA, the inspection team authorized by CAA inspects the concerned farms and in the event of the team confirming unauthorized culture of *L. vannamei* or creation of environmental problems to the neighbouring agriculture field or drinking water sources or creation of social problems, CAA has taken immediate action on the spot as per as the Guidelines issued in G.S.R.280 (E) dated March, 2012 notified by the Ministry of Agriculture and or by discussing the matter in the subsequent meeting of the Authority and act as per the resolutions passed in the meeting as per CAA Act and Rules.

A. Action taken on Specific Complaints

(i) A complaint received from the public of Sal village, North Goa District, Goa against illegal shrimp farms operating around the village regarding salination of ground water resources and the conversion of issue of agricultural lands for shrimp farming. This issue caused serious problems to the village due to the seepage of water from the shrimp farms and the estuarine creek. This site was inspected jointly by the Team headed by the Director, CAA. The farm gate was closed but the farm was in operation. Therefore the team could not collect the information clearly. The Authority has instructed the Fisheries officials to conduct site inspection with respect to the species cultured, source of the hatchery seed, drainage of wastewater of the farm and distance between shrimp farm and adjacent agricultural land and drinking water source etc., and send the detail report to CAA for further action.

Inspection of shrimp farms at Sal village, North Goa District, Goa

(ii) CAA has received complaints from the public of Rakkampalayam Village, Melakazhini Panchayat, Gummidipoondi Taluk & Tiruvallur District, Tamil Nadu regarding the complaint against illegal shrimp farming activities and polluting the agricultural lands in the village. Shrimp farmers use many borewells for farming which affected the water source of the villages. Authority has instructed the District Level Committee (DLC) of Tiruvallur to visit the above said site and send the detail report to CAA for further action. The site was inspected jointly by a team of DLC, Fisheries officials and issued notice to stop all the illegal shrimp farming activities at Melakazhini Panchayat, Gummidipoondi Taluk & Tiruvallur District, Tamil Nadu and apply to CAA for registration of coastal aquaculture farm.

Inspection of shrimp farms at Melakazhini Panchayat, Gummidipoondi Taluk & Tiruvallur District

B. Action taken against registered hatcheries for non-compliance

(i) Monitoring Team of CAA inspected M/s.Grobest Feeds Corporation India Private Limited hatchery located at Thenpattinum Village, Cheyyur Taluk, Kanchipuram District, Tamil Nadu on 20th June, 2018. During the visit, the team observed major violations of CAA guidelines in the hatchery viz., rearing juveniles of 2-4 gm of *L. vannamei* in the two tanks of ETS, no shower and change rooms, multiple entries in all the sections, post larval sections are functioning with open tanks without any biosecuriry measures, draining all the wastewater of the hatcheries generated

during seed production directly to the sea without treating in ETS and also for not maintaining any records on seed production. As a result Show-Cause notice was issued to M/s.Grobest Feeds Corporation India Private Limited hatchery located at Thenpattinum Village, Cheyyur Taluk, Kanchipuram District, Tamil Nadu.

V. Registration of government research farms for SPF *L. vannamei* / *P.monodon* culture

(i) An application was received from the Registrar, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS), Kanayannur Mandal, Ernakulam District, Kerala and the Registrar of the Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University, Thoothukudi Mandal & District, Tamil Nadu to register their aquaculture facilities for *L. vannamei* culture. These applications were scrutinized and placed in the Authority meeting and Registration Certificates were issued to them for their research facilities under the guidelines for registration for the Govt. research Institutes.

(ii) A proposal was received from the Project Director, Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA - A Society under Marine Products Export Development Authority, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India) Sirkali, Nagapattinam District, Tamil Nadu to register their aquaculture facilities located at Bimbliton Village, South Andaman District, Andaman & Nicobar Islands with CAA for *P. monodon* culture. The application was scrutinized and placed in the Authority meeting and Registration Certificates were issued for their research facilities at Bimbliton Village, South Andaman District, Andaman & Nicobar Islands under the guidelines for registration for the Govt. research Institutes.

VI. Registration of Antibiotic-free aquaculture inputs

Due to concerns raised by the DAHD&F and Department of Commerce as well as the Seafood Exports over the reported large scale rejection of seafood meant for exports in recent times due to detection of antibiotics in the products, CAA was asked to take strict measures to prevent use of antibiotics in shrimp hatcheries and farms. Following a meeting held with the shrimp feed manufacturers at CAA on 24th July 2015 to develop standards for aquaculture inputs, the issue was further deliberated with the seafood exporters. A public notice to this effect was issued stating that the aqua farmers and hatchery operators will be permitted to use only the registered inputs in their facilities and consequently all manufacturers (indigenous) and distributors(imported) of aquaculture inputs were directed to register each of their product with CAA by submitting test reports to the effect that they are free from the antibiotics of concern *viz.,* Chloramphenicol & Nitrofuran parent compounds and metabolites[Furazolidone-AOZ, Furaltadone-AMOZ, Nitrofuration-AHD and Nitrofurazone(Semicarbazide)-SEM.

Periodical monitoring and testing of samples of the product from market will be done by CAA to keep the product in the active list and in case antibiotics or prohibited chemicals are found in the product, the product will be deregistered and removed from the list of approved products. Letters in this regard were sent to the Secretary Fisheries of all coastal States informing the said development and requesting them to create awareness among the stakeholders through the concerned Fisheries officials in their States so as to enable the CAA to initiate suitable punitive action. Due to the above actions initiated and as the registration is kept open as continues process, more number of products are expected to be registered soon.

A statement showing the total number of registration of antibiotic free inputs issued by the Authority in all the states is given in Table 14 and their state-wise and year-wise registration in terms of antibiotic free inputs is depicted in Figure 31 and 32. Similarly registration of antibiotic free inputs is also managed under eight categories and it is given in Table 15 and their category-wise and year-wise registration in terms of antibiotic free inputs is depicted in Figure 33 and 34.

During the current year (April 2018-March 2019), the authority has considered and approved 2022 Antibiotic Free Aquaculture inputs in eight categories such as Feed Additive, Probiotic, Larval Feed, Adult Feed, Chemical, Disinfectant, Immunostimulant and Drug the list of which hosted in our website www.caa.gov.in. and the registration certificates were despatched directly to all the applicants.

Astonishing growth in the total number of registration of antibiotic free inputs issued by the Authority within a short period of four years. The number of registration of antibiotic free inputs have grown rapidly with 258 from the commencement of the programme (2015) and reached a level of 3362 during 2018-19 as presented in Table 14 and 15.

Launch of Webpage to find out CAA registered antibiotic-free aquaculture inputs

CAA has developed a webpage link in its website to search for registered coastal aquaculture inputs from the database for a registered product or company. The webpage was launched by Dr. S. Santhanakrishnan, Former SAP President at the Conference Hall, CAA on 1st August, 2018. He opined that the registration of coastal aquaculture inputs at CAA is more transparent, user-friendly and regulated in terms of usage in aquaculture. He also emphasised on the need to produce sea foods free of antibiotics for sustainable coastal aquaculture and to improve the livelihood security of the stakeholder. The certified list of registered Coastal Aquaculture inputs is posted in the Authority website http://caa.gov.in as pdf documents.The webpage link to find out CAA registered antibiotics free inputs is http://caa.gov.in/product/products/product_search.

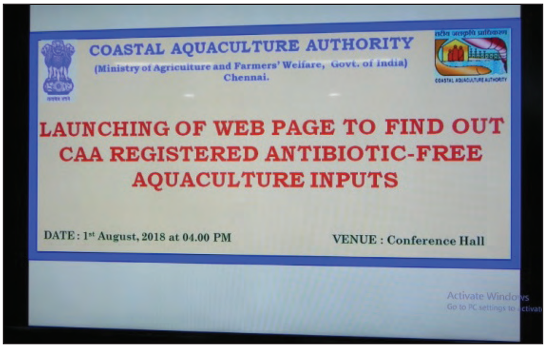

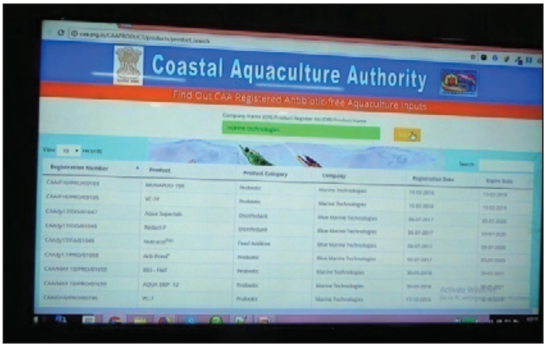

Launch of webpage in search of CAA registered antibiotic-free aquaculture inputs is in progress

Table 14. Details of Registration of Antibiotic free inputs issued by CAA from 2015 – 2019

Sl. No.	Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	TOTAL
1	Andhra Pradesh	23	120	176	805	1124
2	Delhi	0	2	0	4	6
3	Gujarat	0	0	39	77	116
4	Haryana	0	0	3	17	20
5	Karnataka	15	17	20	82	134
6	Madhya Pradesh	0	0	0	12	12
7	Maharashtra	36	97	29	140	302
8	Odisha	0	0	0	4	4
9	Tamil Nadu	117	151	136	198	602
10	Telangana	66	197	74	658	995
11	Uttar Pradesh	0	0	11	12	23
12	Uttarakhand	0	0	0	3	3
13	West Bengal	1	0	10	10	21
	TOTAL	**258**	**584**	**498**	**2022**	**3362**

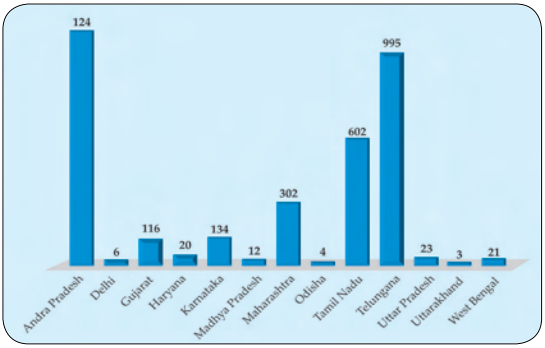

Figure 31 : Registration of number of Antibiotic free inputs (State-wise) in all states from 2005 to 2019

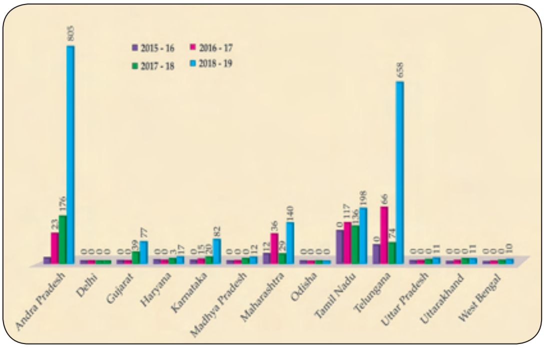

Figure 32 : Registration of number of Antibiotic free inputs (Year-wise) in all states from 2005 to 2019

Table 15. Details of Registration of Antibiotic free inputs (Category-wise) issued by CAA from 2015 – 2019

Sl. No.	Category	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	Total
1	Chemical	30	65	53	376	524
2	Disinfectant	11	35	55	180	281
3	Drug	1	2	1	5	9
4	Feed Additive	75	281	208	859	1423
5	Feed Adult	27	31	18	44	120
6	Feed Larval	37	11	14	23	85
7	Immunostimulant	4	12	19	57	92
8	Probiotic	73	147	130	478	828
	Total	**258**	**584**	**498**	**2022**	**3362**

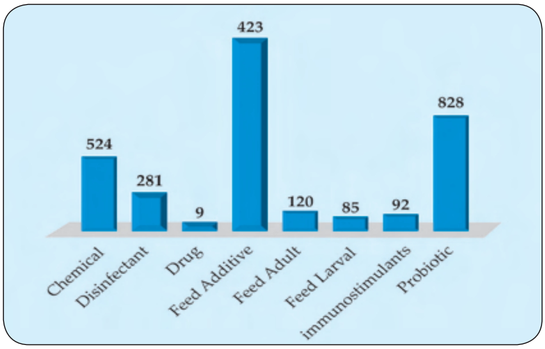

Figure 33 : Registration of number of Antibiotic free inputs (Category-wise) from 2005 to 2019

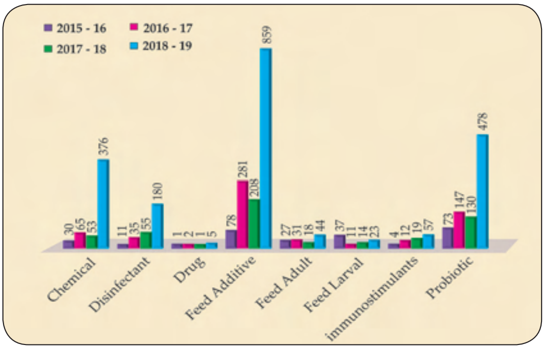

Figure 34 : Registration of number of Antibiotic free inputs (Year-wise) from 2005 to 2019

Sl. No.	State-wise	2018-19
1	Andhra Pradesh	805
2	Delhi	4
3	Gujarat	77
4	Haryana	17
5	Karnataka	82
6	Madhya Pradesh	12
7	Maharashtra	140
8	Odisha	4
9	Tamil Nadu	198
10	Telangana	658
11	Uttar Pradesh	12
12	Uttarakhand	3
13	West Bengal	10
	TOTAL	**2022**

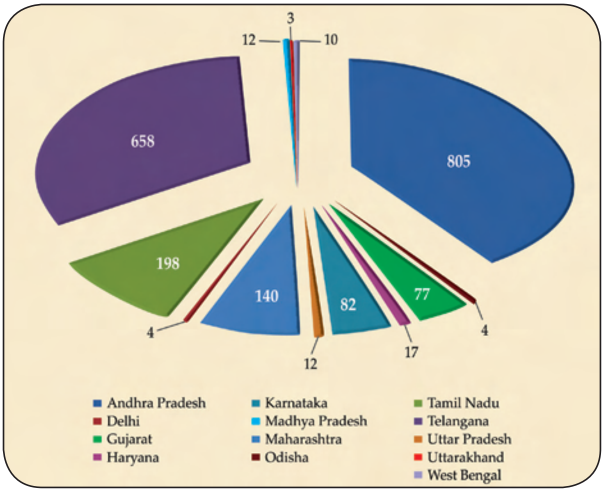

Figure 35 : Registration of number of Antibiotic free inputs (State-wise) in all states during the year 2018-19

Sl. No.	Category	2018-19
1	Chemical	859
2	Disinfectant	478
3	Drug	23
4	Feed Additive	44
5	Feed Adult	376
6	Feed Larval	180
7	Immunostimulant	57
8	Probiotic	5
	TOTAL	**2022**

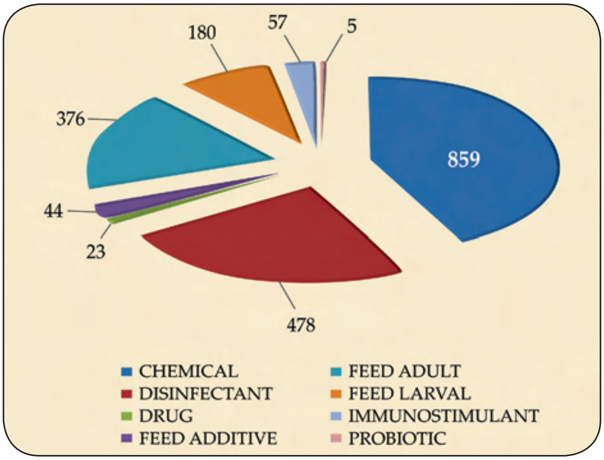

Figure 36 : Registration of number of Antibiotic free inputs (Category-wise) in all states during the year 2018-19

VII. Water Quality Monitoring Laboratory

A water quality monitoring laboratory was established in the Technical section of CAA for analysis of the wastewater samples collected from hatcheries and farms during regular monitoring to ensure that they are within the standards of prescribed by CAA. The laboratory is equipped with the installation of instruments such as CHINSO Analyzer, Spectrophotometer, Nitrogen Kjeltec-Distillation Unit, Multiparameter water quality sondes, Millipore titration system, BOD Incubator, COD Analayser and Gas Chromotography-Mass Spectrum with Head Sampler(GC-MS) apart from other

equipments required for water quality monitoring in aquaculture system. All the samples collected from shrimp hatchery and farms during regular monitoring were analysed for the required water quality parameters pertinent to CAA regulations.

Analysis of waste water samples in CAA lab

VIII. Website updation

In order to facilitate the shrimp farmers and hatchery operators to get full details on the modalities for registration and renewal of aquafarms and hatcheries with the required application forms, guidelines on seed production and farming with related information connected therewith, full details on cultured shrimps and other products to the buyers in abroad for traceability, etc. CAA is having a website *viz.*, www.caa.gov.in which is uploaded through National Informatics Centre, Chennai. The website describes the powers and functions of the Authority, Act, Rules, Regulations and Guidelines, recent Notifications relevant to aquaculture as well as the detailed list of CAA members appointed by the central government, besides details on District level and State Level Committees (DLCs and SLCs).

Database having detailed information about registration and renewal of hatcheries/ aquafarms with the required forms, list of shortlisted suppliers of SPF *L. vannamei* broodstock, quarterly compliance report, reservation of space in aquatic quarantine,

details on DLCs and SLCs, list of banned antibiotics, biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards etc., are given in an user-friendly downloadable format.

Farming activities of other species in practice are also focused with list of banned antibiotics, procedures for biological sampling for testing antibiotics, wastewater quality standards etc, are also given in user-friendly downloadable format. New and latest information were also uploaded periodically in the website.

Information on registration of antibiotic-free aquaculture inputs including application form, terms & conditions of the registration, list of products registered and related notification and latest advisories etc., were also hosted in user-friendly downloadable format.

The new concept of Online Registration of aqua farms through CAA website has progressed considerably which will be ready shortly for use for the benefit of farmers.

IX. Strengthening of Coastal Aquaculture Authority

The Coastal Aquaculture Authority has the jurisdiction to regulate the coastal aquaculture activities in ten coastal States and four coastal Union Territories. A total of 21 staff originally sanctioned by the Central government to the Aquaculture Authority were continued when CAA was established under the statutory provision of CAA Act, 2005. Until 2008, major activity of CAA was registration of shrimp farms, both new and old, with due inspection carried out by the DLCs and SLCs. Since 2009, with the introduction of the exotic shrimp SPF *L. vannamei* in the country, many additional functions such as correspondence with coastal States, DLCs/SLCs and meetings with stakeholders, handling the technical committee for overseeing the operation of aquatic quarantine, inspection of hatcheries for permitting import of *L. vannamei* broodstock and seed production, inspection of shrimp farms for permitting *L vannamei* culture, continues monitoring of hatcheries and farms to prevent unauthorised breeding/farming of this species, collection/analysis of wastewater released from hatcheries & farms to assess their conformity with CAA standards, usage of banned drugs and chemicals in aquaculture, registration of antibiotic free aquaculture inputs, implementation of Nauplii Rearing Centres(NRC) awareness creation on responsible aquaculture practices, etc, there is urgent need to strengthen the Coastal Aquaculture Authority. In this regard the following proposals were made:

A proposal, for the establishment of three Regional Centres in the States of Gujarat, West Bengal and Andhra Pradesh with a staff strength of persons and additional posts for

strengthening the headquarters at Chennai in Tamil Nadu was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare requesting approval of the government as the aquaculture sector has picked up very fast in these States and there is urgent need to cater to the needs of farmers, hatchery operators and related stakeholders. A detailed proposal with full justification has been prepared for the consideration of the Committee on non-plan expenditure.

As the efforts put up for allotment of government land to construct a National Headquarters Complex of the Aquaculture Authority established under CAA Act, 2005 at Chennai to accommodate the staff (present and additional posts proposed for strengthening the headquarters) as well as to have a permanent set up for having the laboratory and other facilities did not materialise, a request for allotment of land at Alamaty, Chennai (a unit under Livestock Health Division of DAHD&F) was submitted to the DAHD&F, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Meanwhile the Department of Fisheries, Government of Tamil Nadu has taken into consideration a proposal to allot adequate space for the office of the CAA in one of the floors in their Fisheries Complex under construction at Saidapet, Chennai by issuing a Notification. The allotted space as per the GO was accepted in principle and the meetings held by the Committee identified by the government to indicate the requirements on partition, permanent cupboards/furniture, electrical points/fittings etc., were attended and the actual requirement of CAA provided.

X. Implementation of official language (Hindi) in CAA

CAA is promoting implementation of official language by imparting training, celebrating Hindi Week and conducting seminar/workshop etc., in Hindi. Officers and staff members actively participated in the following programmes conducted during the year.

Particiapation of staffs in the essay writing competition

Hindi Week Celebration and awarding prizes in progress

Hindi Week was celebrated in CAA from 22nd to 29th September 2018. The celebration was indicated by displaying banners at the office premises. Also, bilingual posters depicting the importance of using official language in day-to-day dealing of the office and the bilingual publications of the CAA and a few themes on CAA activities were exhibited. During the programme, competitions viz., essay writing, translation and oration were conducted. Prizes were awarded to the successful participants on the last day of the Celebration held on 29.09.2018.

During Hindi Week Celebration, CAA has invited an expert in Hindi language from Hindi Prachar Sabha, Chennai. During the Hindi Week Celebration the importance of improving the usage of Official language in day-to-day dealing of the office by attending various courses available in the Hindi Teaching Schemes of the Central Government, various incentives offered to officials who successfully complete the courses, procedures to avail the schemes, nearest locations where such facilities are available etc., were explained to the beginners by the guest. Officers and staff members actively attended the Hindi Day celebration and prizes were distributed to the successful participants.

XI. Outreach Activities of CAA

A. Awareness Programmes Conducted / Participated

Associated with Department of Fisheries, Government of Tamil nadu in conducting an awareness programme among shrimp farmers on "Antibiotic Awareness Campaign" at Sirkali, Nagapattinam District, Tamil Nadu on 25th September, 2018. The awareness programme was inaugurated by the officials of Department of Fisheries, Nagapattinam and presided by the Member Secretary, CAA. He briefed about the use and abuse of antibiotics in shrimp farms. He demonstrated that the registration of antibiotic-free aquaculture inputs and the shrimp hatcheries and farms are to use only CAA registered inputs only. He requested the DLC members and field officers of Fisheries Department to create awareness on the use of CAA registered aquaculture input products among the aquaculturists in the state. Shrimp farmers in the respective district got benefitted at the awareness campaign. Awareness programmes in these areas have overwhelming responses and most of the issues were addressed through DLCs/SLCs and State Fisheries department. The issues resolved include to speed up the clearance of pending applications and to monitor the seed quality produced in the hatcheries without the use of antibiotics.

Member Secretary, CAA participated in the awareness programme organised by the Department of Fisheries, Government of West Bengal on 17th January, 2019. He stressed the biosecurity measures to be followed in aquafarms and hatcheries in accordance with the guidelines under CAA Act 2005. Handouts on the issues of antibiotics in vernacular languages, shrimp farming and hatchery techniques to be followed were distributed to all the participants. The programme was attended by most of the State Fisheries officials of DLCs and SLCs, shrimp farmers, hatchery operators and input suppliers.

Awareness programme in West Bengal

Member Secretray, CAA and District Fisheries Offical addressing the stakeholders in the meeting

Interaction of farmers in the programme

B. Swachh bharat at CAA office / Shrimp Hatchery / Shrimp Farms / Shrimp Harvest

Member Secretary organised Swachh Bharat awareness campaign at CAA, Chennai for employees, and the general public to motivate them to be the part of the Swachh. Essay competition was also organised on Swachh Bharat to spread awareness in this regard.

Swachh Bharat at CAA office

With a view to raise more awareness about swachh bharat amongst the officials of DLCs/ SLCs of State Fisheries, shrimp hatchery operators and farms owners, stakeholders and aquaprenuers and fishermen banners on the ongoing Swachh bharat were prominently carried out in shrimp hatcheries and farms also. Senior Technical Assistant and consultants of CAA were deputed and engaged in organising Swachh bharat in hatcheries and shrimp farms.

Senior Technical Assistant and Consultants of CAA organized "Swachh Awareness Campaign" at Lotus shrimp hatchery located at Kancheepuram District of Tamil Nadu on 6th December, 2018.

Swachh bharat at Shrimp hatchery

Senior Technical Assistant and Consultants of CAA organized "Swachh Bharat Awareness Campaign" among farmers located at Elavur village, Thiruvallur districts of Tamil Nadu on 28th December, 2018 and to facilitate video conferencing with officials of CAA.

Swachh bharat at shrimp farms

CAA joined hands with CIBA to demonstrate "Swachh Bharat Awareness Campaign" at Nellore District of Andhra Pradesh on 24th October, 2018. Member Secretary, Senior Technical Assistant and Consultants of CAA participated in the harvest mela of native species of culture of *P. indicus* demonstration of CIBA at Nellore district of Andhra Pradesh. Member Secretary illustrated the importance of maintenance of biosecurity measures implemented in shrimp hatcheries and farms throughout the production of disease and antibiotic free seeds for producing internationally aquaculture produce. He also focused on the effluent treatment systems, based on the best management practices in the shrimp farms, to improve quality of waste water and to make their farming practices more sustainable. He insisted the shrimp hatchery operators and farm owners to use CAA registered inputs only. The programmes were attended by about 150 shrimp farmers / hatchery operators etc., besides officials of DLCs / SLCs and Field officers of state Fisheries Department.

Concept of Swachh Aquaculture and guidelines for regulating hatcheries and farms for culture and harvest of *L. vannamei* were issued during the harvest mela at Nellore District of Andhra Pradesh. Pamphlets and handouts on Swachh bharat during harvest is also distributed in vernacular languages.

Swachh bharat during harvest mela at Nellore District

C. Participation in Workshops / Seminars

CAA participated in the World Brackishwater Aquaculture Conference "BRAQCON – 2019" - Latest technology development in the Aquaculture" organized by the Central Institute of Brackishwater Aquaculture held at Chennai on 23rd – 25th January 2019. CAA has contributed Rs. 8 lakhs to CIBA as a part of sponsorship to conduct BRAQCON-2019. Member Secretary, CAA participated in the event as Guest of Honor and felicitated the programme during the inaugural session and also awarded momentos to the speakers and other VIPs on the dais. He also made a presentation on *"Role of CAA in Aquaculture Input Regulations"* in the Technical Session. He also contributed to the discussions held on the significant themes focused in the technical session of the workshop and in evolving essential recommendations that involves consideration of the government. Director (Technical), Senior Technical Assistants and Consultants of CAA also participated in the event.

Inauguration of the Programme

Presentation by Member Secretary, CAA

Addressing the particpants and awarding momentos in the programme

D. Participation in Exhibitions

CAA participated in the following exhibitions organized by various State / Central Govt. organisations. Posters/charts, flex banners, pamphlets and blowups were displayed by depicting the vision and mission of CAA.

1. 9th Krishi Fair, 2018

CAA participated in the 9th Krishi Fair 2018 at Puri, Odisha organized by Shree Shrikshetra Soochana, Puri, Odisha during 3rd – 7th June, 2018. In the stall various activities like registration and renewal of hatcheries, farms and aquaculture inputs were displayed. Farmers from various parts of Odisha visited the stall and made aware of shrimp hatchery and farming techniques and aquaculture inputs of CAA. Queries of the visitors were also answered by the CAA officials.

2. "Fish Festival-2018, National Farmers Day"

CAA involved in the ***Fish*** Festival - 2018, ***National Farmers Day"*** organized by the NFDB at Visakhapatnam, Andhra Pradesh on 9th – 10th July 2018. In the stall, CAA highlighted the activities to be followed for regulation, approval and operation of farms and hatcheries of SPF *L. vannamei* and registration of aqua inputs through posters, flex banners and brochures for the benefits of stakeholders, aquapreneurs and farmers.

3. World Fisheries Day

CAA joined in the World Fisheries Day organized by the NFDB at Gyan Bhavan, Samrat Ashok International Convention Centre, Patna, Bihar on 22nd November, 2018 to highlight the importance of healthy ecosystems in the world. CAA explored the use and abuse of antibiotics in aquaculture practices to ensure sustainable environment in the aquaculture.

4. 3rd Edition of AQUABIZ 2018" an International Trade Fair & FISH Festival in Aquaculture

Member Secretary, Senior Technical Assistant and Consultants of CAA attended the International Trade Fair & FISH Festival in Aquaculture organized by the Department of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh in partnership with Confederation of Indian Industries (CII) and supported by MPEDA and NFDB at Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College Grounds, Kanuru, Vijayawada, Andhra Pradesh on 21st – 23rd December, 2018. Member Secretary made a presentation on "Traceability, Certification and Value Addition in Aquaculture". CAA has involved in organising stall in the exhibition by illustrating the activities like registration and renewal of hatcheries, farms and aquaculture inputs. Aquapreneurs, stakeholders, farmers and hatchery operators from various parts of the world visited the stall and benefitted.

5. BRAQCON -2019

CAA participated in the World Brackishwater Aquaculture Conference "BRAQCON – 2019" organized by the Central Institute of Brackishwater Aquaculture held at Chennai on 23rd – 25th January 2019. Director (Technical), Senior Technical Assistants and Consultants of CAA also participated in the event.CAA highlighted the mandatory functions to be adopted by the shrimp farmers / hatchery operators including awareness on use and

abuse of antibiotics, chemicals and drugs in aquaculture One to one interactions with farmers, stakeholders, aquapreneurs and visitors were also answered by the officials at the venue.

E. Participation of CAA members / officers in meetings / seminars /symposia organised by other organisations

- Member Secretary CAA attended the opening meeting of EU FVO Audit to India on 16th April, 2018.
- Member Secretary CAA attended the National Workshop on National Inland Fisheries and Aquaculture Policy (NIFAP) at CIFE, Mumbai on 26-27 April, 2018.

- Member Secretary CAA attended the 32nd Executive Committee meeting of NFDB as Member Secretary of EC body on 5th June, 2018.
- Member Secretary CAA attended the PSC meeting convened by Ministry on 27th June, 2018 under the Chairmanship of Joint Secretary (Fisheries) to review "Guidelines for establishment of operation of SPF shrimp broodstock Multiplication Centre (BMC) in Gujarat by M/s Vaishnavi Aquatech.
- Member Secretary CAA attended "Interactive Session with Stakeholders" organised by Aquaculture's Association, Vijayawada on 20th July, 2018.
- Member Secretary CAA attended the meeting convened by Joint Secretary (Fisheries) on "Review of the current situation of shrimp aquaculture in India" on 8th August, 2018.
- Member Secretary CAA attended the Project Screening Committee meeting convened by DADF, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare under the Chairmanship of Joint Secretary (Fisheries) on 3rd August, 2018 at New Delhi.
- Member Secretary CAA attended Meeting of Southern Fisheries Ministers" at CMFRI, Kochi from 10th to 11th November, 2018.
- Member Secretary CAA attended the 33rd Executive Committee Meeting of National Fisheries Development Board (NFDB) held on 13th November, 2018. During the morning session, attended inauguration of training on Aquaculture and Aquapreneurship Development Programme by MANAGE and NFDB sponsored programme for aqua farmers.
- Member Secretary CAA attended meeting of Project Screening Committee of BMC (for *P. monodon* at Gujarat) on 16th November, 2018 at DADF, New Delhi.
- Member Secretary, Senior Technical Assistant and Consultants of CAA attended "AQUABIZ INDIA 2018" organised by CII at Vijayawada, Andhra Pradesh from 21st to 23rd December, 2018.
- Member Secretary CAA attended CIFE programme on Workshop on "Fish Genetics" training from 16-18th January, 2019.
- Member Secretary CAA attended workshop on syllabus revision and academic reform at Central Institute of Fisheries Education (CIFE), Mumbai on 19th February, 2019.
- Member Secretary CAA attended National Fish Farmers Day organized by National Fisheries Development Board (NFDB) at Visakhapatnam, Andhra Pradesh on 9th – 10th July, 2018.
- Member Secretary, Senior Technical Assistant and Consultants of CAA participated and involved in organising CAA stall in the 3rd Edition of AQUABIZ 2018" an International Trade Fair & FISH Festival in Aquaculture at Velagapudi Ramakrishna

Siddhartha Engineering College Grounds, Kanuru, Vijayawada, Andhra Pradesh organized by the Department of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh in partnership with Confederation of Indian Industries (CII) and supported by MPEDA and NFDB on 21st to 23rd December, 2018.

- Member Secretary CAA attended workshop on syllabus revision and academic reform at Central Institute of Fisheries Education (CIFE), Mumbai on 19th February, 2019.

XII. Activities likely to be taken up during 2019-20

i) Registration

Registration and renewal of coastal aquaculture farms and hatcheries are continues process. It is expected that more coastal aquaculture farms and hatcheries of the country would be registered during the period between April 2019 and March 2020.

ii) Approval for *L. vannamei* culture

About 2,000 ha of additional farm area is proposed to be brought under *L. vannamei* culture with CAA registration.

iii) Inspection and Monitoring

Periodic monitoring of the facilities, especially the quality of wastewater discharged from shrimp farms and hatcheries are to be taken up to ensure meeting of the standards prescribed the Authority.

iv) Approval for Antibiotic-free Aquaculture Inputs

As the registration is kept open as continues process and also various activities initiated at the level of Secretary Fisheries of all coastal States, more number of products are expected to be registered.

v) Awareness Programmes

Awareness programmes relating to environment protection, suitable development of coastal aquaculture activities and good aquaculture practices are to be organised.

vi) Advertisement and Publication

Public notices are to be issued on important matters from time to time to caution stakeholders on unauthorised activities and for taking precautionary measures to avoid occurrence of diseases as well as advise the stakeholders on current affairs and happening in shrimp culture sector towards achieving the goal of sustainability.

vii) Preparation of Manuals/Brochures

The compendium on Coastal Aquaculture Authority Act, Rules and Guidelines would be further edited incorporating all the Regulations, Guidelines and notifications issued by the Ministry in some local languages.

viii) Workshops and Meetings

Stakeholder meetings would be organized for addressing the problems encountered in the coastal aquaculture activities, where experiences of various groups on technological improvements and other aspects, would also be shared.

CAA would be participating in workshops, exhibitions, seafood fairs, Krishi Mela and aqua shows organised by other agencies on coastal aquaculture activities, whenever possible.

XIII. FINANCE

(i). Summary of actual financial results for financial year 2018-19

The Accounts pertaining to the financial year 2018-19 was audited under the section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 by the Director General of Audit (Central), Chennai and its report is presented in ANNEXURE.

As per Section 16 and 17 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, the grant-in-aid based on budget estimation made by the CAA, was provided in 2 (two) installments, under the budgetary provisions of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi. Administrative Ministry has sanctioned GIA of Rs.400 lakhs for the financial year 2018-19. Ministry has admitted Revised Estimates for Rs.400 lakhs and this office utilized the full amount.

Budget Estimates / Revised Estimates and Expenditure for the financial year 2018-19 are as follows:

Major Head 2405 **Sub Head - 131731Grant-in-Aid** (General)

- 131736 Grant-in-Aid (Salaries)

(₹ in Lakhs)

BE admitted by the Ministry	RE admitted by the Ministry	Amount received	Amount spent	Unspent balance
480	400	400	400	0.00

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Name of the Scheme	Sub-head	BE 2019-20
1	Coastal Aquaculture Authority	**131731Grant-in-Aid** (General) **131736 Grant-in-Aid** (Salaries)	450

(ii). Details of the Annual Accounts for the year 2018-19

The Details of the Annual Accounts for the year 2018-19 are presented in ANNEXURE

XIV. Staff and existing organizational structure of the Authority

At present, CAA has got sanctioned strength of 21 posts and the staff in position during the financial year 2018-19 is as follows:

Sl. No	Group	Post	Sanctioned Strength	Number of staff at the beginning	No. of staff repatriated during the year	No. of new staff added during the year	Staff at the end of the year
1	A	Director	1	1	1	0	0
		Asst. Director	1	0	0	0	0
		Sr. Admin. Officer	1	0	0	0	0
2	B	Superintendent	1	1	0	0	1
		Private Secretary	2	2	0	0	2
		Sr. Tech. Assistant	2	2	0	0	2
		Accountant	1	1	0	0	1
		Steno. Gr. 'C'	2	0	0	0	0
3	C	Sr. Clerk	2	1	1	0	0
		Steno. Gr. 'D'	1	1	0	0	1
		Jr. Clerk	2	2	0	0	2
		Staff Car Driver	1	1	0	0	1
		MTS	4	4	0	0	4
		Total	**21**	**16**	**2**	**0**	**14**

Consultants and Computer Programmer

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year
1	Consultants	8	8	0	0
2.	Computer Programmer	3	3	0	0

On contract through a Manpower Agency

Sl. No	Designation	Number at the beginning	Number left during the financial year	New added during the financial year	At the end of financial year
1	Consultants	0	0	5	5
2.	Computer Programmer	0	0	2	2
3.	Support Staff	2	0	0	2

XV. Recruitment / Retirement / Repatriation

- **Shri. R. Jayaraman,** Director (Tech) on deputation has been repatriated to his parent department in October 2018.
- **Smt. R Subashini**, Senior Clerk on deputation has been repatriated to her parent department in June 2018.

XVI. Right to Information Act

Totally 14 (fourteen) applications were received under RTI Act during the year 2018-19. Information sought were furnished.

ANNEXURE

Annual Accounts of CAA
and
Separate Audit Report of the C & AG
for the year 2018-19

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILIITES			
Corpus /Capital Fund	1	1,28,75,112	1,21,06,191
Earmarked/ Endowment Funds	2	7,51,22,432	4,24,90,418
Current Liabilities and Provisions	3	93,45,704	36,10,266
Total		**9,73,43,248**	**5,82,06,875**
ASSETS			
Fixed Assets	4	82,27,094	95,81,910
Investments - From Earmarked/ Endowment Funds	5	30,69,183	28,29,831
Current Assets, Loans, Advances, *etc.*	6	8,60,46,971	4,57,95,134
Total		**9,73,43,248**	**5,82,06,875**
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2019

(Amount - ₹)

	Schedule	Current Year	Previous Year
1. INCOME			
Grants/ Subsidies	7	3,99,93,038	1,97,91,100
Fees/Subscriptions	8	20	190
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/endowment funds transferred to Funds)	9	-	-
Interest Earned	10	2,79,782	4,37,280
Other Income	11	12	79,714
Total (A)		**4,02,72,852**	**2,03,08,284**
2. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	1,96,06,020	1,37,18,377
Other Administrative Expenses, *etc.*	13	1,85,43,095	92,44,788
Expenditure on Grants, Subsidies, *etc.*		-	-
Depreciation	4	13,61,778	15,97,262
Total (B)		**3,95,10,893**	**2,45,60,427**
Balance being excess/(shortage) of Income over Expenditure (A-B)		**7,61,959**	**(42,52,143)**
Prior Period Items			
- Telephone		-	-
- Postage and telegram		-	2,00,000
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
Balance being Surplus / (Deficit) Carried to Corpus/ Capital Fund		**7,61,959**	**(40,52,143)**
Significant Accounting Policies	14		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	15		

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2019

RECEIPTS	Amount- ₹		PAYMENTS	Amount- ₹	
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
1. Opening Balances			1. **Expenses**		
a) Cash in hand			a) Establishment	1,58,05,557	1,28,69,658
b) Bank Balances			Expenses	1,35,58,327	83,54,749
i) In current accounts			b) Administrative		
ii) In deposit accounts			Expenses		
iii) Savings accounts	4,53,60,998	3,38,56,687			
iv) IOB - '10000	1,22,276				
2. Grants Received			**2. Payments made against funds for various projects**		
a) From Govt. of India			(Name of the fund or project to be shown along with the particulars of payments made for each project)		
i) Capital Receipts	6,962	2,08,900			
ii) Revenue Receipts	3,99,93,038	1,97,91,100			
b) From State Govt.					
c) From Other Source (Grants for capital & revenue expenses to be shown separately)					
3. **Income on Investment from**			3. **Investments and deposits made**		
a) Earmarked/ Endowment Funds (FDR Interest)			a) Out of Earmarked/ Endowment funds		
b) Own Funds (other Investment)			b) Out of Own Funds		
4. **Interest Received**			4. **Expenditure on Fixed Assets & Capital work-in-Progress**		
a) On Bank deposits	2,79,782	4,37,280			
b) Loans, Advances, *etc.*	-	-			
c) On Earmarked Investments	31,62,038	17,83,253			
			a) Purchase of Fixed Assets	6,962	2,08,900
			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
5. Other Income (Specify)			5. **Refund of surplus money/ loans**		
a) Rebate from PO	-	3,474			
b) Misc Income	12	1,729	a) To the Government of India		
c) Festival Advance	-	-			
d) RTI Fees	20	190			
e) MTS Application Fees	-	-	b) To the State Government		

f) Refund of deposit - CPWD CCD	-	-			
g) Sale of scrap	-	-			
h) Share of parliament expenditure - Epfo	-	74,511			
6. Amount Borrowed DDO	-		**6. Finance Charges (Interest)**		
7. Any other receipts (give details)	-	-	**7. Other Payments (Specify)**		
a) Earnest Money Deposit	- -	- -	a) Rent payable	2,17,888	-
b) Festival Advance Recovery	- 78,91,950	- 40,10,750	b) Performance security Deposit Refund	-	-
c) Stamps in Hand	3,37,384	1,97,190	c) bank charges (earmarked fund)	-	454
d) Letter of Credit	-	-	d) Prepaid Expenses	-	-
e) Endowment Fund (Processing Fees)	- 2,11,01,290	- 68,40,000	e) Expenditure out of Earmarked fund	1,00,000	-
f) Application Fees - 30%	14,078	1,75,830	f) Medical Advance	-	-
g) State Fisheries- Andhra Pradesh	- -	- 11,09,049	g) LSPC/ CPC arrears	-	1,26,556
h) Security Deposit	-	31,194	h) Post Master, St. Thomas Mount	5,00,000	-
i) Feed Products			i) Stamps in Hand	25,000	3,000
j) NPS - K Srinivasan Babu			j) Bonus payable	-	69,080
k) Professional tax			k) Travelling expenses for Inspection	-	-
l) TDS			l) Sundry Creditors	-	-
m) Muthu Soft labs			m) TDS	11,38,164	11,09,049
			n) NPS - K Srinivasan Babu	-	-
			o) Professional Tax	-	29,019
			p) Indirect expenses	-	92,516
			q) Salary payable	12,08,025	-
			s) Processing fee (LV hatchery) refunded	-	2,10,000
8. Fund Transferred from CPF, GPF, Pension A/c			**8. Loans and Advances**		
			a) Advance for Meeting	1,79,620	59,000
			b) Advance for crockeries	-	10,000
			c) Shifting advance	5,000	-
			d) Advance for Hindi Week	5,000	-
			e) Advance for republic day	14,000	20,000
			f) Advance for campaign week	6,500	-
			g) Advance for audit	10,000	15,000
			h) Advance for stamps	-	10,000
			i) Advance for hindi seminar	-	5,000
			j) Advance for MS seal	-	1,700

			k) Advance for pooja expenses	20,000	-
			l) Advance for staff welfare	48,000	62,000
			m) Advance for travelling / tour expenses	6,47,405	3,28,950
			n) LTC Advance	28,300	-
			o) Advance for consultant & Programmer Interview	-	1,60,000
			p) Advance for Telephone	-	1,000
			q) Advance for Contingent expense	-	17,000
			r) Advance for repair and maintenance		8,000
9. Advance Refund			**9. Fund Transferred from CPF, GPF, Pension Acts**		
a) Advance for Meeting	28,481	1,607			
b) Advance for campain week	2,832	-			
c) Advance for crockeries	-	11			
d) Advance for audit	-	89			
e) Advance for Independence / republic day	1,647	4,950			
f) Advance for hindi seminar	-	127			
g) Advance for stamps	-	5,000			
h) Advance for Travelling / Tour Expenses	89,940	65,927			
i) Advance for pooja expense	8,520	-			
j) Advance for repair and maintenance	-	357			
k) Advance for consultant and programmer deposit	-	1,39,962			
l) Advance for contingent expense	-	5,185			
m) Advance for staff welfare	515	2,923			
n) Advance for telephone	-	251			
o) Advance for MS seal	-	670			
10. Direct Expenses Reversal	4,61,097	3,82,128	**10. Closing Balance**	-	-
a) Establishment Expenses			a) Cash in Hand	-	-
b) Administrative Expenses			b) Bank Balances	8,53,77,602	4,53,60,998
			i) In Current Accounts		
	38,490	1,305	ii) In Deposit Accounts		
			i) Savings Accounts		
Total	**11,89,01,350**	**6,91,31,629**	**Total**	**11,89,01,350**	**6,91,31,629**

Sd/-
Sr. Admin. Officer

Sd/-
Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

Schedule 1 - Corpus/ Capital Fund

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year		
Add: Grant received towards Corpus/Capital Fund	1,21,06,191	1,58,31,742
Add : IOB - Account 209501000010000	6,962	2,08,900
Less: Transfer to Earmaked Fund interest	-	1,17,692
	1,21,13,153	**1,61,58,334**
Less: Expenditure over Income transferred from the Income & Expenditure Account	7,61,959	(40,52,143)
Add: Excess of Income over Expenditure transferred from Income & Expenditure Account	-	-
Balance as at the Year End	**1,28,75,112**	**1,21,06,191**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

Schedue 2: Earmarked/ Endowment Funds

(Amount- ₹)

	Fund-Wise Break Up							
	Farm Registration Fees	Processing Fees for *L. vannamei*		Interest	Feed Products	Expense out of Earmarked Fund	Totals	
		Farms	Hatchery				Current Year	Previous Year
a) **Opening balance of the funds**	14,84,496	79,67,529	1,97,70,950	28,84,251	1,68,70,750	(64,87,558)	4,24,90,418	2,96,82,351
b) **Addition to the Funds**							-	-
i. Donations/ grants	-						-	-
ii. Income from Investment made on account of Earmarked Funds	-	-	-	-			-	-
iii. Fees	3,56,184	3,17,950	75,55,200	34,01,390	2,11,01,290	-	3,27,32,014	1,08,37,940
iv Contributions							-	-
v Interest receipts transferred to Endowment Funds				(62,85,640.97)			(62,85,641)	19,70,127
vi Interest receipts transferred from Interest Fund	1,68,076.60	7,56,565.57	24,95,211.73	-	28,65,787.07		62,85,641	
Total (a+b)	**20,08,757**	**90,42,045**	**2,98,21,362**	**-**	**4,08,37,827**	**(64,87,558)**	**7,52,22,432**	**4,24,90,418**
c) **Utilisation/ Expen towards objectives of funds**	-	-	-	-	-	-	-	-
i. **Capital Expenditure**	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-
- Others- Settlement	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. **Revenue Expenditure**	-	-	-	-	-	-	-	
- Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-	-	-	-	-	
- Travelling Expenses on Inspection of Farms etc	-	-	-	-	-	-	-	-
- JIFSAN Training Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-
- Seminar/conference etc Expenses	-	-	-	-	1,00,000	-	1,00,000	-
- Expenses out of Earmarked Fund adjusted during the year	-	-	-	-	64,87,558	(64,87,558)	-	-
iii. Transferred Indian Bank A/c	-	-	-	-	-	-	-	
Total C	**-**	**-**	**-**	**-**	**65,87,558**	(64,87,558)	**1,00,000**	**-**
Net Balance as at the Year-End (a+b-c)	**20,08,757**	**90,42,045**	**2,98,21,362**	**-**	**3,42,50,269**	**-**	**7,51,22,432**	**4,24,90,418**

Notes: 1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

Schedule 3 : Current Liabilities and Provisions

(Amount- ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
i) For Goods	-	-	-	31,194
ii) Others	-	31,194	-	-
a. Muthu soft labs	31,194	-	31,194	-
3. Performance Security Deposit	-	3,662		3,662
a) M/s. Aishwarya Construction, Chennai	3,662	-	3,662	
4. Earnest Money Deposit		50,000		50,000
a) M/s. Merit Enterprises	-		-	
b) M/s. Orbit Technologies	-		-	
c) M/s. Day N Day (P) Ltd., Chennai	30,000		30,000	
d) M/s. Bio-incorp/Agilent Technologies	-		-	
e) M/s. Siva Cabs, Chennai	-		-	
f) M/s. Broadline	5,000		5,000	
g) M/s. Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
h) M/s. Nucum Technologies	5,000		5,000	
i) M/s. Vignesh Cabs	5,000		5,000	
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
6. Statutory Liabilities:				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)				
7. Security Deposit				
a) M/s. Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	7,293	7,293	7,293
8. State Fishheries, Andhra Pradesh	50,700	50,700	50,700	50,700
9. Other Provision (Contingent)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. Salary payable-March 2019	-	-	12,08,025	12,08,025
11. IOB - Account 209501000010000	-	-	-	-
12. NPS deduction - Shri K Srinivasan Babu	1,09,737	1,09,737	95,659	95,659
13. CPC / LSPC Arrears	14,45,845	14,45,845	14,45,845	14,45,845
14. Bonus payable	-	-	-	-
15. Rent payable March 2019	2,17,888	2,17,888	2,17,888	2,17,888
16. Rent Arrears	32,98,672	32,98,672		
17. CAT - Salary payable 2018 - 19	30,00,000	30,00,000		
18. Manpower Agency M/s Day N Day (for March 2019)	2,50,423	2,50,423		
19. Jayaraman LSPC / GPF	3,80,290	3,80,290		
Total		**93,45,704**		**36,10,266**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

Schedule 4 : Fixed Assets

(Amount- ₹)

Item	Rate of Dep. (%)	Gross Block					Depreciation					Net Block	
		Cost / Valuation as at beginning of the Year	Addition during the Year		Deduction during the Year	Cost Valuation at the Year end	As at the beginning of the Year	On Addition during the Year	@ 100% on purchase of assets below ` 5,000/-	On Deduction during the Year	Total up to the Year end	As at the Current Year end	As at the Previous Year end
			Up to 30.09.2015	After 30.09.2015									
Plant & Machinery	15%	1,08,07,581				1,08,07,581	74,29,613	5,06,695	-		79,36,308	28,71,273	33,77,968
Lab Equipment	15%	52,54,588				52,54,588	28,94,144	3,54,067			32,48,211	20,06,377	23,60,444
Office Equipment	15%	46,18,029	-	-		46,18,029	29,15,828	2,55,330			31,71,158	14,46,871	17,02,201
Car	15%	3,30,860				3,30,860	3,16,114	2,212			3,18,326	12,534	14,746
Furniture & Fixtures	10%	46,13,711		6,962		46,20,673	25,88,732	2,02,846			27,91,578	18,29,095	20,24,979
Computers & Peripherals	40%	33,85,900		-		33,85,900	33,08,714	30,874			33,39,588	46,312	77,186
Library & Technical Books	40%	23,58,882				23,58,882	23,34,496	9,754	-		23,44,250	14,632	24,386
Total of Current Year		**3,13,69,551**	**-**	**6,962**	**-**	**3,13,76,513**	**2,17,87,641**	**13,61,778**	-	-	**2,31,49,419**	**82,27,094**	**95,81,910**
Previous Year													
B. Capital Work-in-Progress													
Total												**82,27,094**	**95,81,910**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

Schedule 5 : Investments from Earmarked/ Endowment Funds

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Fixed Deposit Receipts (IOB)	30,69,183	28,29,831
Total	**30,69,183**	**28,29,831**

Schedule 6 : Current Assets, Loans, Advances *etc.*

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
- On Savings Accounts:	8,53,77,602	4,53,60,998
2. Stamps in Hand		
a) Stamps (Franking Machine)	62,113	2,60,024
b) Stamps (Postal)	24,084	1,964
c) Post Master	5,00,000	
3. Bank balances (Earmarked funds)		
IOB:		
Pension Fund Investment in SB A/c No:209501000007601	-	-
General Provident Fund Investment in SB A/c		
No:209501000006535	-	-
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c		
No:209501000006536	-	-
IOB - 209501000010000		1,22,276
INDIAN BANK:	-	-
Pension Fund Investment in SB A/c No:6349080748		
General Provident Fund Investment in SB A/c	-	-
No:6349080908	-	-
Contributory Provident Fund Investment in SB A/c		
No:6349081107	-	-
Total (A)	**8,59,63,799**	**4,57,45,262**
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) Prepayments (Annexure-1)	-	-
b) LTC Advance	28,300	-
c) Advance for meeting	5,000	-
d) Advance for Travel (Annexure - 1)	10,000	10,000
e) Salary recoverable	90	90
f) Telephone deposits	39,782	39,782
Total (B)	83,172	49,872
Total (A + B)	**8,60,46,971**	**4,57,95,134**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2019

Schedule 7 : Grants/ Subsidies

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
1) Central Government	3,99,93,038	1,97,91,100
Total	**3,99,93,038**	**1,97,91,100**

Schedule 8 : Fees/ Subscriptions

	Current Year	Previous Year
1) Tender Fees	-	-
2) RTI Fees	20	190
3) MTS Application Fees	-	-
Total	**20**	**190**
Note - Accounting Policies towards each item are not be disclosed		

Schedule 9 : Income from Investments

(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmarked Fund	
	Current Year	Previous Year
Interest on Fixed Deposit with Indian Bank		
Total	-	-
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds	-	-

Schedule 10 : Interest Earned

	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	2,79,782	4,37,280
Total	**2,79,782**	**4,37,280**

***Note*:** Tax deducted at source to be indicated

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2019

Schedule 11 : Other Income

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
Miscellaneous Income	12	1,729
Rebate from PO	-	3,474
Share of expense recd from EPFO	-	74,511
Interest - IOB 209501000010000	-	-
Total	**12**	**79,714**

Schedule 12 : Establishment Expenses

	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	1,44,07,253	1,15,14,798
b) Bonus	84,623	93,258
c) LTC facility	2,20,848	26,317
d) PF Contribution	7,37,890	2,93,330
e) Reimbursement of Tution Fees	1,98,000	-
f) Medical expenses	22,665	54,692
g) Staff welfare	47,485	78,743
h) Leave encashment	7,492	8,820
i) GSLI	660	720
j) Nps	8,34,894	4,09,982
k) Pension contribution	30,26,210	11,84,698
l) Professional tax	-	29,019
m) Sitting fee	18,000	24,000
Total	**1,96,06,020**	**1,37,18,377**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR PERIOD / THE YEAR ENDED 31.03.2019

Schedule 13: Other Administrative Expenses *etc.*

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
1. Advertisement and Publicity	71,619	6,09,041
2. Publication	-	-
3. Domestic Travelling Expenses	26,66,119	14,59,543
4. Supply & Materials	-	-
5. **Office Expenditure**	-	-
Repairs and maintenance	88,096	1,06,571
Electricity and Power	5,12,048	5,65,025
Fuel Charges	64,500	78,000
Rent, Rates, and Taxes	59,13,328	29,95,272
Water Charges	3,090	
Postage, Telegram	2,22,133	2,22,337
Printing, Stationery and Consumables	5,36,140	3,14,675
Cutleries and Crockeries	-	9,989
Computer Maintenance	-	5,850
Telephone Expenses	4,13,764	4,26,647
Professional Charges	2,70,287	5,93,546
Vehicle Hire Charges	9,41,990	3,41,085
Meeting Expenses	3,92,348	1,73,300
Miscellaneous Expenses	19,657	59,195
Seminar/Workshops/Training Expenses	8,96,169	1,24,123
Other Contractual Service	8,07,142	8,83,271
Shifting expenses	5,120	
Lab Chemicals	7,37,053	
AMC Expenses(A.C, Computers, Office Equipment Etc)	50,250	52,511
Conveyance	7,227	4,843
Consultant Fees	32,48,182	-
Translation charges	-	-
Newspaper and Magazine	748	745
Software Development	4,41,217	-
Lab equipments	3,068	-
Web Hosting Charges	-	8,625
Web auditing charges	-	17,700
Hindi Week Celebration / competition	1,09,838	-
Independence / republic day celebration	12,353	-
Bank Charges	5,529	11,381
Audit Expenses	12,261	17,395
Internal audit fees	73,556	1,39,080
Campaign Week	3,668	-
Interview expense	-	20,038
Legal fee	-	5,000
Pooja expense	14,595	-
Total	**1,85,43,095**	**92,44,788**

Annexure-1

Staff Festival Advance

S. No	Names	31.03.2019	31.03.2018
1	Smt G. Priya, STA		
2	Shri. Ramesh Kumar, STA		
3	Kumari. S. Priya, StenoGr D		
4	Shri. V. Selvam, Staff Car Driver		
5	Shri. Elavarasan, MTS		
6	Shri. P. Rajesh, MTS		
7	Shri. V. Prasad, MTS		
8	Smt. Jayanthi, Jr.clerk		

S. No	Other Advances		
1	Prepaid Expenses	-	-
2	Advance for Meeting	-	-
3	LTC Advance	-	
4	Advance for travel - Mr. Jayaraman	10,000	10,000
	Total	**10,000**	**10,000**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Schedule 14: Accounting Policies

1. Accounting Convention

The Financial Statement are prepared under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principle (GAAP), the applicable mandatory Accounting Standards (AS) issued by ICAI and relevant Presentational requirements for Central Autonomous Bodies as prescribed by CGA. The Authority Follows the accrual method of accounting in respect of all items of expenditure and

Income except where otherwise stated.

2. Fixed Assests

a) Fixed Assets are accounted for after these are taken on charge duly inspected.

b) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation cost comprises the purchase price, inward freight, duties & taxes and any other directly attributable cost of bringing the Assets to its working conditions for its intended use. Financing cost relating to acquisition/construction of qualifying fixed assets are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready for their intended use.

c) Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA.

d) Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at value stated by corresponding credit to capital fund. Fixed Assets received as free gift are taken into account at nominal value of Rs.1/-.

e) Fixed Assets acquired against specific grant-in-aid accounted for as fixed assets in the Authority's account. Cost of assets created out of grants-in-aid is credited to Capital Fund, Depreciation on those assets is also charged over the useful life of the assets at the rates prescribed by the Income Tax Act and Rules and is recognized in the income and Expenditure Account.

3. Depreciation

a) Depreciation is provided on written down value method as per rates Specified in Income tax Act,1961

b) In respect of additions/ deductions of fixed assets during the year, full depreciation is charged at the rates specified in the Income Tax Rules on the assets acquired in the first half of the financial year and 50% of depreciation is charged on the assets acquired in the second half of financial year.

c) Each item of fixed assets costing Rs.5000/- and below are fully depreciated in the year of acquisition.

d) As per latest amendment in Finance Act 2017 the rate of depreciation in respect of books and Computers were limited to 40%.

4. Lease/ Rent

Lease/ Rent rentals are accounted as expenses according to the terms and conditions of lease.

5. Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. The impairment loss is charged to Income & Expenditure statement for the year in which the assets is identified as impaired. The impairment loss is recognized or recoverable amount.

6. Govt. Grants / Subsidies

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of grant over the expenses is transferred to capital fund account at the end of the year.

7. Retirement Benefits

a) Authority's contribution paid/ payable during the year to new pension scheme is recognized in the Income and Expenditure Statement.

b) The liabilities in respect of Retirement benefits viz., Gratuity, leave encashment, pension are ascertained annually as per DOPT OM No.7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26.08.2016, Central Civil Sevice Pension rules, 1972, Central Civil Service leave rules and as approved by the authority.

8. Taxation

The Authority is not liable to pay to Union/ State in respect of wealth tax, income tax, Goods and service Tax, or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

9. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized but are disclosed in the Notes forming part of the accounts. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

10. Income and Expenses

All the income and expenses of the year, except those specified later in this paragraph, are accounted for on accrual basis under the specific direct heads of accounts:

a) Income or Expenditure of earlier year, which arise as a result of errors of omissions in making provision/creating the liability in the one or more prior periods, is accounted for under “prior period Adjustment” account.

b) If actual expenditure or income exceeds the liability created/provision made on expenditure basis, the same is accounted for on cash basis.

c) Expenditure/Income accruing to the Authority on account of decision taken after the date of finalization of annual accounts and extra-ordinary items, if any, having retrospective effect, is accounted for on cash basis.

d) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance sheet and/or Income and Expenditure Account, due consideration is given to the concept of materiality and hence pre paid/prior period items up to Rs.1,000 in each case are accounted for to the natural heads of account on cash basis.

11. Revenue Recognition

a) Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for *Litopenaeus vannamei* Farms and Hatchery .As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

b) Interest income is recognized on a Cash basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

12. Separate Disclosure

Separate disclosers are made in the Income and Expenditure Account in respect of:

a) “Prior period” items which comprise material items of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or expenses which arise in the current period as a result or errors of omissions in the preparation of the financial statements

of one or more prior periods. A sum of **Rs. 2,00,000** being amount paid as an advance for **purchase of stamps** from Post master were charged to Income and Expenditure in the last fiscal year. As a result current assets ie.Advance to Postmaster were not recognized in institute's Balance sheet and Excess of Expenditure over Income was Overstated to the tune of Rs.200,000/-. The same was rectified in current year accounts by crediting the Income and Expenditure a/c and recognising advance to Post master..

b) "Extra–ordinary" items, which are material items of income or expenses that arise from event or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.

c) Any item under the head "Miscellaneous Income "which exceeds Rs.50,000/- is shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.

Sd/-	Sd/-
Sr. Admin. Officer	Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Schedule - 15: Contingent Liabilities and Notes on Accounts

Contingent liabilities

As on 31st Mar.2019, there does not appear to be any case of contingent liability.

Earmarked / Endowment Funds

As per the previous year audit comments, it is informed that interest earned out of earmarked funds should be added to earmarked funds on a reasonable basis. During the current year a sum of Rs. 62,85,640.97/- being interest earned out of earmarked funds till 31st march 2019 was transferred from Interest a/c to Earmarked Funds as per closing balances in Earmarked Funds before appropriation of interest. The details are as follows:

No	Earmarked Fund	Amount of interest transferred (in Rs.)
1	Farm Registration Fee	1,68,076.60
2	Processing Fee (LV Farms)	7,56,565.57
3	Processing Fee (LV Hatchery)	24,95,211.73
4	Feed Products	28,65,787.07
	Total	62,85,640.97

Fixed Assets

Fixed Assets of erstwhile Aquaculture Authority was also taken into account at cost less depreciation for the period from the date of buying to date of takeover by the CAA for the value known assets. In the case of value un-known assets, notional value of Rs.1/- is considered for capitalizing in the books of accounts of CAA. Depreciation on all the assets at the prescribed rate in Income Tax Rules have been calculated and charged for the financial year 2018-19 to Income and Expenditure Account.

Current Assets, Loans and Advances

Authority has taken Franking Machine from Post Office and the same is filled with stamps for a lump sum amount .In addition to that Authority purchase Govt. Postal stamp from Post Office, the amount so paid is shown as stamps in hand. On the basis of register maintained for daily consumption of stamp, total expenditure incurred on stamps is debited to relevant expenditure head by corresponding credit to stamps in hand account on yearly basis. As on 31st Mar, 2019 the stamps in hand amounted to Rs.86,197 and a

sum of Rs. 5,00,000 is issued to Post master, St. Thomas Mount for refilling of franking machine. Refill report stated amount was credited in franking machine account on 20th may 2019. Hence Rs. 500,000 is shown under post master account as at 31st March 2019.

Current Liabilities

a. Security deposits of Rs. 3,662/- received as performance guaranty will be retained till completion of its warranty period.

b. NPS subscription along with employer's contribution of Rs.1,09,737/- pertaining to Shri. K. Srinivasa Babu, Superintendent during his deputation tenure with IIFPT, Thanjavur is payable to NSDL Pension Fund Managers.

Taxation

The Authority is not liable to pay wealth tax, income –tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits of gains derived. No Provision is, therefore, made for current and deferred income tax.

Government Grants/Fees Collected

Capital expenditure i.e. cost of depreciable assets created out of grant-in-aid is credited to 'Capital Fund" account. Revenue expenditure incurred out of grant-in-aid will be debited to "Income and Expenditure Account'. Excess of Income over Expenditure is transferred to capital fund account at the end of the year as on 31st March, 2019.

Authority is receiving fee collected for registration of farms by DLC/SLC shared in the ratio of 70:30 between DLC/SLC and CAA. In addition to that Authority is Collecting Processing Fees for L.V Farms and Hatchery. As per the exiting policy of the Authority; fee is accounted as Earmarked/Endowment Fund of the authority in the year of receipts and retained by the Authority to be utilized for specific or earmarked purposes.

Previous year Figures

The accounting procedure laid down by the CAG for autonomous bodies, specifies to show the previous year's figures in the Balance Sheet, Income & Expenditure Account & Receipt & Payment account along with various schedules attached thereto.

Sd/-	Sd/-
Sr. Admin. Officer	Director (Tech)

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Contributory Provident Fund

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2019

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
CPF Fund		
Opening balance	5,43,681	4,35,901
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	5,84,372	1,07,780
	11,28,053	5,43,681
Total	**11,28,053**	**5,43,681**
Assets		
Fixed Assets		
Investments	-	-
Current Assets	-	-
Cash at Bank		
- Indian Bank	11,26,109	5,41,747
- IOB	1,944	1,934
Total	**11,28,053**	**5,43,681**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2019

Income	Current Year	Previous Year
CPF Contributions	5,48,800	85,420
Interest	35,631	22,360
Total	**5,84,431**	**1,07,780**
Expenditure		
Bank charges	59	-
CPF Settled/Transferred	-	-
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	5,84,372	1,07,780
Total	**5,84,431**	**1,07,780**

Receipts and Payments account for the period : 1st April 2018 to 31st March 2019

Receipts	Current Year	Previous Year
- Indian Bank	5,41,747	4,33,983
- IOB	1,934	1,918
CPF Contributions	5,48,800	85,420
Interest	35,631	22,360
Total	**11,28,112**	**5,43,681**
Payments		
Bank charges	59	-
CPF Settled / Transferred	-	-
Closing Balances		
- Indian Bank	11,26,109	5,41,747
- IOB	1,944	1,934
Total	**11,28,112**	**5,43,681**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

General Provident Fund

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2019

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
GPF Fund		
Opening balance	12,23,133	21,13,156
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	1,65,992	(8,90,023)
	13,89,125	12,23,133
Total	**13,89,125**	**12,23,133**
Assets		
Fixed Assets		
Investments	-	-
Current Assets	-	-
Cash at Bank		
- Indian Bank	13,86,681	12,20,717
- IOB	2,444	2,416
Total	**13,89,125**	**12,23,133**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2019

Income	Current Year	Previous Year
GPF Contributions	1,56,000	2,31,000
Interest	72,051	1,36,477
Total	**2,28,051**	**3,67,477**
Expenditure		
Bank charges	59	-
GPF Settled/Transferred	62,000	12,57,500
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	1,65,992	(8,90,023)
Total	**2,28,051**	**3,67,477**

Receipts and Payments account for the period : 1st April 2018 to 31st March 2019

Receipts	Current Year	Previous Year
Opening Balances		
- Bank Balances	12,20,717	21,10,773
- IOB	2,416	2,383
GPF Contributions	1,56,000	2,31,000
Interest	72,051	1,36,477
Total	**14,51,184**	**24,80,633**
Payments		
Bank charges	59	-
GPF Settled / Transferred	62,000	12,57,500
Closing Balances		
- Indian Bank	13,86,681	12,20,717
- IOB	2,444	2,416
Total	**14,51,184**	**24,80,633**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
GDR Tower, 12-A, Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam, Chennai-600 091

Pension Fund

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2019

Capital Fund / Liabilities	Current Year	Previous Year
Pension Fund		
Opening balance	1,13,84,993	98,51,829
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	37,26,161	15,33,164
	1,51,11,154	1,13,84,993
Total	**1,51,11,154**	**1,13,84,993**
Assets		
Fixed Assets		
Investments	-	-
Current Assets	-	-
Cash at Bank		
- Indian Bank	1,50,84,600	1,13,59,293
- IOB	26,554	25,700
Total	**1,51,11,154**	**1,13,84,993**

Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2019

Income	Current Year	Previous Year
Pension Contributions	30,26,210	11,84,698
Interest	7,00,010	3,48,466
Total	**37,26,220**	**15,33,164**
Expenditure		
Bank charges	59	-
Pension Settled/Transferred	-	-
Excess / (Shortage) of Income over Expenditure	37,26,161	15,33,164
Total	**37,26,220**	**15,33,164**

Receipts and Payments account for the period : 1st April 2018 to 31st March 2019

Receipts	Current Year	Previous Year
Opening Balances		
- Indian Bank	1,13,59,293	98,27,033
- IOB	25,700	24,796
Pension Contributions	30,26,210	11,84,698
Interest	7,00,010	3,48,466
Total	**1,51,11,213**	**1,13,84,993**
Payments		
Bank charges	59	-
Pension Settled / Transferred	-	-
Closing Balances		
- Indian Bank	1,50,84,600	1,13,59,293
- IOB	26,554	25,700
Total	**1,51,11,213**	**1,13,84,993**

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL) CHENNAI

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

No. PDA(C)/CE/V/28-040/2020-21/ 12 **Dated: 30.04.2021**

To

The Secretary to Government of India,
Ministry of Agriculture,
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries,
Shastri Bhavan,
New Delhi – 110 001.

Sir,

Sub: Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2018-19 – Reg.

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year 2018-19 along with the statement of accounts. Three copies of the Annual Report for the year 2018-19 as presented to Parliament may be forwarded to this office in due course.

The receipt of this letter with enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

– sd. –

Deputy Director/CE

Encl: As above.

प्राप्त पत्र / RECEIVED LETTER
Number 910
Date 10-06-2021

लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018. "LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI - 600 018.

No. PDA (C)/ CE/ V/ 28-040/ 2020-21/ 13 Date : 30 .04.2021

Copy together with a copy of the Separate Audit Report of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for 2018-19 forwarded to the Member Secretary, Coastal Aquaculture Authority, Chennai. It is requested to furnish 3 copies of the Hindi version of the Separate Audit Report and 3 copies of the Annual Report as presented to Parliament at an early date. It is also requested to furnish the dates of presentation of the accounts to Parliament for the year 2018-19.

Deputy Director/ CE.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Coastal Aquaculture Authority, Chennai for the year ended 31st March 2019

We have audited the attached Balance Sheet of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as on 31 March 2019, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 20(3) of the Coastal Aquaculture Authority, Act 2005. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.

iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Coastal Aquaculture Authority, Chennai as required in the rules and regulations of the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. **Income & Expenditure Account**

Income - Grants/Subsidies - Sch.7- ₹ 399.93 lakh

Revenue Grant of ₹18.44 lakh in excess of the actual expenditure was recognised as income in the Income & Expenditure Accounts. This had resulted in overstatement or income and understatement of unutilised grant under Current Liabilities by ₹ 18.44 lakh.

B. **General**

1. Provision for retirement benefits was not made based on actuarial valuation as required under Accounting Standard-15.
2. Earmarked Fund Bank account No.20950100000100 of IOB with a balance of ₹ 1,26,553 was not included in the Cash at Bank under Current Assets.

C. **Effect of Revision in Accounts**

The accounts of the Authority were revised based on audit observations and as a result of revision Assets & Liabilities increased by ₹ 9.81 lakh and surplus decreased by ₹ 59.48 lakh.

D. **Grants in aid**

Out of the grants-in-aid of ₹ 3.99 crore received during the year, the authority utilised a sum of ₹ 3.95 crore leaving a balance on ₹ 0.04 crore as on 31st March 2019.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of Coastal Aquaculture Authority, Chennai as at 31st March 2019; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Principal Director of Audit (Central), Chennai

Place: Chennai

Date: 30.04.2021

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit not conducted for the year 2018-19.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system is construed as inadequate due to non-maintenance of Expenditure Control Register.

3. Physical verification of fixed assets

Physical verification of fixed assets was done for the year 2018-19.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory was done for the year 2018-19.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Authority was regular in payment of statutory dues

Deputy Director/ CE.

Para-wise clarification for Final Separate Audit Report for the year 2018-19

Sl. No.	Para No. in SAR	Clarification
A.	**Income & Expenditure Account** **Income – Grants / subsidies – Sch.7 – Rs.399.93 lakh** Revenue Grant of Rs.18.44 lakh in excess of the actual expenditure was recognized as income in the income & Expenditure Accounts. This had resulted in overstatement of income and understatement of unutilized grant under Current Liabilities by Rs.18.44 lakh	Based on the observation made by the Audit, on verification of the financial statement it is observed that the CAT provision has not been accounted, which has been adjusted in the opening balance of the financial year 2019-20 in view of the accounts certified by the CAGI. Hence, there is no overstatement of income in the financial year 2018-19. Accordingly, the adjusted accounts of the relevant schedule (Sch-1 of corpus fund and Sch-3 of Current Liability) are attached herewith as **Annexure-(a)**
B.	**General**	
1	Provision for retirement benefits was not made based on actuarial valuation as required under Accounting Standard-15.	Necessary action taken for engagement of Actuarial Valuer providing actuarial valuation for the purpose of assessing the gratuity and leave encashment liability for CAA employees for a period of three years 2019-20, 2020-21 & 2021-22.
2	Earmarked Fund Bank Account No.20950100000100 of IOB with a balance of Rs.1,26,553 was not included in the Cash at Bank under Current Assets.	Earmarked Fund Bank Account No.20950100000100 of IOB with a balance of Rs.1,26,553 is included in the Cash at Bank under Current Assets in the year 2019 – 20 along with Interest amount Rs.4,429/. Copy of Ledger account is enclosed herewith as **Annexure-(c).** The above account has been closed and transferred to the present account with IDBI.
C.	**Effect of Revision in Accounts** The Accounts of the authority were revised based on audit observations and as a result of revision Assets & Liabilities increased by Rs.9.81 lakh and surplus decreased by Rs.59.84 lakh.	No observation made by audit hence may be treated as nil.

<table>
<tr><td>D.</td><td>Grants in aid

Out of the grants-in-aid of Rs.3.99 crore received during the year, the authority utilized a sum of Rs.3.95 crore, leaving a balance of Rs.0.04 crore as on 31st March 2019.</td><td>The observation made by Audit rectified while verifying the unaccounted provisions, which has been adjusted in the opening balance of the financial year 2019-20 since the accounts has already been certified by the CAGI. Hence, there is no left over balance of Rs.0.04 crore.</td></tr>
<tr><td></td><td>Annexure</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit not conducted for the year 2018-19.</td><td rowspan="2">The CA&G empaneled CA firm has been processed for engaging as Internal Auditor for CAA. Since the estimated professional fee to be payable to the CA firm for internal audit is more than Rs.25,000/- steps taken for obtaining for quote from the CA&G empaneled CA Firm, as per the GFR provision.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Adequacy of Internal Control System

Internal control system is construed as inadequate due to non-maintenance of Expenditure Control Register.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Physical verification of fixed assets.

Physical verification of fixed assets was done for the year 2018-19.</td><td rowspan="3">No observation made by audit hence may be treated as nil.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory was done for the year 2018-19.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Regularity in payment of statutory dues

The Authority was regular in payment of statutory of dues.</td></tr>
</table>

Ref.: PDA's letter No.PDA(C)/CE/V/28-040/2020-21/12 dated 30.04.2021.

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRING
5th Floor, Integrated office Complex, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai - 600 035

Annexure (a)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 1 - Corpus/ Capital Fund

(Amount- ₹)

	Current Year	Previous Year
A. Balance at the Begning of the year	1,28,75,112	1,21,06,191
Opening Balance - Adjustments		
Less: Bank Interest and Other Receipts	17,52,847	
Less: Grant Expenditure wrongly booked in EMF Schedule	20,80,346	
Less: Bank charges	172	
Less: CAT salary	8,62,835	
Less: Salary and Allowance - Mar 2019 provision	9,81,086	
Add : Grant received towards Corpus/Capital Fund	1,03,250	6,962
Add : IOB - Account 209501000010000	-	-
Less: Interest Refund to PAO, Agri	2,79,782	-
Less : Expenditure Over Income transferred from the Income & Expenditure A/c	70,21,295	1,21,13,153
Add: Excess of Income over Expenditure Transferrerd from Income & Expenditure A/c	(5,67,971)	7,61,959
Balance at the end of the year	**64,53,323**	**1,28,75,112**
B. DETAIL OF GOI - GRANT		
Opening Balance	-	
Fund Received during Year	4,50,00,000	
Expenditure	3,43,67,742	
Unspent Balance as at 31.03.2020	**1,06,32,258**	-
BALANCE AS AT THE YEAR - END (A+B)	**1,70,85,581**	**1,28,75,112**

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRING

5th Floor, Integrated office Complex, Veterinary Hospital Road, Fanepet, Nandanam, Chennai - 600 035

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

Schedule 3 : Current Liabilities and Provisions

(Amount- ₹)

	Current Year		Previous Year	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
i) For Goods	-	-	-	-
ii) Others	-	31,194	-	31,194
a. Muthu soft labs	31,194	-	31,194	-
3. Performance Security Deposit	-	24,462		3,662
a) Aishwarya Construction, Chennai	3,662	-	3,662	
b) Stuby Technology	20,800			
4. Earnest Money Deposit		50,000		50,000
a) Merit Enterprises	-		-	
b) Orbit Technologies	-		-	
c) Day N Day (P) Ltd., Chennai	30,000		30,000	
d) Bio-incorp/Agilent Technologies	-		-	
e) Siva Cabs, Chennai	-		-	
f) Broadline	5,000		5,000	
g) Muthu Soft Labs	5,000		5,000	
h) Nucum Technologies	5,000		5,000	
i) Vignesh Cabs	5,000		5,000	
j) Denab - Dena	10,000			
5. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loan/borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
6. Statutory Liabilities:				
a) New Pension Scheme (Employee Contribution)	93,990	93,990		
7. Security Deposit				
a) Hitachi System Micro Clinic Pvt Ltd	7,293	7,293	7,293	7,293
8. State Fishheries, Andhra Pradesh	50,700	50,700	50,700	50,700
9. Other Provision (Contingent)	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000
10. CAT - Salary payable - FY 2019-2020	86,06,435	86,06,435	30,00,000	30,00,000
11. Interior Work to TNPWD	41,70,000	41,70,000	-	-
12. NPS deduction - Shri K Srinivasan Babu	1,09,737	1,09,737	1,09,737	1,09,737
13. CPC / LSPC Arrears	14,45,845	14,45,845	14,45,845	14,45,845
14. Maintaines payable to TNPWD	15,31,028	15,31,028	-	-
15. Rent payable - Vanuvampet	-	-	2,17,888	2,17,888
16. Rent payable FY 2019-2020 (TNPWD)	24,13,320	24,13,320		
17. Staff Deduction & Remittances	1,87,725	1,87,725	-	-
18. Salary and Allowance payable	7,15,995	7,15,995		
19. Rent Arrears	-	-	32,98,672	32,98,672
20. M/s.Day N Day	-	-	2,50,423	2,50,423
21. Jayaraman LSPC / GPF	3,80,290	3,80,290	3,80,290	3,80,290
Total		**2,03,28,014**		**93,45,704**

Bank Accounts

Annexure (c)

Group Summary (1-Apr-2019 to 31-Mar-2020)

Particulars	Closing Balance	
	Debit	Credit
Bank Accounts	9,77,91,944.50	
IDBI Earmarked Fund	9,23,82,612.00	
IDBI Main Account	52,78,350.50	
IOB A/c No 209501000010000	1,30,982.00	
Grand Total	**9,77,91,944.50**	

तटीय जल कृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

तटीय जल कृषि प्राधिकरण

COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY

(भारत सरकार / Government of India)

जीडीआर टवर, 12-ए भारती स्ट्रीट, वानुवमपेट्टई, मडिपक्कम पोस्ट

GDR Tower, 12-A Bharathi Street, Vanuvampettai, Madipakkam Post

चेन्नै / Chennai-600 091 तमिल नाडु / Tamil Nadu, भारत / India

फोन / Phone : +91 44 2260 3783, 3784, 3502

टेलीफैक्स / Telefax : +91 44 2260 3780

ई-मेल / E-mail : aquaauth@vsnl.net / aquaauth@gmail.com

वेबसाइट / Website : www.caa.gov.in